[2019] 8 एस. सी. आर *297*

मेघालय राज्य

वी.

सभी डिमासा छात्र संघ,

डी. आई. एम. ए.-हासाओ जिला समिति और ओ. आर. एस.

(2018 की सिविल अपील *No.10720)*

03 जुलाई, *2019*

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.*]*

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010:* एसएस। *14* , *15* और *16*-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण *(*एनजीटी*)* का अधिकार क्षेत्र-एनजीटी द्वारा आदेश

खनन पर प्रतिबंध लगाना-क्या एनजीटी द्वारा पारित आदेश एस. एस. के दायरे से बाहर होने के अधिकार क्षेत्र के बिना थे। *14* , *15* और एन. जी. टी. अधिनियम, *2010* का *16*-आयोजितः एनजीटी द्वारा संज्ञान लिया गया था जब *17.4.2014* पर *2014* का आवेदन *O.A.73* स्वीकार किया गया था और आदेश दिया गया था

आवेदन में स्पष्ट आरोप था कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट में निर्धारित विभिन्न उपचारात्मक उपायों के बावजूद, द्वारा कोई उचित और प्रभावी उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए थे

(संरक्षण*)* अधिनियम, *1986*-आवेदन में लगाए गए आरोप एनजीटी के लिए एस द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त थे। *14* एस की उप-धारा *1* में दिखाई देने वाले दोनों घटक। *14* , अर्थात् *(i)* पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और *(ii)* ऐसा प्रश्न अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।

अनुसूची *I* में निर्दिष्ट, शामिल थे-एन. जी. टी. ने *17.04.2014* पर *2014* के *O.A.No.73* पर विज्ञापन देने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित विभिन्न समितियों से विभिन्न रिपोर्टें मांगी थीं।

यह केवल पर्यावरण के आरोप का मामला नहीं था।

मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महीने में प्रकाशित विशेषज्ञों की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर अवैध और अनियमित कोयला खनन द्वारा क्षरण सामग्री थी।

सितंबर, *1992* की, द्वारा नियुक्त कटके समिति की रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एनजीटी जिसके द्वारा जल, वायु और भूमि की सतह का पर्यावरणीय क्षरण साबित हुआ-इसलिए, पर्यावरण से संबंधित पर्याप्त प्रश्नों के संबंध में पर्याप्त आरोप थे और

अनुसूची *I* में अधिनियमों का उल्लंघन-अपीलार्थी के निवेदन में कोई सार नहीं था कि एनजीटी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

मामले पर विचार करें और आदेश पारित करें-संबंधित मामलों में

पर्यावरण संबंधी मामले में, राज्य को सहायक के रूप में कार्य करना होगा न कि अवरोधक के रूप में-राज्य के लिए यह निवेदन कि एनजीटी ने एस. एस. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। *14* और *2014* के मनोरंजन में *15* को खारिज कर दिया गया है-भारत का संविधान-जल *(*प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण*)* अधिनियम, *1974*-वायु *(*प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण*)* अधिनियम, *1981* पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986*।

जाँच-इस शक्ति का प्रयोग एनजीटी द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है-एनजीटी विशेषज्ञ से रिपोर्ट देने के लिए कहना केवल इन तक ही सीमित नहीं है आर के चार कोने। *10* ए और इसका अधिकार क्षेत्र इसके द्वारा बंधा नहीं है

Or.21 r के सख्त शब्द। *10* एस के आधार पर ए। *19 (1)* एनजीटी अधिनियम - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण *(*व्यवहार और प्रक्रिया*)* नियम, *2011* की धारा *24* न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश देने या ऐसे निर्देश देने का अधिकार देती है जो उसके आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हों या

न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना-एक समिति की नियुक्ति के लिए निर्देश देने और एक समिति से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनजीटी में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है-सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908*-*Or.26* आर। *10* एक आयोग/समिति-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण *(*अभ्यास और प्रक्रिया*)* नियम, *2011* आर। *24 .*

भूमि कानूनः भूमि कार्यकाल प्रणाली-मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में भूमि कार्यकाल की प्रकृति

मेघालय राज्य की अधिकांश भूमि या तो निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली है जिसमें राज्य किसी भी अधिकार का दावा नहीं करता है-भूमि के निजी मालिकों के साथ-साथ समुदाय के मालिकों के पास सतह के साथ-साथ उप-मिट्टी का अधिकार भी है-इस प्रकार, आदिवासियों के पास भूमि का स्वामित्व था और खनिजों का भी स्वामित्व था-भारत का संविधान -

Art.244, उपखंड *(2)*-खान और खनिज।

खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957:* मेघालय राज्य के भीतर जनजातीय क्षेत्रों में *1957* के अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता, जो संविधान की अनुसूची *VI* में शामिल है-संविधान की अनुसूची *VI* मेघालय राज्य के प्रशासन के लिए एक प्रावधान है।

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

मेघालय राज्य में जनजातीय क्षेत्रों की संख्या-अनुसूची *VI* में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों के संबंध में अधिनियम, *1957* के अप्रयोज्य होने का संकेत दे-*31* मार्च, *2013* को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम, *1957* मेघालय राज्य में खानों के विनियमन और खनिजों के विनियमन के लिए पूरी तरह से लागू है-इसके अलावा, राष्ट्रपति द्वारा अनुसूची *VI* के पैरा *12* ए *(*बी*)* के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जो राष्ट्रपति को संसद के किसी भी अधिनियम के संबंध में,

अधिसूचना, यह निर्देश देने के लिए कि यह मेघालय राज्य के किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या ऐसे जिले या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू होगा, बशर्ते कि ऐसा हो।

इस प्रकार, संविधान की छठी अनुसूची में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों के संबंध में अधिनियम, *1957* की अप्रयोज्यता के बारे में संकेत दे-भारत का संविधान अनुसूची *VI*, पैरा *12* ए उपखंड *(*बी*)*-खान अधिनियम, *1952*।

खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957:* खनन की रूपरेखा तैयार करने के लिए मेघालय राज्य की विधायी क्षमता

नीति-एन. जी. टी. द्वारा मेघालय राज्य को नीति-स्वामित्व तैयार करने के लिए दिए गए निर्देशः मेघालय खान और खनिज नीति, *2012* और खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा राज्य में कोयला खनन गतिविधियों के लिए *2012* की सरकारी नीति के मसौदा दिशानिर्देशों में राज्य द्वारा खनन पट्टे के लिए विनियामक व्यवस्था पर विचार किया गया-मेघालय राज्य में किए जा रहे अनियमित और अवैज्ञानिक खनन के बारे में उल्लिखित दिशानिर्देश-इस पूर्व स्थिति पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि एमएमडीआर अधिनियम, *1957* को देखते हुए, प्रविष्टि *23* सूची *II* के तहत मेघालय राज्य की विधायी क्षमता हालांकि, एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के साथ-साथ एम. सी. नियम, *1960* के तहत मेघालय राज्य को कई वैधानिक दायित्व/अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए हैं।

संसदीय अधिनियम, राज्य को कुछ वैधानिक दायित्व दिए गए हैं, संसदीय अधिनियमों द्वारा राज्य को प्रदत्त अधिकार क्षेत्रों को प्रभावी बनाने या लागू करने के लिए नीति बनाने के लिए राज्य में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है-यह सच है कि राज्य द्वारा बनाई जाने वाली खनन नीति को एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र तक सीमित रखना होगा-खनन से संबंधित कई अन्य पहलू जैसे, पुनर्वास, *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुधार और बहाली को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा

राज्य जिसके लिए भी नीति तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है -

एन. जी. टी. द्वारा निर्देश जारी किए जाने से पहले ही मेघालय राज्य द्वारा *2012* की नीति पहले ही तैयार की जा चुकी थी-एन. जी. टी. के निर्देशों के अनुसरण में, यह *2015* का मसौदा दिशानिर्देश था, जिसे मेघालय राज्य द्वारा तैयार किया गया था।

मेघालय राज्य की नीति को इसके बिना नहीं कहा जा सकता है।

अधिकार क्षेत्र-हालाँकि, राज्य अपनी खनन नीति में केवल उन क्षेत्रों को शामिल कर सकता है जहाँ उसका अधिकार क्षेत्र एमएमडीआर अधिनियम, *1957* और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत है-भारत का संविधान खनिज

रियायत नियम, *1960*।

खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957:* धारा *4 (1)*-क्या कानून में पट्टा प्राप्त करने की आवश्यकता है

सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि संबंधित हैं-आयोजितः पूरा करने के लिए पहाड़ी जिलों में निजी स्वामित्व वाली भूमि में खनन कार्य

मेघालय, खनन पट्टा प्राप्त करना एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* और नियम, *1960* के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है।

रियायत नियम, *1960*।

खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957:* क्या खनन उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित करने की शक्ति निहित है

स्वायत्त जिला परिषद-आयोजितः जिला परिषद करता है खनन पट्टा देने के संबंध में कोई कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है-प्रमुख खनिजों को जीतने के लिए खनन पट्टा *1957* के अधिनियम और खनिज रियायत नियम, *1960* के अनुसार दिया जाना है-खासी हिल्स जिला *(*गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार*)* विनियमन,

1954 – संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ी स्वायत्त जिला *(*वन प्रबंधन और नियंत्रण*)* नियम, *1960*-खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला *(*गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार*)* नियम, *1959*।

खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957:* क्या एन. जी. टी. का दिनांकित *17.04.2014* आदेश पूर्ण होने का निर्देश देता है

खनन पर प्रतिबंध अस्थिर है-आयोजितः प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विकास को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाता है-प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में एक अच्छा संतुलन बनाए रखना होता है।

संरक्षण और संरक्षण-एन. जी. टी. दिनांक *17.04.2014* के आदेश द्वारा, रैट होल खनन/अवैध खनन को पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया गया था। मेघालय राज्य-*2014* के ओ. ए. *No.73* में जिसमें कहा गया था कि आदेश मेघालय राज्य बनाम था।

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

पारित, विशेषज्ञों की रिपोर्ट सहित पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर थी

जिसने साबित किया कि मेघालय राज्य में अवैध कोयला खनन पर्यावरण को खराब कर रहा था-सभी याचिकाओं और सामग्रियों पर विचार करने के बाद एनजीटी ने दिनांक *1* के आदेश की पुष्टि की और प्रतिबंध को वापस लेने से इनकार कर दिया-एनजीटी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है

प्रतिबंध आदेश। खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957:* क्या राज्य में कोयले के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध

एन. जी. टी. द्वारा निर्देशित मेघालय राज्य और आदिवासियों के हित में खाली/संशोधित होने का हकदार था-आयोजितः आदिवासी उस भूमि के मालिक होते हैं जो अपनी भूमि में कोयले का खनन करती है जिससे वे अपनी पर्याप्त आजीविका कमाते हैं-यदि मेघालय के पहाड़ी जिलों के आदिवासियों या अन्य मालिकों द्वारा *1957* के अधिनियम और नियम, *1960* के अनुसार मेघालय राज्य से प्राप्त खनन पट्टे के अनुसार खनन कार्य किए जाते हैं, तो दिनांकित प्रतिबंध आदेश

17.04.2014 एन. जी. टी. का प्रतिबंध आदेश अवैध कोयला खनन के लिए है जो मेघालय राज्य में बड़े पैमाने पर था और प्रतिबंध आदेश को *1957* के अधिनियम और *1960* के नियमों के अनुसार वैध और कानूनी खनन तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

खनिज रियायत नियम, *1960*।

खनिज रियायत नियम, *1960:* अध्याय *5*-खनन पट्टा देने की प्रक्रिया और प्राधिकारी/व्यक्ति, जो इसके लिए सक्षम है

ऐसा पट्टा प्रदान करना-आयोजितः नियम, *1960* में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से अध्याय *5*, खनिजों के लिए एक खनन पट्टा, जो एक निजी मालिक या एक सामुदायिक मालिक का है, यह राज्य सरकार नहीं है, जो कोई आवेदन प्राप्त करने की हकदार है।

या कोई खनन पट्टा प्रदान करें, लेकिन यह निजी मालिक या सामुदायिक मालिक है, जो उनके स्वामित्व वाले खनन खनिजों के लिए पट्टा देने का हकदार है।

खनिज रियायत नियम, *1960:* अध्याय *IV* और अध्याय *V*-के बीच का अंतर-अध्याय *IV* उस भूमि के संबंध में खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं और

अध्याय *5* उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें खनिज सरकारी प्रक्रिया और तरीके के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित होते हैं।

खनन पट्टा और पट्टा अनुदान के लिए आवेदन करना जैसा कि अध्याय *IV* में निहित है, अध्याय *V [2019] 8* एस. सी. आर. में दी गई प्रक्रिया पर लागू नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खनिज रियायत नियम, *1960:* अध्याय *5*-क्या मेघालय राज्य का खनन पर कोई वैधानिक नियंत्रण है मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि से कोयला-आयोजितः मेघालय राज्य के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति है कि कोयले का कोई खनन नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि जब नियम, *1960* के तहत खनन पट्टा दिया जाता है। *13 (2) (* च*)* और नियम, *1960* स्पष्ट रूप से खनन पट्टे के अनुदान पर विचार करते हैं, दोनों श्रेणियों की भूमि के संबंध में, यानी भूमि

जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं, और वह भूमि जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं।

खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957* -

एस। *13 (2) (* च*)*।

खान और खनिजः एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र समिति का गठन क्या एन. जी. टी. का गठन करने का कोई अधिकार क्षेत्र था

समितियाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, एन. जी. टी. के आदेशों को लागू करेंगी, खनिजों के भंडारण/परिवहन की निगरानी करेंगी और पर्यावरण की बहाली के लिए कार्य योजना तैयार करेंगी और क्या एन. जी. टी. ने मेघालय पर्यावरण संरक्षण और बहाली कोष के गठन के निर्देश में त्रुटि की हैः एन. जी. टी. में समिति की नियुक्ति या समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश देने के लिए अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है-एन. जी. टी. द्वारा एक कोष का गठन किया गया है, जिसका नाम है, "मेघालय पर्यावरण संरक्षण और

पुनर्स्थापना कोष "-एन. जी. टी. न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कोई भी आदेश या निर्देश पारित कर सकता था जो विशेष रूप से नियम *24* द्वारा प्रदत्त शक्ति-इस प्रकार निधि के गठन का निर्देश भी ऐसी शक्ति-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* के तहत सहेजा जाता है।

खान और खनिजः एनजीटी की न्यायिक शक्तियाँ-क्या एनजीटी ने समितियों का गठन करके आवश्यक न्यायिक शक्तियाँ सौंप दी हैं

समितियों के लिए-आयोजितः जिन विभिन्न उदाहरणों में एनजीटी ने समितियों द्वारा रिपोर्ट या जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, उनका उद्देश्य अपने द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और उनके समक्ष उठाए गए पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लेना था-किसी भी तरह से समिति के गठन को स्टेट ऑफ मेघालय बनाम नहीं कहा जा सकता है।

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

एन. जी. टी. की आवश्यक न्यायिक शक्तियों का समिति को प्रत्यायोजन एन. जी. टी. द्वारा कटके समिति का गठन *31.08.2018* पर किया गया था-समिति का गठन और इसके कार्य एन. जी. टी. द्वारा पारित आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से सौंपे गए थे-पर्यावरण की बहाली के लिए, एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *31.08.2018* के आदेश द्वारा समिति को अपनी कार्य योजना और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

ई-मेल-इस प्रकार, एन. जी. टी. ने उन सभी कदमों पर पूर्ण नियंत्रण रखा था जो समिति द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता थी और समय-समय पर निर्देश जारी किए थे-इस प्रकार, यह निवेदन कि एन. जी. टी. की आवश्यक न्यायिक शक्तियां समिति को सौंप दी गई थीं, मान्य नहीं है।

- एन. जी. टी. के समक्ष समिति के अधिनियमों का लंबित मामला एन. जी. टी. के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है और यदि समिति किसी भी मामले में अतिक्रमण करती है। एनजीटी द्वारा उसके समक्ष लाए जा रहे मामले-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* पर इसी निर्देश को बहुत अच्छी तरह से सही किया जा सकता है।

खान और खनिजः क्या समिति का गठन जनजातीय क्षेत्रों की संवैधानिक योजना का अतिक्रमण करता है

Art.244 (2) और *Art.275 (1)* और संविधान की अनुसूची *VI*-अनुसूची *VI* के पैरा *3* में कानून बनाने के लिए जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद की शक्तियों को गिना गया है-जिला और क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियों को पैरा *3* के तहत गिना गया है-एनजीटी के निर्देशों में परिवहन के लिए समिति का गठन करने के लिए

निकाले गए खनिज या पर्यावरण की बहाली से निपटने और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई तैयार करने के लिए, पर्यावरण की बहाली के लिए जिला या क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं है पर्यावरण की बहाली के लिए कार्य योजना एनजीटी के इस निष्कर्ष का परिणाम है कि एक अनियमित कोयला खनन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और जल प्रदूषण सहित प्रदूषण का कारण बना है यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि जिला और क्षेत्रीय परिषदों ने पर्यावरण की बहाली के लिए कोई कानून बनाया है जिसका समिति या उसके अधिनियमों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है-जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और एनजीटी द्वारा गठित समिति केवल पर्यावरण क्षरण और अवैध कोयला खनन से संबंधित है-एनजीटी की समितियों की रिपोर्ट या निर्देश किसी भी तरह से जिला और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का अतिक्रमण नहीं करते हैं-भारत का संविधान-कला। *244 (2) , 275 (1) .*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खान और खनिजः क्या मेघालय राज्य द्वारा दिनांक *04.01.2019* के आदेश द्वारा *Rs.100/*करोड़ जमा करने का निर्देश

एन. जी. टी. टिकाऊ है-एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *04.01.2019* के आदेश द्वारा मेघालय राज्य को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास *Rs.100* करोड़ की राशि जमा करने का निर्देश दिया था, जिसे इसके लिए खर्च किया जाना था।

पर्यावरण की बहाली-इस निर्देश से व्यथित मेघालय राज्य ने अपील दायर की-आयोजितः एन. जी. टी. द्वारा मेघालय राज्य द्वारा जमा की जाने वाली राशि न तो जुर्माना है और न ही राज्य पर लगाया गया जुर्माना-इस राशि को पर्यावरण की बहाली के संबंध में कदम उठाने के लिए जमा करने का निर्देश दिया गया है-उक्त राशि को राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षति की राशि नहीं कहा जा सकता है-मेघालय राज्य के पास राजस्व का बहुत सीमित स्रोत है और मेघालय राज्य पर अपने दम पर *1* करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त बोझ डाल रहा है।

वित्तीय संसाधन और बजटीय राशि मेघालय राज्य के लिए बड़ी कठिनाई का कारण बन सकती है-न्याय के उद्देश्य से, एन. जी. टी. के दिनांकित *04.01.2019* के निर्देश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि राज्य को एम. ई. पी. आर. एफ. में पड़ी राशि से *Rs.100* करोड़ की राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरित करने की अनुमति है-केंद्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड *1* करोड़ रुपये की राशि का उपयोग केवल पर्यावरण की बहाली के लिए करेगा।

खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957:* एसएस। *4 (1) , 21* – कोयला-सरकार में निहित-क्या एनजीटी का आदेश दिनांकित *31.03.2016* है कि *15.05.2016* के बाद, सभी शेष कोयले मेघालय राज्य में बनियान टिकाऊ है-दिनांकित आदेश द्वारा

31.03.2016 , एन. जी. टी. ने नियमों और शर्तों के तहत *15.5.2016* तक कोयले के परिवहन की अनुमति दी थी।

इस बात पर विचार किया गया कि किसी भी रूप में किसी भी कोयले को *15.05.2016* के बाद परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेष कोयला राज्य सरकार में निहित होगा और

कानून के अनुसार निपटाया गया-एन. जी. टी. के दिनांकित *31.03.2016* आदेश का स्वामित्व-आयोजितः मेघालय राज्य के पहाड़ी जिले में बिना किसी खनन पट्टे के अवैध रूप से कोयला खनन चल रहा था-इस प्रकार, पूरा खनन एस के उल्लंघन में स्पष्ट है। *4 (1)* अधिनियम, *1957* जो एस के तहत दंड आकर्षित करता है। *21* - वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां खनिकों पर किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाया गया था, सिवाय इसके कि कोयले के खनन पर देय रॉयल्टी की राशि राज्य द्वारा जुर्माने के रूप में एकत्र की गई थी-राज्य सरकार के पास एस के तहत अधिकार हैं। *21 (5)*

मेघालय राज्य *v.* सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

एस के तहत विचार के रूप में खनिज। *21 (5)* यह कहने के लिए नहीं होगा कि खनिजों के मालिक का स्वामित्व अधिकार खो गया है, बल्कि एस के तहत राज्य है। *21 (5)* बिना किसी वैध प्राधिकरण के उठाए गए खनिज को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है-इस प्रकार, *15.05.2016* के बाद निकाला गया और खुले में पड़ा कोयला स्वचालित रूप से राज्य में निहित नहीं था और कोयले के मालिक या जिस व्यक्ति ने कोयले का खनन किया है, उसका खनिज में स्वामित्व अधिकार होगा जो खो नहीं जाएगा। खान और खनिजः कोयला-क्या मूल्यांकन किया गया और बिना मूल्यांकन किया गया कोयला जो पहले ही निकाला जा चुका है और अलग-अलग क्षेत्रों में पड़ा हुआ है।

मेघालय के जिलों को परिवहन की अनुमति दी जाए-ऐसे कोयले के निपटान के लिए तंत्र अपनाया जाए-आयोजितः कोयला प्रमुख खनिज होने के कारण और विभिन्न उद्योगों और परियोजनाओं के लिए उपयोगी होने के कारण, निकाले गए कोयले का उचित निपटान सर्वोपरि है, विभिन्न स्थानों पर पड़े पूरे निकाले गए कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की इकाई द्वारा अधिग्रहित करने का निर्देश दिया जाता है, जो इसका निपटान कर सकती है।

समान रूप से निपटान की अपनी सामान्य विधि के अनुसार-विभिन्न स्थानों पर पड़े सभी निकाले गए कोयले के लिए, यह राज्य है, जो कोयले का प्राप्तकर्ता-सह-संरक्षक है-राज्य ने उक्त चार जिलों में पड़े कोयले का आकलन किया है, जिसमें मात्रा का विवरण और उसके पास उपलब्ध मालिकों का विवरण शामिल है, यह सुनिश्चित कर सकता है कि पूरा कोयला कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया गया है, कटके समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले तरीके और तरीके के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड और मेघालय राज्य के अधिकारियों के परामर्श से-खनन और भूविज्ञान विभाग में राज्य के आयुक्त और सचिव को कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ परिवहन के लिए एक व्यापक योजना को अंतिम रूप देने के लिए निर्देश दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेघालय राज्य और उसके अधिकारी विशेष रूप से राज्य के उपायुक्त कोयले की मात्रा, मालिक का नाम और वह स्थान जहाँ से इसे एकत्र किया जाता है, का विवरण दर्ज करने के लिए संबंधित क्षेत्र-मेघालय राज्य रॉयल्टी और एम. ई. आर. पी. निधि के लिए भुगतान का हकदार होगा

साथ ही कोयले की कीमत में से कर-कोल इंडिया लिमिटेड कोयले की कीमत के *10* प्रतिशत के साथ परिवहन के लिए अपना खर्च लेने के बाद रॉयल्टी और एम. ई. आर. पी. कोष में भुगतान करने के बाद राज्य और राज्य को पूरी राशि भेजेगा और करों का भुगतान करेगा। राशि की शेष राशि मालिक को वापस करें-कोयला, जिसे राज्य द्वारा अवैध परिवहन या अवैध खनन में जब्त कर लिया गया है।

जिनके लिए राज्य द्वारा अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं, राज्य द्वारा एस के अनुसार निपटा जाएगा। *21* अधिनियम, *1957* की धारा और संतुष्ट होने पर, राज्य वैध प्राधिकरण के बिना अवैध रूप से उठाए गए कोयले की पूरी मात्रा की वसूली करने का निर्णय ले सकता है और उक्त मामलों को कानून के अनुसार अलग से निपटा जाना चाहिए-कटके समिति मेघालय राज्य और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के परामर्श से उपरोक्त तरीके से कोयले के परिवहन और निपटान को प्रभावित करने के लिए उचित तरीके और तरीके को अंतिम रूप देगी।

खान अधिनियम, *1952:* खान अधिनियम, *1952* में खनन संचालन और खानों के प्रबंधन के निरीक्षण के संबंध में विभिन्न प्रावधान हैं।

- खान अधिनियम, *1952* के प्रावधानों का खदान में काम करने से पहले पालन करना अनिवार्य है-नियम अर्थात् कोयला खदान

विनियम, *2017* में कई विनियामक प्रावधान भी शामिल हैं जिनका खनन पट्टा धारक द्वारा खदान का काम करते समय पालन करने की आवश्यकता होती है-खान अधिनियम, *1952* और विनियम, *2017* का प्रवर्तन राज्य द्वारा जनहित में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

खान और खनिजः मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में कोयला खनन-द्वारा लागू वैधानिक व्यवस्था के अनुसार पर्यावरण के तहत जारी अधिसूचना दिनांक *15.01.2016*

(संरक्षण*)* अधिनियम, *1986*, किसी भी क्षेत्र के खनन के लिए कोयले की परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है-पहाड़ी जिलों में खनन संचालन के लिए वैधानिक व्यवस्था को लागू करते समय

मेघालय राज्य को न केवल एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* बल्कि खान अधिनियम, *1952* के साथ-साथ पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986* का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

मेघालय राज्य *v.* सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

न्यायिक प्रशंसाः समिति-कार्य की सराहना-- कटाके समिति और उसके विभिन्न सदस्यों और प्रतिभागियों ने

मेघालय राज्य में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और परीक्षण करने में सराहनीय कार्य किया है और समिति द्वारा कई मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें अवैध कोयले के खनन के परिणामस्वरूप नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए भी लागू किया जा रहा है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः क्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना हैं जो इसके दायरे से बाहर हैं

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* की धारा *14,15* और *16?*

1. वर्तमान अवैध और अनियमित कोयले द्वारा पर्यावरण क्षरण के केवल आवेदक के आरोप का मामला नहीं है खनन के बजाय रिकॉर्ड में विशेषज्ञों की रिपोर्ट, सितंबर, *1992* के महीने में प्रकाशित मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त कटके समिति की रिपोर्ट सहित सामग्री थी जहां

जल, वायु और भूमि की सतह का पर्यावरणीय क्षरण साबित हुआ। इसलिए, अनुसूची *I* में पर्यावरण से संबंधित पर्याप्त प्रश्नों और अधिनियमों के उल्लंघन के संबंध में पर्याप्त आरोप थे। राज्य सरकार के समक्ष मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टों में पर्यावरण क्षरण की ओर इशारा किया गया था और न्यायाधिकरण ने कहा था कि इस मुद्दे को उठाते हुए, राज्य की ओर से यह निवेदन कि न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, राज्य से अपेक्षित नहीं है

सरकार जो अपने सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन है। संबंधित मामलों में

पर्यावरण संबंधी मामले में राज्य को सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए न कि अवरोधक के रूप में। राज्य के लिए यह निवेदन कि न्यायाधिकरण ने धारा *14* और *15* के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है

मनोरंजक *0*। *2014* का *A.No.73* अस्वीकार कर दिया गया है। *[* पारस *67,68,72] [373-*ई-एच*; 376-*ए*]*

टेची तागी तारा बनाम। राजेन्द्र सिंह भंडारी और
अन्य *(2018) 11* एससीसी *734: [2017] 12* एससीआर *956 -*

प्रतिष्ठित।

[2019] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, *1957* के प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों में लागू होते हैं मेघालय राज्य, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल*?*

2.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, *1971* द्वारा मेघालय राज्य का गठन पूर्ण स्वतंत्र राज्य के रूप में किया गया था।

राज्य। संविधान के प्रवर्तन के बाद, क्षेत्र, अब मेघालय राज्य में शामिल, असम राज्य में शामिल किया गया था, जिसके अनुसार क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण था

भारत के संविधान का अनुच्छेद *244* संविधान की छठी अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है। जहाँ तक मेघालय के पहाड़ी जिलों में भूमि कार्यकाल की बात है, संविधान के आने के बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। पहाड़ों में संविधान के आने से पहले भूमि राजस्व की कोई भुगतान प्रणाली नहीं थी

मेघालय के जिले। *[* पैरा *73] [376-*सी-ई*]*

सामुदायिक भूमि जो पूरे समुदाय के लाभ और उपयोग के लिए अलग रखी गई हो। री किन्टी भूमि निजी स्वामित्व वाली भूमि है जो समुदाय के साथ-साथ व्यक्तियों के स्वामित्व में भी थी। रे किंटी भूमि का स्वामी एक पूर्ण स्वामी है। जयंतिया पहाड़ियों में कार्यकाल प्रणाली को दो प्रकार की भूमि में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, हाली/सिंचित भूमि और ऊँची भूमि। हाली भूमि आगे है। राज भूमि, सेवा भूमि, ग्राम पूजा भूमि और निजी भूमि में वर्गीकृत। अधिकांश भूमि के संबंध में स्वामित्व अधिकार राज्य में निहित नहीं है जो या तो निजी स्वामित्व में हैं या

जनजातीय समुदाय के स्वामित्व में। मेघालय के पहाड़ी जिले में राज्य की भूमि को छोड़कर भूमि राजस्व के भुगतान की कोई प्रणाली प्रचलित नहीं है। मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में, अधिकांश भूमि या तो निजी या सामुदायिक स्वामित्व में है जिसमें राज्य किसी भी अधिकार का दावा नहीं करता है। इस प्रकार, भूमि के निजी मालिकों के साथ-साथ समुदाय के मालिकों के पास है

दोनों सतह दाएँ और उप-मिट्टी दाएँ। आदिवासियों के पास भूमि थी और उनके पास खनिज भी थे, जो अपरिहार्य है।

निष्कर्ष। *[* पारस *73,75] [376-*ई-जी*; 378-*ई-एफ*]*

थ्रेसियाम्मा जैकब और अन्य बनाम। भूविज्ञानी,
खनन और भूविज्ञान और अन्य विभाग *(2013) 9* एस. सी. सी. *725: [2013] 7* एस. सी. आर. *863-*संदर्भित।

मेघालय राज्य *v.* सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

और अन्य एआईआर *1967* एससी *1081 [1967]* एससीआर *373 -*

पीछा किया। *2.3*
संविधान का भाग *X* अलग से संबंधित है -

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों को जनजातीय क्षेत्र माना जाता था और उन्हें अनुसूची *VI* के साथ पठित अनुच्छेद *244* उपखंड *(2)* द्वारा शासित किया जाना था। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं।

त्रिपुरा और मिजोरम '। छठी अनुसूची के पैराग्राफ *20* में जनजातीय क्षेत्रों को संदर्भित किया गया है और भाग *II* में खासी हिल्स जिला, जयंतिया हिल्स जिला और गारो हिल्स जिला शामिल हैं।

स्वायत्त जिलों के रूप में संदर्भित। *[* पारस *76,77,78] [378-*जी-एच*; 379-*सी*]*

2.4 खान और खनिज *(*विकास और विनियमन*)*

अपवाद या संशोधन जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा पैरा *12* ए *(*बी*)* के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, हालांकि उक्त पैरा *12* ए *(*बी*)* संविधान में निम्नलिखित के साथ है - *21.1.1972* से प्रभाव। इस प्रकार, संविधान की छठी अनुसूची में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लागू न होने के बारे में संकेत दे।

मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों के संबंध में अधिनियम, *1957*। *31* मार्च, *2013* को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम, *1957* खानों के विनियमन और खनिजों के विनियमन के लिए पूरी तरह से लागू है

मेघालय राज्य में। *[* पारस *81 82,83] [381-*जी-एच*; 382-*सी-ई*; 383-*डी*]*

2.5 महघालय खानों और खनिजों का खंड *10*

नीति, *2012* "खदान विकास और खनन के लिए नियामक ढांचा" प्रदान करती है। खंड *10* के उपखंड *(*बी*)* के लिए आवश्यक है कि खनिज रियायत के लिए आवेदन या तो नया या नवीनीकरण *[2019] 8* एस. सी. आर. हो।

संबंधित जिला परिषद और भूमि मालिक से एन. ओ. सी. के साथ उस जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना, जिसके लिए आवेदन किया गया क्षेत्र स्थित है। खंड *10* प्रदूषण की निकासी को भी संदर्भित करता है।

मेघालय नियंत्रण बोर्ड और अन्य आवश्यकताएँ। उपखंड *(1)* ने आगे खनिज अनुदान के लिए उस आदेश पर विचार किया

जहां भी आवश्यक होगा, केंद्र सरकार की मंजूरी से राज्य सरकार द्वारा रियायतें जारी की जाएंगी। सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग ने एक राज्य में कोयला खनन गतिविधि के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जो केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया था। द.

दिशानिर्देशों के मसौदे में स्पष्ट रूप से अनियमित और मेघालय राज्य में अवैज्ञानिक खनन किया जा रहा है। *[* पारस *85-87] [383-F-H; 384-A-B]*

2.6 इस पूर्व स्थिति पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* को देखते हुए, राज्य की विधायी क्षमता मेघालय को प्रविष्टि *23* सूची *II* के तहत अस्वीकार कर दिया गया। हालाँकि, एमएमडीआर अधिनियम, *1957* के साथ-साथ खनिज रियायत नियम, *1960* के तहत, मेघालय राज्य को कई वैधानिक दायित्व/अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। जब ए के तहत

संसदीय अधिनियम, राज्य को कुछ वैधानिक दायित्व दिए गए हैं, संसदीय अधिनियमों द्वारा राज्य को प्रदत्त क्षेत्राधिकारों को प्रभावी बनाने या लागू करने के लिए नीति बनाने के लिए राज्य में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है। यह सच है कि राज्य द्वारा बनाई जाने वाली खनन नीति को एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र तक सीमित रखना होगा। खनन से संबंधित अन्य संबंधित मुद्दे हैं जैसे पर्यावरण और वनों की सुरक्षा जिसके लिए राज्य को अपने उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए अपनी नीति घोषित करनी होती है। खनन से संबंधित कई अन्य पहलुओं जैसे पुनर्वास, सुधार और बहाली को राज्य द्वारा प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है, जिसके लिए भी एक नीति तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। मेघालय खान और खनिज नीति, *2012* मेघालय राज्य द्वारा एनजीटी द्वारा निर्देश जारी किए जाने से पहले ही तैयार की जा चुकी थी। एन. जी. टी. के निर्देशों के अनुसरण में, इसका मसौदा तैयार किया गया था।

2015 के दिशानिर्देश, जो मेघालय राज्य द्वारा तैयार किए गए थे। इस प्रकार, मेघालय राज्य द्वारा खनन नीति घोषित करने के लिए एनजीटी का निर्देश *v.*

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

मेघालय को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, राज्य अपनी खनन नीति में केवल उन क्षेत्रों को शामिल कर सकता है जहाँ उसका अधिकार क्षेत्र एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत है। संपूर्ण नीति दस्तावेजों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि नीति राज्य द्वारा अधिनियम, *1957* और खनिज *(*रियायत*)* नियम, *1960* के अनुसार बनाई गई है। *[* पारस *89,90,91] [324-*एफ-जी*; 385-*ए-ई*]*

क्या मेघालय के पहाड़ी जिलों में निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि से खनिजों के खनन के लिए, एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* और खनिज रियायत नियम, *1960* के तहत खनन पट्टा प्राप्त करना एक वैधानिक आवश्यकता है*?* *3.1* अधिनियम, *1957* को सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि *54* सूची *I* के संदर्भ में अधिनियमित किया गया है। के तहत विधायी शक्ति

प्रविष्टि *23* संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास के संबंध में सूची *I* के प्रावधान के अधीन है। जब संघ ने अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की है

खानों का विनियमन और खनिजों का विकास अधिनियम में प्रदान की गई सीमा तक, उपरोक्त सीमा तक राज्य की विधायी शक्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है। अधिनियम की धारा *4* में सामान्य शामिल हैं

संभावना और खनन संचालन के उपक्रम पर प्रतिबंध। धारा *4* को निषेधाज्ञा के संदर्भ में जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा

धारा *4 (1)* के तहत भी महत्व है जिसका कोई अपवाद नहीं है। इसके अलावा वाक्यांश 'अधिनियम के तहत दिए गए खनन पट्टे के साथ नियमों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार को छोड़कर' भी महत्वपूर्ण हैं जो इरादे और उद्देश्य को बनाते हैं प्रतिबंध स्पष्ट और जोरदार है। *[* पारस *95,97,99,100] [386-*सी-एफ*; 387-*बी*; 388-*ए-बी*]*

3.2 धारा *5* में अनुदान पर प्रतिबंध है -

संभावित लाइसेंस और खनन पट्टा। धारा *[2019] 8* एस. सी. आर. का परंतुक

5 (1) इसमें एक और प्रतिबंध शामिल है कि केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा पहली अनुसूची के पैरा ए में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में कोई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। कोयला पहली अनुसूची के पैरा ए में है। धारा *13* में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। खनिजों का सम्मान। धारा के खंड *(ए)* और खंड *(एफ)* को पढ़ना

13 (2) यह स्पष्ट करता है कि जिन भूमि में खनिज निहित हैं, उनके संबंध में खनन पट्टा देने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं।

सरकार के साथ-साथ किसी भी भूमि के संबंध में जिसमें खनिज सरकार के अलावा व्यक्तिगत रूप से निहित हैं। इस प्रकार, वैधानिक योजना स्पष्ट है कि पट्टा भूमि की दोनों श्रेणियों के संबंध में दिया जा सकता है, भूमि जिसमें सरकार का स्वामित्व है।

3.3 केंद्र सरकार ने धारा *13* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं, जिनके नाम खनिज *(*रियायत*)* हैं। नियम, *1960*। धारा *13 (2) (*च*)* और खनिज *(*रियायत*)* नियम, *1960* द्वारा निरूपित वैधानिक योजना स्पष्ट रूप से विचार करती है

खनन पट्टा का अनुदान, भूमि की दोनों श्रेणियों के संबंध में, यानी वह भूमि जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं, और वह भूमि जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं।

सरकार। कोई अपवाद नहीं है कि जब मालिक स्वयं खनिजों को जीतना चाहता है तो उसे किसी खनन पट्टे की आवश्यकता नहीं होती है।

[पैरा *104,105] [390-*सी-डी*; 391-*बी*]*

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण पैरा *321-*संदर्भित।

3.4 'खनन पट्टा' शब्द को अधिनियम, *1957* के तहत विशिष्ट अर्थ दिया गया है। यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है

व्याख्या कि किसी शब्द की परिभाषा सहित किसी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ा सके। खनन पट्टा की आवश्यक विशेषता यह है कि इसे खनन संचालन के उद्देश्य से दिया जाता है और खनन संचालन का अर्थ है खनिज प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी संचालन। उक्त परिभाषा को लागू करना खनिज *(*रियायत*)* नियम, *1960* में अध्याय *V* के तहत, यह मेघालय *v* का राज्य है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि के संबंध में किसी भी खनन पट्टे पर विचार नहीं किया गया है जहां खनिज विशेष रूप से एक निजी व्यक्ति में निहित है।

[पैरा *111] [394-*ई-एफ*]*

श्री तारकेश्वर सियो ठाकुर जिउ बनाम। दार दास डे एंड कंपनी और अन्य *(1979) 3* एस. सी. सी. *106;* कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम। सुभाष रुक्मय्या गुट्टेदार और अन्य

(1993) 3 पूरक। एससीसी *290-*संदर्भित

3.5 खान अधिनियम, *1952* श्रम विनियमन और खानों की सुरक्षा से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने के लिए एक अधिनियम है। इस अधिनियम में विभिन्न प्रावधान हैं -

खनन संचालन और खानों के प्रबंधन का निरीक्षण। धारा *18* में मालिकों, एजेंटों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल हैं। और प्रबंधक। खान अधिनियम, *1952* में कई अन्य प्रावधान हैं जिनका किसी भी खदान में काम करने से पहले पालन करना अनिवार्य है। धारा *16* खदान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक को किसी भी खनन के शुरू होने से पहले नोटिस देने के लिए बाध्य करती है।

उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को संचालन जिसमें खदान स्थित है। खान अधिनियम, *1952* की धारा *75* भी जिला मजिस्ट्रेट को खानों के तहत किसी भी अपराध के लिए किसी भी मालिक, एजेंट या प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।

अधिनियम, *1952*। खान की धारा *57* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम, *1952* में विनियमों का एक नया समूह तैयार किया गया है, जिसका नाम कोयला खान विनियम, *2017* है। इन नियमों में कई शामिल हैं -

नियामक प्रावधान जिनका मालिक या उसके एजेंट द्वारा खदान का काम करते समय पालन करने की आवश्यकता होती है। मेघालय राज्य को जनहित में खान अधिनियम, *1952* और विनियम, *2017* का प्रवर्तन सुनिश्चित करना होगा। *[* पैरा *113,114,116,118] [394-*एच*; 395-*ए-डी*; 396-*ई-एफ*; 397-*सी-डी*]*

3.6 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* की धारा *3*

उसमें उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकताओं के लिए। अधिसूचना दिनांकित *14.09.2006* पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* की धारा *3 (3)* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। अधिसूचना की अनुसूची में उन परियोजनाओं या गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। मद संख्या *1 (*ए*)* में शामिल खनिजों का खनन, लेकिन खनन परियोजना के लिए भी न्यूनतम *5* हेक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता थी

परियोजना की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक। वस्तु संख्या *1 (*ए*)* को प्रतिस्थापित करना

मेघालय राज्य के पहाड़ी जिले को न केवल एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* बल्कि खानों का भी अनुपालन सुनिश्चित करना है अधिनियम, *1952* और साथ ही पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986*। *[* पारस *119-121] [397-E-G; 398-F-H]*

चाहे वह एमएमडीआर अधिनियम, *1957* और खनिज के तहत हो।

जिस भूमि में सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में खनिज निहित हैं, उसके संबंध में संभावित लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया। अध्याय *IV* में नियम *22* से *40* तक हैं और अध्याय *5* में नियम *41* से *52* शामिल हैं और अध्याय *4* में निहित खनन पट्टा और पट्टा अनुदान के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और तरीका अध्याय *5* में दी गई प्रक्रिया पर लागू नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि नियम *45 (i)* के आधार पर अध्याय *4* के तहत नियम *27* में निहित खनन पट्टा की कुछ शर्तों को अध्याय *5* के तहत खनन पट्टा के लिए लागू किया गया है।

4.2 नियम *22 (1)* में प्रावधान है कि भूमि के संबंध में खनन पट्टे के अनुदान के लिए एक आवेदन जिसमें खनिज निहित हैं

राज्य सरकार को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से प्रपत्र *I* में सरकार दी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे। अध्याय *5* में, ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके लिए मेघालय राज्य को पट्टे के लिए आवेदन करने की आवश्यकता हो।

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने की शर्तें, जिन पर पक्षों के बीच सहमति हो सकती है। उपरोक्त प्रावधान से संकेत मिलता है कि अध्याय *5* द्वारा निष्पादित पट्टे में नियम में *"*राज्य सरकार*"* शब्द को हटा दिया गया है। *45 (iii)* इस तथ्य का संकेत है कि जिन शर्तों को जोड़ा जाना है, उन पर पक्षों के बीच सहमति होनी चाहिए। नियम *45 (i)* में यह प्रावधान किया गया है कि नियम *27* के खंड *(*ग*)* और *(*घ*)* में *"*राज्य सरकार*"* शब्दों के स्थान पर *"*पट्टेदार*"* शब्द रखा जाएगा, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार अध्याय *5* के तहत दिए गए पट्टे में पट्टेदार नहीं है।

4.3 नियम *27 (5)* के तहत, यदि पट्टेदार रॉयल्टी के भुगतान या नियत किराए के भुगतान में कोई चूक करता है या

इस तरह के लाइसेंस या पट्टे के अनुदान के महीनों। राज्य सरकार को लाइसेंस या पट्टे की प्रति जमा करने की आवश्यकता यह इंगित करता है कि राज्य सरकार पट्टा देने वाली प्राधिकारी नहीं है, अन्यथा राज्य सरकार को एक प्रति जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यदि यह विचार किया गया था कि राज्य सरकार पट्टा प्रदान करेगी। *[* पैरा *126]*

[401 - बी-ई*]*

4.4 एमएमडीआर अधिनियम, *1957* से पहले, पहले केंद्रीय विधान जो इस क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा था, खान और खनिज था

(विनियमन और विकास*)* अधिनियम, *1948*, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा खनिज *[2019] 8* एस. सी. आर. नाम के नियम बनाए गए हैं।

रियायत नियम, *1949*। अध्याय *3* के नियम *14* पर विचार किया गया

अध्याय *IV* के नियम *27* के प्रावधानों में खनन पट्टे के लिए आवेदन का प्रावधान है और अध्याय *IV* के तहत कई अन्य नियम थे, जिन्हें नियम, *1960* के अध्याय *IV* में बरकरार रखा गया है। नियम, *1949* के अध्याय *V* में "निजी व्यक्तियों द्वारा खनिज रियायतों का अनुदान" शीर्षक शामिल था। का शीर्षक नियम, *1960* के तहत अध्याय *V* "उस भूमि के संबंध में एक पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं।" नियम, *1949* के अध्याय *5* के नियम *47* में "किसी मामले में शर्तों" का प्रावधान है।

खनन पट्टा ", जो नियम, *1960* के नियम *45* के समान हैं। नियम, *1949* का नियम *47 (iv)* नियम, *1960* के वर्तमान नियम *45 (i)* के समान था। *[* पैरा *127] [401*-जी-एच*; 402*-ए-सी*]*

4.5 इस प्रकार, नियम, *1949* का अध्याय *5* निजी व्यक्तियों द्वारा दिए गए खनन पट्टे से संबंधित है, यानी वह श्रेणी जहां खनिज सरकार के स्वामित्व में नहीं थे, बल्कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में थे। नियम, *1960* के अध्याय *5* में निम्नलिखित शामिल हैं -

काफी हद तक समान प्रावधान। इस प्रकार, नियम, *1960* के अध्याय *5* को निजी मालिकों के स्वामित्व वाले खनिजों से संबंधित माना जाना चाहिए। पहले की वैधानिक व्यवस्था, जिसे नियम, *1949* के अनुसार लागू किया गया था, ने यह स्पष्ट कर दिया था कि खनिज रियायतें निजी व्यक्तियों द्वारा भी दी जानी हैं, जो नियम, *1960* के अध्याय *V* में रखे गए पदार्थों में हैं। इस प्रकार, नियम, *1960* के अध्याय *5* के अनुसार दिया जाने वाला खनन पट्टा खनिज के मालिक द्वारा खनन पट्टा है और इसी तरह की अवधारणा को उधार लेकर अध्याय *5* में पढ़ा जाना चाहिए। नियम, *1960* के अध्याय *5* में राज्य सरकार को खनन पट्टे के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी प्रक्रिया का अभाव और पट्टेदार निजी व्यक्ति होने के नाते और

राज्य सरकार नहीं, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राज्य सरकार निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाले मालिकों की भूमि के संबंध में पट्टा नहीं देगी। *[* पैरा *128] [402*-एफ-एच*; 403*-ए*]*

4.6 कोई आवेदन नहीं देने का एक और कारण

खनिज पदार्थों के संबंध में खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार, जो निजी मालिकों और सामुदायिक राज्यों में निहित है।

मालिक यह है कि; खनिजों के निजी मालिकों/सामुदायिक मालिकों की सहमति या इच्छा के बिना, किसी भी प्राधिकरण को अधिकार नहीं है खनिज के संबंध में कोई भी खनन पट्टा प्रदान करें, जिसमें से वह है

उन्हें। *[* पारस *129,130] [403-*ए-डी*]* क्या मेघालय राज्य का मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि से कोयले के खनन पर कोई वैधानिक नियंत्रण है*?*

5.1 नियम *42 (2)* के अनुसार, पिछली मंजूरी को छोड़कर

केंद्र सरकार द्वारा, अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार, कोयले का खनन पट्टा देने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। नियम *63* में प्रावधान है कि केंद्र सरकार की मंजूरी राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए। इस प्रकार, राज्य सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोयला खनन के लिए केंद्र सरकार की कोई पूर्व मंजूरी प्राप्त की गई है या नहीं। इस प्रकार, प्रतिबंध वैधानिक होने के कारण और बिना किसी अपवाद के राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि कोयले के खनन के संबंध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। नियम *50* राज्य को अधिकार देता है।

केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ सरकार संबंधित पक्षों को कोई खनन नहीं करने का निर्देश देगी प्रचालन, यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि खनन पट्टा का अनुदान या हस्तांतरण अध्याय *5* के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन है। इस प्रकार, जब कोयले का खनन कार्य केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किया जा रहा है, तो राज्य पक्षों को क्षेत्र में कोई भी संभावित खनन कार्य नहीं करने का निर्देश देने में असमर्थ नहीं है। नियम *50* के तहत दी गई शक्ति न केवल सक्षम करने वाली शक्ति है, बल्कि जनहित में शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य पर एक वैधानिक दायित्व है।

राज्य सरकार को मुकदमा चलाने की पर्याप्त शक्ति देता है और

खनन पट्टों या उनके हस्तांतरणकर्ताओं या समनुदेशकों को नियमों के उल्लंघन या अध्याय के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर दंडित करें।

V, जो राज्य के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है कि अधिनियम का ईमानदारी से पालन किया जाए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने *31* मार्च, *2013* को समाप्त अपनी रिपोर्ट में पैरा *4.5* में राज्य को सलाह दी थी। *1* निम्नलिखित खानों और खनिजों द्वारा खनन को विनियमित करना

(विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1957*। *[* पैरा *133-136] [404-C-E, H; 405-A-B, E-G]*

2015 लेकिन फिर भी इस न्यायालय के समक्ष उनका यह तर्क कि मेघालय राज्य के पहाड़ी जिले में निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि के लिए कोई खनन पट्टा प्राप्त नहीं किया जाना है, अस्वीकार्य है और अच्छी भावना से नहीं है। हमारा देश संविधान द्वारा शासित हो रहा है भारत, सभी राज्यों को सही मायने में संसदीय अधिनियमों को लागू करना है और वर्तमान मामले में राज्य को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बार-बार सलाह दी गई है और अपने वैधानिक दायित्व से अच्छी तरह से अवगत होने के कारण राज्य की ओर से इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क देना गलत है कि खनिज प्राप्त करने के लिए खनन पट्टे की कोई आवश्यकता नहीं है। *[* पैरा*137] [405-*एच*; 406-*ए-सी*]*

क्या खनन उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित करने की शक्ति है

अनुसूची *VI* कानून को सातवीं अनुसूची की सूची *2* और सूची *3* के लिए संदर्भित करने की शक्ति है। विनियमन के संबंध में और खनिज का विकास, संघ ने *1957* के अधिनियम की धारा *2* द्वारा घोषणा की है और उस संबंध में राज्य विधानमंडल की शक्ति को अस्वीकार कर दिया गया है। उपरोक्त सिद्धांत का तार्किक परिणाम यह है कि स्वायत्त जिला परिषद की शक्ति भी मेघालय का राज्य होगी।

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

जहाँ तक खनिजों के विनियमन और विकास का संबंध है, उस हद तक अस्वीकार किया जाए जो *1957* के अधिनियम के अंतर्गत आता है। संयुक्त खासी जयंतिया हिल्स जिला *(*गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार*)* नियम, *1959* का नियम *4,*

जो लाइसेंस के रूप पर विचार करता है और नियम *4* के तहत निर्दिष्ट लाइसेंसों में से एक फॉर्म ई में लाइसेंस है।

[पैरा *138,139] [406-*एफ-एच*; 407-*ए-बी*]*

6.2 संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ी जिला *(*गैर-जनजातीय द्वारा व्यापार*)* नियम, *1959* को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि जयंतिया पहाड़ी जिलों का संबंध जयंतिया पहाड़ी स्वायत्त जिले से है।

संसदीय अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल। इस प्रकार, जिला परिषद के पास खनन पट्टा देने के संबंध में कोई कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। प्रमुख खनिज प्राप्त करने के लिए खनन पट्टों को *1957* के अधिनियम और खनिज रियायत नियम, *1960* के अनुसार दिया जाना है। *[* पारस *140-144] [407-E-F; 408-B, G-H; 409-A-B]*

क्या खनन पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश देने वाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का दिनांक *17.04.2014* का आदेश टिकाऊ नहीं है*?*

क्या एन. जी. टी. के निर्देशानुसार मेघालय राज्य में कोयले के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने/संशोधित करने के योग्य है।

राज्य और आदिवासियों के हित में*?*

7.1 प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। *[2019] 8* एस. सी. आर. में एक अच्छा संतुलन बनाए रखना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उनका संरक्षण और संरक्षण। एक को दूसरे के हित के लिए त्याग नहीं दिया जा सकता है। सतत विकास की अवधारणा विकसित की गई है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एन. जी. टी. दिनांक *17.04.2014* के आदेश से पूरे मेघालय राज्य में रैट होल खनन/अवैध खनन पर प्रतिबंध

लगा दिया गया था। *2014* के ओ. ए. *No.73* में, जिसमें कहा गया था कि आदेश पारित किया गया था, विशेषज्ञों सहित पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई थी।

रिपोर्ट जिसने साबित किया कि मेघालय राज्य में अवैध कोयला खनन पर्यावरण को खराब कर रहा है। एन. जी. टी. द्वारा मामले के तथ्यों में अपने प्रतिबंध आदेश की पुष्टि करने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। कोयला खनन से राज्य द्वारा अर्जित राजस्व राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि आदिवासी उस भूमि के मालिक हैं जो अपनी भूमि में कोयले का खनन करती है जिससे वे अपनी पर्याप्त आजीविका कमाते हैं। *[* पारस *146,147,150] [409*-एफ-जी*;*

410 - डी-ई*; 412*-बी-सी*]*

तमिलनाडु राज्य बनाम। मेसर्स हिंद स्टोन एंड अदर्स *(1981) 2* एस. सी. सी. *205: [1981] 2* एस. सी. आर. *742*-पर निर्भर।

लाफार्ज उमियम माइनिंग *(*निजी*)* लिमिटेड वी. भारत संघ और

अन्य *(2011) 7* एस. सी. सी. *338: [2011] 7* एससीआर *954*

—

संदर्भित किया गया।

7.2 हालाँकि जिस तरह से खनन किया जा रहा है

मेघालय राज्य का नियंत्रण और न्यायाधिकरण का दिनांकित *17.04.2014* प्रतिबंध आदेश खनन करने के रास्ते में नहीं आएगा। संचालन। प्रतिबंध का आदेश अवैध कोयला खनन के लिए है जो मेघालय राज्य में बड़े पैमाने पर था और इसे *1957* के अधिनियम और *1960* के नियमों के अनुसार वैध और कानूनी खनन तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। *[* पैरा*151] [412*-डी-एफ*]*

क्या एनजीटी के पास समितियों के गठन का कोई अधिकार क्षेत्र था

रिपोर्ट प्रस्तुत करना, एन. जी. टी. के आदेशों को लागू करना, खनिजों के भंडारण/परिवहन की निगरानी करना और मेघालय राज्य की कार्य योजना तैयार करना।

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

8.1 एन. जी. टी. अधिनियम की धारा *19* की उप-धारा *(1)* में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण निम्नलिखित द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा - सिविल प्रक्रिया संहिता लेकिन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित की जाएगी

प्राकृतिक न्याय। उप-धारा *(1)* का मतलब यह है कि न्यायाधिकरण अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए सी. पी. सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है। धारा *19* की उप-धारा *(2)*

न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां देता है। धारा *19 (4)* में कुछ शक्तियां निहित हैं जो दीवानी अदालत में निहित हैं, जब एक मुकदमे का मुकदमा चलाते समय, उसमें गिने गए मामलों

के संबंध में। "सी. पी. सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग यह कहने के समान नहीं है कि सी. पी. सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किसी भी तरह से न्यायाधिकरण के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, धारा *19 (1)* का यह भी मतलब नहीं है कि न्यायाधिकरण सी. पी. सी. में दी गई किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकता है। *1976* के अधिनियम *104* द्वारा *01.02.1977* से प्रभावी सी. पी. सी. का एक प्रावधान आदेश *XXVI* है, जो वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक है। *[* पैरा *154]*

[414 - ई-जी*]*

8.2 आदेश *XXVI* सी. पी. सी. के नियम *10* ए में यह प्रावधान है कि जहां किसी वाद में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न में कोई वैज्ञानिक जांच शामिल है, जो न्यायालय की राय में, न्यायालय के समक्ष सुविधाजनक रूप से आयोजित नहीं की जा सकती है, तो न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में आवश्यक या समीचीन समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक आयोग जारी कर सकता है जो वह उचित समझे, उसे ऐसे प्रश्न की जांच करने और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकता है। नियम *10* ए अदालतों को ऐसे व्यक्तियों से रिपोर्ट प्राप्त करने की शक्ति प्रदान कर रहा है जो किसी भी प्रश्न के वैज्ञानिक जांच से संबंधित होने पर उचित समझते हैं। नियम *10* ए के तहत शक्तियों का प्रयोग

एनजीटी द्वारा विशेषज्ञों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अदालत का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। एन. जी. टी. की वैधानिक योजना के अनुसार एन. जी. टी. को प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित कई जटिल प्रश्नों पर निर्णय लेना है। विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक जांच और रिपोर्ट प्रदूषण और पर्यावरण को ठीक करने के उपायों का पता लगाने के लिए सही निष्कर्ष पर आने के लिए उपयुक्त मामलों में आवश्यक आवश्यकताएं हैं। एनजीटी *[2019] 8* एस. सी. आर. में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति नियुक्त करना। विशेषज्ञ से पूछते समय

एक रिपोर्ट देने के लिए एनजीटी नियम *10* ए के चार कोनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अधिकार क्षेत्र इन सख्त शर्तों से बंधा नहीं है - आदेश *26* नियम *10* ए धारा *19 (1)* के अनुसार। *[* पैरा *155] [415-*सी-ई*]*

8.3 एन. जी. टी. अधिनियम, *2010* की धारा *35* के तहत केंद्र सरकार को इसे लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

अधिनियम के प्रावधान। धारा *35*, अर्थात् राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं। *(* अभ्यास और प्रक्रिया*)* नियम, *2011*। उक्त नियम धारा *4 (4)* के साथ-साथ धारा *35* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। नियम, *2011* न्यायाधिकरण की प्रथाओं और प्रक्रिया के लिए भी नियम हैं। *[* पैरा *156] [415-*एफ-जी*]*

8.5 नियम *24* न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश देने का अधिकार देता है।

या उसके आदेश को प्रभावी बनाने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे निर्देश दें जो आवश्यक या समीचीन हों। नियम *24* न्यायाधिकरण को न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए व्यापक शक्तियां देता

है। नियम *24* न्यायाधिकरण को न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित करने और निर्देश जारी करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। 'हो सकता है', 'ऐसे आदेश', 'ऐसे निर्देश देता है', 'जो आवश्यक हो या

समीचीन ',' अपने आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए ',' प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश ', ऐसे शब्द हैं जो न्यायाधिकरण को आदेश पारित करने में सक्षम बनाते हैं और उपरोक्त शब्द व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करते हैं। *[* पैरा *157] [416-*बी-सी*]*

8.4 नियम के तहत न्यायाधिकरण को सक्षम करने की शक्तियां दी गई हैं

किसी दिए गए मामले में न्याय करने के लिए शक्तियों की सीमा। शक्ति उन लोगों के लाभ के लिए प्रयोग करने के लिए दी जाती है जिनके पास स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है जो उन्हें पहले स्थापित करना है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण को दी गई शक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है।

मेघालय राज्य बनाम की कोई कमी नहीं है। सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

एन. जी. टी. के अधिकार क्षेत्र में समिति की नियुक्ति के लिए निर्देश देना या मामले के दिए गए तथ्यों में समिति से रिपोर्ट प्राप्त करना। *[* पैरा *159,160,161] [416-*ई-एच*; 417-*डी*]*

(1970) 2 एस. सी. सी. *355 [1971] 3* एस. सी. आर. *683-*पर निर्भर था।
प्रोफेसर न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने सांविधिक सिद्धांतों में

व्याख्या, *14* वां संस्करण-संदर्भित।

8.5 न्यायाधिकरण द्वारा "मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष" नामक एक कोष का गठन किया गया है।

एन. जी. टी. न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी आदेश या निर्देश पारित कर सकता था जो विशेष रूप से नियम *24* द्वारा निधि का गठन करने के लिए प्रदान की गई शक्ति को भी ऐसी शक्ति के तहत बचाया जाता है। *[* पैरा *162,163] [417-*ई*; 418-*डी-ई*]* क्या एन. जी. टी. ने समितियों का गठन करके समितियों को आवश्यक न्यायिक शक्तियां सौंपी हैं और आगे क्या है

संविधान के अनुच्छेद *244 (2)* और अनुच्छेद *275 (1)* और अनुसूची *VI* के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की संवैधानिक योजना का अतिक्रमण किया*?*

9.1 न्यायाधिकरण ने अपने विभिन्न निर्देशों द्वारा राज्य के अधिकारियों और समितियों से रिपोर्ट मांगी है। विभिन्न प्रकार के

ऐसे उदाहरण जहाँ एन. जी. टी. ने रिपोर्ट या जाँच का निर्देश दिया था

और समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उद्देश्य उसके द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और उसके समक्ष उठाए गए पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लेना था। किसी भी तरह से समिति के गठन को समिति को एनजीटी की आवश्यक न्यायिक शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कहा जा सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा कटके समिति का गठन किया गया था

31.08.2018 . समिति का गठन और उसके कार्य न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से सौंपे गए थे। पर्यावरण की बहाली के लिए, एनजीटी ने अपने दिनांकित *31.08.2018* के आदेश के माध्यम से समिति को अपनी कार्य योजना और ई-मेल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने समिति द्वारा उठाए जाने वाले सभी कदमों पर पूर्ण नियंत्रण रखा था और समय-समय पर निर्देश जारी किए थे। इस प्रकार, अपीलार्थी का निवेदन कि आवश्यक न्यायिक शक्तियाँ *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. जी. टी. को समिति को सौंप दिया गया था जो मान्य नहीं है। पर्यावरण की बहाली के विशाल कार्य की ओर ध्यान देना

जिसकी निगरानी मौके पर ही की जानी है और समिति का गठन किया गया था। तथापि, समिति के किसी भी कार्य से व्यथित होने पर राज्य विशेष निर्देश प्राप्त करने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है। अधिनियमों के न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामला

समिति न्यायाधिकरण के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है और यदि समिति किसी भी दिशा में कदम बढ़ाती है तो न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष लाए जा रहे मामले में इसे बहुत अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है। *[* पैरा *165-167] [418-G-H; 419-A, D-H; 420-A]*

9.2 . अपीलार्थी का यह मामला नहीं है कि जिला और क्षेत्रीय परिषदों ने पुनर्संचयित करने के लिए कोई कानून बनाया है।

केवल पर्यावरणीय क्षरण और अवैध कोयला खनन से संबंधित है। समितियों की रिपोर्ट या न्यायाधिकरण का निर्देश किसी भी तरह से जिला और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का अतिक्रमण नहीं करता है। *[* पैरा *168] [420-*डी-ई*]* क्या मेघालय राज्य द्वारा एन. जी. टी. के दिनांकित *04.01.2019* आदेश द्वारा *Rs.100/-* करोड़ जमा करने का निर्देश दिया गया है।

10.1 एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *31.08.2018* के आदेश द्वारा न्यायमूर्ति बी. पी. कटके, के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद के प्रतिनिधियों के साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय। द.

समिति ने विभिन्न स्थलों का दौरा किया, विभिन्न बैठकें कीं, मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य निकायों जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा समिति के समक्ष विभिन्न प्रस्तुतियाँ भी दी गईं। समिति ने पाया कि कोयला खनन गतिविधियाँ जिसमें कोयला निकालना और परिवहन शामिल है, मेघालय राज्य में चल रही है, कम से कम पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिले में, जहाँ इस तरह की खनन गतिविधियाँ हैं। अधिकांश, एन. जी. टी. द्वारा अपने दिनांक *17.4.2014* के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद। तथ्य यह है कि *13.12.2018* पर, *15* कोयला खदान श्रमिकों ने मेघालय बनाम.

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

वे एक चल रहे कोयला खनन अभियान में फंसे हुए थे, जिनके सभी के मृत होने की सूचना दी गई है, वे किसी भी संदेह से परे साबित करते हैं कि पूरे मेघालय राज्य में खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश न तो लागू किया गया था और न ही राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए थे। पुनर्स्थापना के संबंध में

पर्यावरण और पीड़ितों की बहाली, कार्य योजनाएँ थीं समिति द्वारा तैयार किया गया। *[* पैरा *169,171,174] [420*-ई-एफ*; 421*-सी-ई*; 422*-ई-एफ*; 423*-सी-डी*]*

10.2 रिपोर्ट को *31.12.2018* पर ही वेबसाइट पर रखा जा रहा था, इसलिए समिति की रिपोर्ट की प्रति हितधारकों को देने का कोई सवाल ही नहीं था। मेघालय सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वयं न्यायाधिकरण दिनांक *19.09.2018* के आदेशों के तहत समिति के सदस्य सचिव और समन्वयक थे। समिति की सभी कार्यवाहियां, इसकी बैठकें और कार्यवृत्त, मेघालय राज्य के समन्वयक/अतिरिक्त मुख्य सचिव की जानकारी और भागीदारी के साथ थे। मेघालय राज्य द्वारा दिनांकित *04.01.2019* आदेश द्वारा *Rs.100/-* करोड़ जमा करने के निर्देश का अवलोकन इंगित करता है कि हालाँकि मेघालय राज्य मौजूद था और उसकी सुनवाई की गई थी, लेकिन रिपोर्ट की स्वीकार्यता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। एन. जी. टी. द्वारा समिति के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट पर्यावरण प्रदूषण की सुरक्षा और क्षतिग्रस्त पर्यावरण की बहाली के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए थी। विभिन्न नदियों और धाराओं के प्रदूषण और अम्लीय जल के उपचार के लिए कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता थी। समिति के समक्ष कई प्रस्तुतियाँ

पर्यावरण की बहाली के संबंध में भी विभिन्न कदम उठाए गए थे जैसा कि समिति की रिपोर्ट में देखा और संकेत दिया गया था। एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *1* के आदेश द्वारा मेघालय राज्य के मुख्य सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में राज्य द्वारा बनाए जाने के लिए 'मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष' नामक एक कोष का गठन किया। समिति की रिपोर्ट में यह दोहराया गया है कि उक्त निधि में पहले से ही *1* करोड़ रुपये की राशि पड़ी है, जिसे खर्च नहीं किया गया है। *[* पारस *176-177] 423-F-H; 424-A-C]*

10.3 एनजीटी द्वारा मेघालय राज्य द्वारा जमा की जाने वाली राशि न तो जुर्माना है और न ही जुर्माना *[2019] 8* एस. सी. आर. है।

राज्य पर थोपा गया। इस राशि को पुनर्स्थापना के संबंध में कदम उठाने के लिए जमा करने का निर्देश दिया गया है।

पर्यावरण। उक्त राशि को राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षति की राशि नहीं कहा जा सकता है। मेघालय राज्य के पास राजस्व का बहुत सीमित स्रोत है और अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों और बजटीय राशि से *Rs.100* करोड़ का भुगतान करने के लिए मेघालय राज्य पर अतिरिक्त बोझ डालना बहुत बड़ा कारण बन सकता है।

मेघालय राज्य के लिए कठिनाई। एन. जी. टी. दिनांक *1* के निर्देश को इस हद तक संशोधित करने में न्याय का अंत किया जाना चाहिए कि राज्य को एम. ई. पी. आर. एफ. में पड़ी राशि में से *2* करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरित करने की अनुमति है। एन. जी. टी. के निर्देशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त ₹*1* करोड़ की राशि का उपयोग केवल पर्यावरण की बहाली के लिए करेगा। *[* पैरा*179] [424*-डी-जी*]*

क्या एन. जी. टी. का आदेश दिनांकित *31.03.2016* के बाद का है

15.05.2016 मेघालय राज्य में निहित सभी शेष कोयला टिकाऊ है*?*

11. धारा *4 (1)* के उल्लंघन में कोयले का खनन धारा *21* में उल्लिखित दंड को आमंत्रित करता है। वर्तमान है

ऐसा कोई मामला नहीं है जहां खनिकों पर किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाया गया है, सिवाय इसके कि कोयले के खनन पर देय रॉयल्टी की राशि राज्य द्वारा जुर्माने के रूप में एकत्र की जा रही है। यह सच है कि राज्य सरकार के पास धारा *21 (5)* के तहत ऐसे व्यक्ति से इस तरह से उठाए गए खनिजों की वसूली करने की शक्ति है, या जहां ऐसी सामग्री का पहले ही निपटान कर दिया गया है, तो उसकी कीमत वसूल कर सकती है और ऐसे व्यक्ति से किराया, रॉयल्टी या कर भी वसूल कर सकती है, लेकिन यह राज्य सरकार पर है कि वह धारा के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करे।

21 (5) दंड के रूप में। एन. जी. टी. ने कोई कारण नहीं बताया है कि राज्य में कोयला अपने आप कैसे निहित हो जाएगा। का अधिकार

धारा *21 (5)* के तहत खनिज की वसूली पर विचार किया गया है।

उस खनिज को पुनर्प्राप्त करें जिसे बिना किसी वैध अधिकार के उगाया गया है। इस प्रकार, *15.05.2016* के बाद निकाला गया और खुले में पड़ा हुआ कोयला स्वतः राज्य में निहित नहीं था और कोयले के मालिक या जिस व्यक्ति ने कोयले का खनन किया है, उसके पास होगा खनिज में स्वामित्व का अधिकार जो खोया नहीं जाएगा। *[* पैरा *182 [[486*-ई-एच*]* मेघालय राज्य *v.*

सभी दीमासा छात्र संघ, दीमा-हासाओ जिला समिति

क्या मेघालय के विभिन्न जिलों में पहले ही निकाला जा चुका और पड़ा हुआ मूल्यांकन और गैर-मूल्यांकन कोयला परिवहन की अनुमति दी जाए और ऐसे कोयले के निपटान के लिए क्या तंत्र अपनाया जाए*?*

12.1 मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में विभिन्न स्थानों पर पड़े पहले से निकाले गए कोयले के परिवहन के लिए निर्देश की मांग करने वाले विभिन्न आवेदकों द्वारा कई आई. ए. दायर किए गए थे। राज्य सरकार ने खुद यह मामला उठाया कि चार पहाड़ी जिलों में बड़ी मात्रा में कोयला, जिसे निकाला गया है, परिवहन के आदेशों की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है। तत्काल मामले में, एनजीटी द्वारा अपने दिनांक *17.04.2014* के आदेश द्वारा प्रतिबंध के बावजूद अवैध कोयला खनन चल रहा है। कटके समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभिन्न जिलों में पड़ा हुआ सभी निकाला गया कोयला एक कोयला है, जिसे दिनांक *1* के आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अवैध रूप से खनन किया गया है। सभी कोयले का अवैध रूप से खनन होने के कारण, राज्य को रॉयल्टी और एम. ई. पी. आर. कोष की राशि प्राप्त करने के लिए जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार है। कोयला प्रमुख खनिज है और विभिन्न उद्योगों और परियोजनाओं के लिए उपयोगी है, उचित निपटान

निकाले गए कोयले का भी सर्वोपरि महत्व है। *[* पारस *183,184,185] [427*-ए*; 429*-डी*; 430*-ए*]*

12.2 विभिन्न स्थानों पर पड़े पूरे निकाले गए कोयले को भारत सरकार की इकाई कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित करने का निर्देश दिया गया है।

जो निपटान की अपनी सामान्य विधि के अनुसार इसका निपटान कर सकता है और आय को इस न्यायालय द्वारा इसके बाद जारी किए गए निर्देशों के अनुसार वितरित किया जाएगा। एनजीटी ने पहले ही निर्देश दिया है कि विभिन्न स्थानों पर पड़े सभी निकाले गए कोयले के लिए, यह राज्य है, जो कोयले का प्राप्तकर्ता-सह-संरक्षक है। राज्य ने उक्त चार जिलों में पड़े कोयले का आकलन किया है। मात्रा के विवरण और उसके पास उपलब्ध मालिकों के विवरण सहित, यह सुनिश्चित कर सकता है कि पूरा कोयला कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया जाए, कटके समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले तरीके और तरीके के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड और मेघालय राज्य के अधिकारियों के परामर्श से। काताके समिति और इसके विभिन्न सदस्य और प्रतिभागी

मेघालय राज्य में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और परीक्षण करने में सराहनीय काम किया है और समिति द्वारा कई मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं, जो *[2019] 8* एस. सी. आर.

पीड़ितों की पीड़ा को कम करने के लिए भी लागू किया जा रहा है अवैध कोयले के खनन के परिणामस्वरूप नागरिक। *[* पैरा *186,187] [430-*ए-ई*]*

12.3 कोयला अधिकारियों के साथ खनन और भूविज्ञान विभाग में राज्य के आयुक्त और सचिव

इंडिया लिमिटेड को कटके के साथ विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन के लिए एक व्यापक योजना को अंतिम रूप देने और कोल इंडिया लिमिटेड के नियमों के अनुसार निपटान/नीलामी के लिए कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड को सौंपने के लिए समिति। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निपटान/नीलामी खानों के मालिकों के साथ-साथ मेघालय राज्य के लिए भी फायदेमंद होगी। यह कोल इंडिया लिमिटेड को तय करना है कि वे कोयला कहाँ प्राप्त करेंगे, यानी उसके किसी भी डिपो या मेघालय राज्य में किसी अन्य स्थान पर और यह कोल इंडिया लिमिटेड को निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है और

कोयले की नीलामी। यह मेघालय राज्य और उसके अधिकारियों, विशेष रूप से क्षेत्र के उपायुक्त का कर्तव्य होगा।

कोयले की मात्रा, मालिक का नाम और वह स्थान जहाँ से इसे एकत्र किया जाता है, का विवरण दर्ज करने के लिए संबंधित। कोल इंडिया लिमिटेड भी कोयले का वजन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा जब यह होगा। उसके द्वारा प्राप्त और चूंकि निपटान के संबंध में सभी परिणामी कदम,

कोयले का मूल्य ग्रेड कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न स्थानों से प्राप्त कोयले के वजन के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। परिवहन का खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाएगा

मेघालय, कोल इंडिया लिमिटेड या दोनों द्वारा, जो खर्च कोयले की प्राप्त कीमत से कटौती योग्य होगा। राज्य का

मेघालय रॉयल्टी और एम. ई. आर. पी. कोष के साथ-साथ कोयले की कीमत से करों के भुगतान का हकदार होगा। परिवहन की लागत में कटौती, रॉयल्टी का भुगतान और एम. ई. आर. पी. कोष को भुगतान और उपरोक्त प्रक्रिया के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को दिए जाने वाले कोयले के मूल्य का *10* प्रतिशत करों के साथ शेष राशि कोयले के मालिक को उसके मूल्य के लिए वितरित की जाएगी, जो राज्य की जिम्मेदारी होगी। कोल इंडिया लिमिटेड कोयले की कीमत के *10* प्रतिशत के साथ परिवहन के लिए अपना खर्च लेने के बाद पूरी राशि राज्य को भेजेगा और यह रॉयल्टी में कटौती करने और राज्य को भुगतान करने के बाद राज्य के लिए है।

मालिक को राशि की शेष राशि का भुगतान करने के लिए एम. ई. आर. पी. निधि और कर। कोयला, जिसे राज्य द्वारा अवैध परिवहन या अवैध खनन में जब्त किया गया है, जिसके लिए अलग-अलग मामलों में मेघालय बनाम।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति

हालाँकि, राज्य द्वारा पंजीकृत किए गए कोयले पर अधिनियम, *1957* की धारा *21* के अनुसार राज्य द्वारा कार्रवाई की जाएगी और संतुष्ट होने पर, राज्य वैध प्राधिकरण के बिना अवैध रूप से उठाए गए कोयले की पूरी मात्रा की वसूली करने का निर्णय ले सकता है और उक्त मामलों को कानून के अनुसार अलग से निपटाया जाना है। इस प्रकार, आदेश की मांग करने वाले विभिन्न आवेदकों द्वारा दायर सभी आई. ए. विभिन्न मात्राओं का परिवहन ऊपर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निपटाया जाता है। कटके समिति मेघालय राज्य और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के परामर्श से उपरोक्त तरीके से कोयले के परिवहन और निपटान को प्रभावित करने के लिए उचित तरीके और तरीके को अंतिम रूप देगी। *[* पारस *188-190] [430-E-H; 431-A-D]*

मामला कानून संदर्भ

[2017] 12 एससीआर *956*

प्रतिष्ठित

पैरा *69*

[2013] 7 एससीआर *863*

संदर्भित किया गया है

पैरा *73*

[1967] एससीआर *373*

पीछा किया।

पैरा *74*

(1979) 3 एस. सी. सी. *106*

संदर्भित किया गया है

पैरा *108*

(1993) 3 पूरक। एस. सी. सी. *290* संदर्भित

पैरा *110*

[1981] 2 एससीआर *742*

उस पर भरोसा करें

पैरा *145*

[2011] 7 एससीआर *954*

संदर्भित किया गया है

पैरा *146*

[1971] 3 एससीआर *683*

उस पर भरोसा करें

पैरा *160*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील *No.10720*

2018 का

राष्ट्रीय संविधान के *31.08.2018* दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के मूल आवेदन संख्या *73* में नई दिल्ली में हरित न्यायाधिकरण

के साथ

सिविल अपील सं। *10611/2018* , *10907/2018* , *5272/2016* , *2968/2019* ,

2019 की सिविल अपील *No.5295 @D. No.3067/2018*।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., शेखर नाफडे, राजू रामचंद्रन,

अमरेंद्र शरण, कॉलिन गोंजाल्विस, संजय आर. हेगड़े, अनुपम लाल दास, निधेश गुप्ता, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, आर. बसंत, सिद्धार्थ लूथरा, *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री एड. , अमित कुमार, ए. जी. *(*मेघालय राज्य*)*, समर्थ खन्ना, सुश्री एकता गुप्ता, सुश्री सुकृति भटनागर, दुर्गा दत्त, शौर्य सहाय, अतुल कुमार, सुश्री रेखा बख्शी, टी. के. नायक, प्रकाश सिंह नेगी, चेतन जोशी, सुश्री लक्ष्मी अय्यर, अभिकल्प प्रताप सिंह, कुमार अभिषेक, अविजीत मणि त्रिपाठी, योगिंदर हांडू, पी. योबिन, प्रशांत भटनागर, सौरभ, पृथ्वी पाल, नरेश कुमार नगर, अमित कुमार, अविजीत रॉय, वी. सेंथिल कुमार, सतीश कुमार, तीर्थे गौड़ा एन. एम., *G.Sughumaran,*

मिश्रा, डॉ. गजेंद्र पाल सिंह, सुश्री ओलिविया बंग, सत्य मित्रा, अरविंद कुमार शर्मा, अहंतेम हेनरी, ए. रोहेन सिंह, विवेक कुमार, फिलेमन एन., कुमार मिहिर, सुश्री अरुणा माथुर, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, अवनीश अर्पुथम, सुश्री गीतांजलि, मैसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, सुश्री वंदना सहगल, सुश्री जपनीत कौर, सुश्री वृति गुजराल, सुश्री पल्लवी सिंह, दिलीप टंडन, सुश्री नेहा टंडन, आर. बी. फूकन, शैलेश मडियाल, सुभ्रो सान्याल, सुश्री सौम्या रूप सान्याल, सोमेश चंद्र झा, समीर कुमार, सुश्री हीना रोहरा, निरनय गुप्ता, कवालजीत सिंह भाटिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. *1.* देश के प्राकृतिक संसाधन हैं -

यह केवल उस क्षेत्र के पुरुषों या महिलाओं की वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपभोग करने के लिए नहीं है जहां प्राकृतिक संसाधन जमा हैं। प्रकृति के ये खजाने आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए और पूरे देश के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए हैं। वर्तमान पीढ़ी का संरक्षण करना कर्तव्य है

और राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ताकि इसका उपयोग आने वाली पीढ़ियों के साथ-साथ देश के हित में भी किया जा सके।

एक पूरा।

2. ये अपीलें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं जिनमें कई निर्देश जारी किए गए थे।

मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अनियंत्रित कोयला खनन को रोकने और उससे निपटने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप न केवल लोगों की जान गई, बल्कि क्षेत्र के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा।

अपीलों का विवरण

3. सिविल अपील सं। *10720 2018* के *10611* और *2018* के *10907* को *31.08.2018* के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

सिविल अपील स्टेट ऑफ मेघालय *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित *10.05.2016* आदेश के खिलाफ के. ए. हिमा नोंगस्टॉइन भूमि मालिकों, कोयला व्यापारियों और उत्पादक संघ द्वारा *2016* का *No.5272* दायर किया गया है। *2018* की सिविल अपील *(*डायरी *No.3067)* राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के

दिनांकित *25.03.2015* आदेश के खिलाफ लेबर लालू द्वारा दायर की गई है और *2019* की सिविल अपील *No.2968* राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित *04.01.2019* आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा मेघालय राज्य को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ *Rs.100* करोड़ जमा करने का निर्देश दिया गया है।

4. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण *(*एनजीटी*)* के आदेशों के खिलाफ दायर सभी अपीलों पर ध्यान देना आवश्यक है अपीलों में उठाई गई शिकायतों की सराहना करने के लिए एनजीटी के समक्ष कार्यवाही। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक समाचार के आधार पर कहा कि दक्षिण गारो पहाड़ी जिले के नोंगलबिब्रा में एक कोयला खदान के अंदर *30* कोयला मजदूर फंसे हुए थे और उनमें से *15*

कोयला खदान के अंदर मृत्यु हो गई, दर्ज की गई पी. आई. एल. सुओ मोटो नं. *(*एसएच*) 2012* का *3.* गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक *2* के आदेश के माध्यम से मामले को एनजीटी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा *1* पर नोटिस जारी किया गया था। हस्तांतरित मामला मूल आवेदन *NO.11 (*टीएचसी*)/2012* के रूप में दर्ज किया गया था। ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन दीमा हसाओ जिला समिति ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ के समक्ष *2014* का एक मूल आवेदन दायर किया, जिसमें मेघालय राज्य के जयंतिया पहाड़ियों में पिछले कई वर्षों से चल रहे चूहे-छेद खनन संचालन के संबंध में गंभीर शिकायतें की गई हैं।

किसी भी कानून द्वारा विनियमित। यह आरोप लगाया गया था कि चूहे-छेद कोयला खनन के दौरान बाढ़ के पानी से कई कर्मचारियों और श्रमिकों की मौत हो गई है।

आवेदक ने न्यायाधिकरण के समक्ष डॉ. ओ. पी. सिंह, प्रोफेसर, पर्यावरण अध्ययन विभाग, उत्तर-पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय की एक विस्तृत रिपोर्ट भी लाई थी, जिसमें मेघालय राज्य में कोयला खनन के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी। एनजीटी ने आवेदन को स्वीकार किया और यह विचार रखा कि अवैध और अवैज्ञानिक खनन को न तो क्षेत्र के लोगों, खानों में काम करने वाले लोगों के हित में माना जा सकता है और न ही क्षेत्र के लोगों के हित में।

पर्यावरण। आवेदक को सुनने के बाद, न्यायाधिकरण ने *17.04.2014* पर मेघालय के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मेघालय राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया कि पूरे मेघालय राज्य में चूहे-छेद खनन/अवैध खनन को तुरंत रोक दिया जाए और कोयले का कोई भी अवैध परिवहन *[2019] 8* एस. सी. आर. द्वारा पारित अगले आदेश तक नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण। दिनांक *17.04.2014* के आदेश के पारित होने के बाद विभिन्न संघों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष विभिन्न आवेदन दायर किए गए और

आवेदन के विषय में रुचि का दावा करने वाले व्यक्ति। आवेदन संख्या *317/2019* पश्चिमी कोयला खनिक और निर्यातक संघ द्वारा *2014* के *O. A. No.73* में शामिल किए जाने के लिए दायर किया गया था, जिसकी अनुमति दी गई थी। *2014* का एक अन्य आवेदन *M.A.No.306* खासी हिल्स जिला स्वायत्त जिला परिषद, शिलांग, पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय *(*हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं में से एक*)* द्वारा एक संवैधानिक निकाय होने का

दावा करने के लिए दायर किया गया था और मुख्य रूप से उत्पादित/खनन किए गए कोयले पर रॉयल्टी के बंटवारे का हकदार था, जिसके लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी।

5. न्यायाधिकरण ने *2014* का *O.A.No.13,2014* का *O.A.No.73* और *O.A.No.11 (THC)/2012* को जोड़ दिया। विविध आवेदन दायर किए गए थे

न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांकित *17.04.2014* आदेश को खाली करने का अनुरोध करते हुए। *2014* के *17.04.2014* के आदेश के खिलाफ, एक कोयला खदान के मालिक द्वारा *C.A.No.5756* दायर किया गया था। मेघालय के जयंतिया हिल्स जिले की राज्य समन्वय समिति द्वारा भी विविध आवेदन दायर किया गया था।

(हमारे सामने अपीलकर्ताओं में से एक*)* उनके अभियोग के लिए, जिसकी अनुमति दी गई थी। इस अदालत ने आदेश के खिलाफ दायर दीवानी अपील को खारिज कर दिया

तथापि, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक *1* ने अपीलार्थी को आदेश में संशोधन के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की। द.

न्यायाधिकरण ने अपने दिनांकित *09.06.2014* के आदेश में यह भी देखा कि इसके कारण गंभीर वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।

पर्यावरण, विशेष रूप से धाराओं और भूमिगत जल, लेकिन मानव स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। यह भी देखा गया कि कोयले का परिवहन अवैध, अनियमित, अंधाधुंध और अवैज्ञानिक तरीके से लोगों को गंभीर बीमारियाँ हुई हैं। न्यायाधिकरण ने समिति की दिनांकित *09.06.2014* की रिपोर्ट पर ध्यान दिया। परिवहन की अनुमति देते हुए दिनांक *09.06.2014* के आदेश द्वारा

खनन स्थलों के पास खुले में पड़ा हुआ कोयला पहले ही निकाला जा चुका है और इस तरह के परिवहन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति के साथ-साथ राज्य और उसके अधिकारियों को कई अन्य निर्देश जारी किए गए थे।

मेघालय राज्य *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

6. एक बाद के आदेश दिनांक *01.08.2014* द्वारा न्यायाधिकरण ने देखा

कि पहले दिनांक *1* के आदेश द्वारा गठित समिति उसे सौंपे गए कार्यों को करने में विफल रही, इसलिए, एक नई समिति का गठन किया गया। न्यायाधिकरण समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी करता रहा है। हमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित चार आदेशों पर विस्तार से ध्यान देने की आवश्यकता है जो इन अपीलों में चुनौती का विषय हैं। इन अपीलों में जो आदेश विषय वस्तु हैं, वे दिनांकित *25.03.2015,10.05.2016,31.08.2018* और *04.01.2019* हैं।

दिनांकित आदेश *25.03.2015*

7. दिनांकित *25.03.2015* एनजीटी के आदेश में देखा गया कि बड़े पैमाने पर,

मेघालय राज्य में अवैध, अवैज्ञानिक और जानलेवा खनन गतिविधि, विशेष रूप से चूहे के छेद का खनन वर्षों से चल रहा है। एनजीटी ने अपने द्वारा नियुक्त आयुक्त की रिपोर्ट को देखा और राय दी कि *17.04.2014* के आदेश के बावजूद नए सिरे से खनन चल रहा था। न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि मेघालय राज्य ने *2012*

की एक खनन नीति जारी की है जो चूहे के छेद खनन से संबंधित नहीं है। राज्य सरकार को खनन के सभी पहलुओं से निपटने के लिए मेघालय राज्य के लिए खनन नीति और दिशानिर्देश तैयार करने और घोषित करने का भी निर्देश दिया गया।

नीति अभी तक प्रकाश में नहीं आई थी। न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि पूर्ण निषेधात्मक आदेशों के बावजूद अवैध खनन द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन किया गया है। यह देखा गया कि राज्य सरकार

एक जिले में कोयले के अवैध परिवहन के *73* मामले पाए गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा एनजीटी के आदेशों के विशिष्ट उल्लंघन के *15* और मामले पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। मेघालय राज्य के सभी *11* जिलों में उल्लंघन के *308* मामले दर्ज किए गए हैं और कुल *605* ट्रक और *1* टन कोयला जब्त किया गया है। अनुपालन न करने और निर्देश का पालन करने में असमर्थता के लिए राज्य के रुख को भी निम्नलिखित प्रभाव से देखा गयाः

"(क*)* विद्रोह विरोधी अभियान चलाने के लिए बलों की कमी

और एन. जी. टी. के आदेशों का कार्यान्वयन।

(ख*)* राज्य सरकार ने भारत के संविधान की छठी अनुसूची के पैरा *12* ए *(*बी*)* के संदर्भ में छूट का दावा करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का प्रस्ताव किया है।
कोयले की टोही, संभावना और खनन के संबंध में खान और खनिज नियम विनियमन अधिनियम, *1957* के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की शर्त

कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम का संचालन। *"[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. न्यायाधिकरण ने निर्देश जारी किए कि गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार में पूर्वोत्तर के अतिरिक्त सचिव, दो सप्ताह की अवधि के भीतर, मेघालय राज्य के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ एक बैठक करेंगे और मेघालय राज्य के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। न्यायाधिकरण ने उचित नीति और दिशा-निर्देश तैयार नहीं करने में राज्य के आचरण के लिए भी अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि राज्य में खनन की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उचित नीति तैयार नहीं की जाती है। *9.* न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि मेघालय राज्य में पर्यावरण का भारी क्षरण और जल प्रदूषण हो रहा है और कहा कि प्रदूषित जल निकायों की सफाई के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, उपरोक्त उद्देश्य के साथ न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार को कोयले के बाजार मूल्य पर *10* प्रतिशत एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थेः

" यह भी निर्विवाद है कि राज्य में भारी पर्यावरणीय क्षरण और जल निकायों का प्रदूषण हुआ है।

मेघालय, इस अवैध, अवैज्ञानिक खनन के कारण। किसी ने भी इस क्षेत्र की बहाली के बारे में नहीं सोचा है, ताकि कुछ हद तक, यदि पूरी तरह से नहीं, तो पारिस्थितिकी की बहाली हो सके और

विचाराधीन पर्यावरण। प्रदूषित जल निकायों की सफाई के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस गतिविधि से आगे कोई प्रदूषण न हो और

कोयले के परिवहन सहित जिस गतिविधि को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। 'प्रदूषक वेतन सिद्धांत' के आधार पर। हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उसे देय रॉयल्टी के अलावा, प्रत्येक खेप के लिए कोयले के बाजार मूल्य पर *10* प्रतिशत भी एकत्र करेगी।

पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और केंद्र सरकार की दिनांक *10.05.2012* और राज्य सरकार की दिनांक *22.06.2012* की अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम देख सकते हैं कि अध्याय *7* के *7.5.18* के तहत *31* मार्च, *2013* को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोयले का चालान मूल्य है

रुपये ले लिए गए। *4850 / -* प्रति मीट्रिक टन।

इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उसे देय रॉयल्टी के अलावा, मेघालय राज्य के उक्त बाजार मूल्य का *10* प्रतिशत भी एकत्र करेगी।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[अशोक भूषण, जे.]*

प्रत्येक व्यक्ति से प्रति मीट्रिक टन कोयले का। इस तरह की राशि

संग्रहित राशि को 'मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष' नामक खाते में जमा किया जाएगा, जिसका रखरखाव किया जाएगा।

मुख्य सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में राज्य द्वारा

मेघालय राज्य।

इस राशि का उपयोग केवल पर्यावरण की बहाली और पर्यावरण और उससे संबंधित मामलों के संबंध में आवश्यक उपचारात्मक और निवारक उपायों के लिए किया जाएगा।

10. न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक *25.03.2015* के आदेश के माध्यम से कुछ अन्य निर्देश जारी किए गए थे।

दिनांकित आदेश *10.05.2016*

11. के. ए. हिमा नोंगस्टॉइन लैंड ओनर्स, कोल ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा दिनांकित *10.05.2016* आदेश को चुनौती दी गई है। एनजीटी ने अपने दिनांक *23.12.2015* के आदेश के अनुसार *15.05.2016* तक की अवधि के लिए कोयले के परिवहन की अनुमति दी थी। दिनांक *31.03.2016* के आदेश द्वारा, एनजीटी ने परिवहन के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि *15.05.2016* के बाद निकाला गया सभी कोयला राज्य में निहित होगा। के. ए. हिमा नोंगस्टॉइन भूमि मालिकों के दिनांकित आदेश के खिलाफ पीड़ित, कोयला व्यापारी और उत्पादक संघ ने इस न्यायालय के समक्ष *2016* का आई. डी. *2* दायर किया, जिसे अपीलार्थी को एन. जी. टी. के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देकर निपटाया गया। *2016* के इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार एन. जी. टी. के समक्ष दायर किया गया था। दिनांकित *10.05.2016* आवेदनों द्वारा, *2016* के *M. A. Nos.400* और *427* को खारिज कर दिया गया था। उसी आदेश द्वारा मेघालय राज्य को कोयले की सटीक वर्तमान मात्रा और उसके मूल्य को दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें मेघालय राज्य में कहीं भी पड़े और खनन किए गए कोयले की स्थिति *01.04.2015* और *16.05.2016* पर पड़े कोयले की सटीक मात्रा शामिल है। राज्य को यह भी निर्देश दिया गया कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे कि राज्य उस कोयले से कैसे निपटेगा जो मुख्य रूप से इन कारणों से राज्य में निहित है कि पूरा कोयला अवैध रूप से निकाला गया है।

दिनांकित आदेश *31.08.2018*

12. 31.08.2018 पर, न्यायाधिकरण ने पहले की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए यह भी नोट किया कि इस न्यायालय के समक्ष कुछ मुद्दे लंबित हैं जो निम्नलिखित से उत्पन्न होते हैं -

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश। आदेश के पैराग्राफ *10* में निम्नलिखित ध्यान दिया गया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. इस स्तर पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित मुद्दे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैंः

i) सिविल अपील सं. *5272/2016* का हिमा नोंगस्टोइन भूमि मालिक, कोयला व्यापारी और उत्पादक संघ बनाम ऑल डिमासा छात्र संघ, दीमा हसाओ जिला समिति और अन्य। , जिसमें निम्नलिखित आदेश *21.09.2016* पर पारित किया गया थाः

"पक्षों के वकील को सुनने के बाद, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं, साथ ही साथ उत्तरदाताओं, जिन्होंने खनन किया है

कोयले को, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित रॉयल्टी और अन्य शुल्कों के भुगतान पर कोयले के परिवहन की अनुमति है *(*

संक्षिप्त में, *'*न्यायाधिकरण*')* और अन्य प्रासंगिक स्थिति। निकाले गए कोयले का परिवहन *1* अक्टूबर, *2016* से *31* मई, *2017* तक किया जा सकता है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि कोई अन्य निष्कर्षण नहीं लिया जाएगा।

इस बीच जगह। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि कोयला इस आधार पर राज्य में निहित है कि यह अवैध रूप से निकाला गया कोयला है, अंतिम सुनवाई के समय स्वीकार किया जाएगा। खनिकों को रखना होगा

यदि अंततः यह माना जाता है कि कोयला राज्य का है, तो वे ब्याज के साथ राशि वापस कर देंगे। ब्याज की मात्रा अंतिम सुनवाई के समय निर्धारित की जाएगी।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये टिप्पणियां पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उठाए जाने वाले तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना की गई हैं। न्यायाधिकरण अन्य पहलुओं के संबंध में आगे बढ़ सकता है जो उसके समक्ष लंबित हैं।

उपरोक्त आदेश से पता चलता है कि क्या कोयला राज्य में निहित है, इस सवाल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार किया जाना है।

इसके बाद, उक्त आदेश द्वारा *28.03.2018* पर, पहले से निकाले गए कोयले के परिवहन का समय *31.05.2018* तक बढ़ा दिया गया।

लेकिन यह स्पष्ट था कि आगे निष्कर्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) सिविल अपील डायरी सं. *3067/2018* जिसका शीर्षक लेबर लालू बनाम है। ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन, दीमा हसाओ जिला समिति और अन्य। , यह सवाल उठाते हुए कि क्या खनन पर प्रतिबंध जारी रखा जा सकता है। हमें सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में खनन योजना का मुद्दा भी उठाया गया है। टी. ई. ऑफ मेघालय बनाम.

13. न्यायाधिकरण ने आगे निर्देश दिया कि चूहे के छेद के खनन पर प्रतिबंध इस न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन होगा। सी. टी. ई. डी. कोयले के परिवहन पर प्रतिबंध भी आगे के आदेशों के अधीन जारी रहेगा। इसके बादपैराग्राफ *13* में जारी किए गए थेः

" 13. तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि चूहे-छेद खनन पर प्रतिबंध के आदेश जारी रहेंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन होंगे। पहले से ही खनन की गई सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन रहेगा। मेघालय राज्य आज की तारीख तक उपलब्ध निकाले गए कोयले का प्राप्तकर्ता/संरक्षक होगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगे के आदेशों के अधीन होगा। यदि इन्वेंट्री में अब तक दर्ज नहीं किया गया कोई और कोयला उपलब्ध है, तो एक अलग इन्वेंट्री उपलब्ध हो सकती है।

यदि यह पाया जाता है कि निष्कर्षण अवैध था, तो रॉयल्टी

पहले से पारित आदेशों की शर्तें भी एकत्र की जा सकती हैं। यह राज्य के खनन सचिव द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

खनन। इस पहलू पर सबसे पहले मेघालय राज्य के खनन सचिव द्वारा विचार किया जा सकता है। वैसा ही हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम द्वारा क्रॉस-चेक किया गया।

14. न्यायाधिकरण ने पुनर्स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया

पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास जिसके लिए धन उपलब्ध था। न्यायाधिकरण ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. पी. की की अध्यक्षता में प्रतिनिधियों के साथ एक समिति का गठन किया

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय खान विद्यालय,

बुरा। आदेश के पैराग्राफ *14* से *28* इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैंः

" 14. केवल अंतिम प्रश्न जो बचा है वह पर्यावरण की बहाली और पीड़ितों के पुनर्वास का है जिसके लिए धन उपलब्ध है। हमारा विचार है कि इस कार्य के लिए यह उचित होगा।

कि हम एक स्वतंत्र समिति का गठन करें। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय प्रदूषण के प्रतिनिधियों के साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. पी. कटके करेंगे।

नियंत्रण बोर्ड और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद।

15. समिति निम्नलिखित कदम उठाएगीः

इस संबंध में अब तक की गई सभी कार्रवाइयों का जायजा लें।

इस मुद्दे से निपटने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि

.

इसका कार्यान्वयन। *16.* समिति ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं की मांग कर सकती है जो आवश्यक हो और स्थलों का दौरा भी कर सकती है।

जब भी आवश्यकता हो। वे इन कार्यों को करने के लिए सभी रसद सहायता के हकदार होंगे जो मुख्य सचिव, मेघालय के निर्देशों के तहत प्रदान किए जाएंगे। *17.* समिति विषय पर जानकारी प्राप्त करने और देने के लिए वेबसाइट भी स्थापित कर सकती है।

18. समिति परिणामों के बारे में जागरूकता और प्रतिक्रिया के लिए शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल कर सकती है।

19. मेघालय राज्य में सभी संबंधित प्राधिकरण समिति के साथ सहयोग और समन्वय करेंगे। समिति किसी भी संबंधित प्राधिकारी से ऐसी तकनीकी सहायता ले सकती है जिसकी आवश्यकता हो।

20. मेघालय के मुख्य सचिव उक्त समिति को अपने कार्य करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। समिति दाखिल करते समय ई-मेल द्वारा न्यायाधिकरण को अपनी आवधिक रिपोर्ट भेज सकती है। *ngt@gmail*। कॉम.

21. समिति आज से दो सप्ताह के भीतर अपना कार्यभार संभाल सकती है। समिति कार्य योजना तैयार कर सकती है जिसमें अनुपालन सुनिश्चित करने के लक्ष्य होंगे। यह ऐसे अंतरालों पर मिल सकता है जिन्हें उचित माना जाता है लेकिन हर महीने में दो बार और अनुपालन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।
22. समिति सभी आनुषंगिक मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र होगी। समिति ई-मेल द्वारा इस न्यायाधिकरण से आगे कोई भी निर्देश लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

23. मेघालय राज्य के मुख्य सचिव उनके परामर्श से अध्यक्ष का पारिश्रमिक निर्धारित कर सकते हैं और मेघालय राज्य के मुख्य सचिव उनके उचित कामकाज के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा सहित सभी रसद सहायता भी प्रदान करेंगे।

25. समिति इस आदेश के निष्पादन में तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेने की हकदार होगी। समिति अपना टी. ई. ऑफ मेघालय वी. तैयार कर सकती है।

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

आज से एक महीने के भीतर कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना और कार्यान्वयन छह महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है

संभव है। समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। कार्रवाई की एक प्रति योजना इस न्यायाधिकरण को दाखिल करने पर ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है। *ngt@gmail*। कॉम. इसके बाद, दो महीने में कम से कम एक बार रिपोर्ट भेजी जा सकती है। द.

समिति पर्यावरण के साथ-साथ व्यक्तियों को होने वाले नुकसान का भी आकलन कर सकती है जैसा कि रिपोर्ट में पहले ही सुझाव दिया गया है।

27. मेघालय राज्य इस उद्देश्य के लिए समिति को सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा। राज्य आज से एक महीने के भीतर समिति के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण भी करेगा। *28.* समिति तकनीकी सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

किसी भी तिमाही से जिसे राज्य द्वारा सुविधा प्रदान की जा सकती है मेघालय। समिति पहले से निकाले गए कोयले की प्राप्ति/अभिरक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे की निगरानी भी कर सकती है, जिसमें कोई भी पर्यावरणीय मुद्दे जो निकाली गई सामग्री के भंडारण से उत्पन्न होते हैं और इसके लिए आवश्यक कदम शामिल हैं।

उद्देश्य। समिति की रिपोर्ट इस न्यायाधिकरण को दी जा सकती है।

फाइलिंग के समय ई-मेल द्वारा। *ngt@gmail*। कॉम.

इस आदेश की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी जा सकती है।

अनुपालन के लिए ई-मेल द्वारा।

सभी लंबित मामलों का उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटारा किया जाएगा।

06 मार्च, *2019* को रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सूची। दिनांकित आदेश *04.01.2019*

15. न्यायमूर्ति कटके ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। *2019* . एन. जी. टी. ने समिति की विभिन्न कार्यवाहियों पर विस्तार से ध्यान दिया जो टी. का हिस्सा थीं। आदेश के अनुच्छेद *21* में

विंग को देखा गयाः

" 21. निर्गम संख्या डी के तहत, यह नोट किया गया कि मेघालय

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सितंबर, *1997* में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि अनियोजित और अवैज्ञानिक कोयला खनन गतिविधियाँ हो रही थीं। इसने पिछले दो दशकों में पारिस्थितिक अशांति और प्रतिकूल *[2019] 8* एस. सी. आर. पैदा करते हुए खतरनाक आयाम हासिल किए थे।

पर्यावरणीय प्रभाव। इससे पता चलता है कि हालांकि संज्ञान

यह समस्या वर्ष *1997* में ली गई थी, इसके *20* साल बाद भी यह समस्या बनी हुई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने,

वर्ष *1997* में, अवैध खनन को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने, विधायी उपायों, प्रौद्योगिकी के उपयोग, अध्ययन करने सहित कदमों की सिफारिश की गई थी, लेकिन इनमें से कोई भी सिफारिश नहीं की गई थी। *21* साल बाद भी इसे लागू किया गया।

16. न्यायाधिकरण समिति की रिपोर्ट और अभिलेख पर अन्य सामग्रियों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेघालय राज्य इस पर कार्य करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है।

वर्ष *1997* में प्रस्तुत मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की सिफारिश। न्यायाधिकरण ने राय दी कि पर्यावरण की बहाली के लिए अंतरिम राशि जमा की जाए। अनुच्छेद *31* से *33* इस प्रकार हैं:

"*31.* भुगतान क्षमता और वह राशि जो आगे के नुकसान को रोकने के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकती है, को भी अच्छी तरह से पहचाना जाता है। नेट वर्तमान

33. हम पहले ही नुकसान की सीमा और अवैध रूप से खनन की गई सामग्री के मूल्य पर ध्यान दे चुके हैं, इसके अलावा गुप्त खनन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। राज्य ने किया था संग्रहित, जैसा कि पहले के आदेश में उल्लेख किया गया है, रुपये की रॉयल्टी। *400* करोड़

जो अब तक अधिक बड़ा आंकड़ा होना चाहिए।

17. मेघालय राज्य ने दो अपीलें दायर की हैं -

2018 का *C.A.No.10720* और *2019* का *C.A.No.2968*। *2018* का *C.A.No.10720* न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक *31.08.2018* के आदेश पर सवाल उठाते हुए दायर किया गया है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने राज्य मेघालय बनाम के प्रतिबंध के उस आदेश का निर्देश दिया था।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[अशोक भूषण, जे.]*

चूहे-छेद खनन जारी रहेगा और पर्यावरण की बहाली के लिए कदम उठाने के लिए न्यायमूर्ति बी. पी. कटके समिति का गठन किया जाएगा। पीड़ितों का पुनर्वास। *2019* की दूसरी सिविल अपील मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर की गई है, जिसमें दिनांकित आदेश पर सवाल उठाया गया है, जिसके द्वारा मेघालय राज्य को आदेश की बहाली के लिए *3* करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

पर्यावरण।

गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद द्वारा *2018* की कोयला मालिकों, खनिकों और विक्रेताओं की समिति और गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद द्वारा दिनांक *2* के आदेश द्वारा कोयला खनन पर निरंतर प्रतिबंध से व्यथित प्रतिबंध की अवैधता पर विचार किए बिना। अपीलार्थी राज्य सरकार के रिसीवर की नियुक्ति से भी व्यथित हैं।

निकाले गए कोयले का संरक्षक जब कोयले के मालिक जहाज का कोई विवाद नहीं है और आगे राज्य में कोयले के निहित होने का सवाल *2016* के *C.A.No.5272* में इस न्यायालय में विचाराधीन है।

19. 2018 का *C.A.No.10907* गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद द्वारा दायर किया गया है जो न्यायाधिकरण के दिनांकित *31.08.2018* के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा उसने कोयला खनन पर प्रतिबंध की पुष्टि की है जो चार साल से अधिक समय से लागू था और न्यायाधिकरण द्वारा *Rs.400* करोड़ से अधिक धन के निपटान के लिए एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी उपरोक्त से व्यथित हैं और आरोप लगाया कि न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि समिति का गठन इसके बिना किया जाए। जिला परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विचार करने से परिषद को संबंधित मुद्दों से वस्तुतः बाहर रखने का प्रभाव पड़ता है।

वनों और भूमि का प्रशासन जो परिषद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हैं। कोयला खनन पर प्रतिबंध ने प्रभावी रूप से राजस्व के एक प्रमुख स्रोत के दरवाजे बंद कर दिए हैं

जिला परिषद, जिसे संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार कर एकत्र करने का अधिकार है।

20. के. ए. हिमा नोंगस्टॉइन भूमि मालिकों, कोयला व्यापारियों और उत्पादक संघ द्वारा *2016* का <आई. डी. *1* आदेश के खिलाफ दायर किया गया है।

दिनांक *10.05.2016* जिसके द्वारा *2016* के विविध आवेदन *No.400* और *420* को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने संशोधन और स्पष्टीकरण और/या दिनांकित अंतिम आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने पहले से ही निकाले गए कोयले *[2019] 8* एस. सी. आर. का विधिवत मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेघालय राज्य के साथ और समय बढ़ाने से इनकार करते हुए पहले से निकाले गए कोयले का परिवहन। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि

ऐसे कोयले पर इसके सदस्यों के स्वामित्व अधिकार, जिनका खनन *17.04.2014* से पहले प्रचलित प्रथा के अनुसार किया गया था। *21.* अब, एल. बी. आर. लालू की ओर से दायर *2019* की सिविल अपील *(2018* की डायरी *No.3067)* अपील बनी हुई है। अपीलार्थी ने दिनांकित *25.03.2015* आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है। एनजीटी द्वारा मेघालय राज्य में खनन गतिविधियों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध से व्यथित, जो अपीलार्थी के अनुसार, मेघालय राज्य में खनिकों के जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। कोयला खनन पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप मेघालय राज्य में बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हैं, जो अपनी आजीविका के लिए कोयला खनन पर निर्भर हैं।

प्रस्तुतियाँ

22. हमने श्री शेखर नाफड़े, विद्वान वरिष्ठ को सुना है।

वकील, श्री अमरेंद्र शरण, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अमित कुमार, मेघालय राज्य के महाधिवक्ता। हमने श्री रंजन मुखर्जी को मेघालय राज्य की ओर से पेश होते हुए भी सुना। श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील, *2018* की सी. ए. डायरी <आई. डी. *1* में अपीलार्थी की ओर से पेश हुए और श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील, उपस्थित हुए।

C.A.No.10907/2018 में अपीलार्थी के लिए। वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंजाल्विस को न्यायमित्र के रूप में सुना गया है। हमने *2016* के सी. ए. *No.5272* में प्रतिवादी नंबर *1* के लिए विद्वान वकील को भी सुना है *(*जो एनजीटी के समक्ष आवेदक था*)*। श्री निधेश गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील को *2016* के *C.A.No.5272* में निजी उत्तरदाताओं के लिए सुना गया है। श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भारत संघ की ओर से सुना गया है। हमने अन्य विद्वान वकीलों को भी सुना है जिन्हें मामले में हस्तक्षेप करने और अपने विभिन्न आई. ए. के संबंध में विभिन्न तर्क उठाने की अनुमति दी गई थी।

23. मेघालय राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे ने दलीलों का नेतृत्व किया। श्री नाफडे प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* के तहत गठित एनजीटी का अधिकार क्षेत्र धारा *14,15* और *16* तक सीमित है। धारा *16* वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं है। धारा *14* एन. जी. टी. की मूल अधिकारिता से संबंधित है और यह अपने दायरे में या सभी दीवानी मामलों को लेती है जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न *(*पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित*)* शामिल है और ऐसा प्रश्न मेघालय राज्य *v* से उत्पन्न होता है।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

अनुसूची *I* में निर्दिष्ट अधिनियमों का कार्यान्वयन. अधिकार क्षेत्र दो शर्तों पर निर्भर करता है जिन्हें संचयी रूप से संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है और वे हैंः *(1)* महत्वपूर्ण प्रश्न जो पर्यावरण से संबंधित है और *(2)* अनुसूची *I* में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित है।

विनियमन*)* अधिनियम, *1957 (*इसके बाद *"*एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957"* के रूप में संदर्भित*)* अनुसूची *I* में निर्दिष्ट नहीं होने के कारण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ऐसा नहीं कर सका एमएमडीआर अधिनियम, *1957* के उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. जी. टी. ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि मेघालय राज्य में कोयला खनन अनियमित है। एनजीटी गलत आधार पर आगे बढ़ा कि मेघालय के आदिवासी राज्य सरकार से पट्टा प्राप्त किए बिना कोयला खनन नहीं कर सकते। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदिवासी जो भूमि के मालिक हैं, वे उप-मिट्टी और भूमि में खनिजों के भी मालिक हैं। मेघालय राज्य में भूमि पुरुषों और गाँवों की संपत्ति थी। खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ और गारो

पहाड़ियों की अपनी अलग भूमि कार्यकाल प्रणाली है, जो राज्य में भूमि या खनिजों के अधिकार के लिए प्रदान नहीं करती है।

स्वतंत्रता से पहले की अवधि। *24.* श्री नाफडे प्रस्तुत करते हैं कि खनिजों का स्वामित्व भूमि के मालिक के पास निहित है जब तक कि भूमि का मालिक कानून की किसी वैध प्रक्रिया द्वारा उससे वंचित नहीं हो जाता है, उदाहरण के लिए, विभिन्न राज्यों के भूमि राजस्व संहिताओं में निहित प्रावधान, जो

स्पष्ट रूप से कहें कि खनिजों का स्वामित्व विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित है। हालाँकि, मेघालय राज्य में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो भूमि के मालिक को भूमि के स्वामित्व से वंचित करता हो।

इसके नीचे खनिज पदार्थ हैं।

25. श्री नाफडे प्रस्तुत करते हैं कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के तहत राज्य के पास कोयले के संबंध में कोई विधायी या कार्यकारी शक्ति नहीं है।

उनकी भूमि में स्थित खनिज। चूँकि वे मालिक हैं, वहाँ कोई नहीं है सवाल यह है कि उन्हें या तो पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की आवश्यकता है। पट्टा और अनुज्ञप्ति की अवधारणाओं में आवश्यक रूप से लेन-देन के लिए कम से कम दो पक्ष शामिल होते हैं-अनुज्ञप्ति के मामले में, एक अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी होना चाहिए। खनिज का मालिक खुद को लाइसेंस या पट्टा नहीं दे सकता है या संभावित लाइसेंस नहीं दे सकता है। राज्य *[2019] 8* एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खनिजों का स्वामी और इसलिए, यह अपने दम पर संभावित लाइसेंस या पट्टा प्रदान नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे खनिजों के संबंध में इसका कोई स्वामित्व अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य न तो अनुज्ञप्तिदाता हो सकता है और न ही पट्टेदार। *26.* श्री नाफडे दोहराते हैं कि एन. जी. टी. का पूरा आधार है कि मेघालय राज्य में कोयला खनन पूरी तरह से अनियमित है

गलत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मेघालय राज्य को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार संचालित किया जाना है और एनजीटी द्वारा पारित विभिन्न आदेश सीधे जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं जो स्वायत्त जिला परिषदों में निहित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनजीटी विफल रहा

छठी अनुसूची के प्रावधानों और स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा बनाए गए विधान सहित प्रासंगिक वैधानिक मैट्रिक्स पर विचार करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनजीटी के पास अपने आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी समिति का गठन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। समितियों का गठन

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. पी. कटके का संविधान दिनांक *31.08.2018* के विवादित आदेश से परे है।

एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र। समिति का गठन स्वायत्त जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। यह आगे है

प्रस्तुत किया कि एनजीटी के पास कोई कोष बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायाधिकरण ने समिति का गठन करके और एक कोष का गठन करके एक समानांतर सरकार बनाई है। न्यायाधिकरण एक संवैधानिक न्यायालय नहीं होने के कारण यह एक निरंतर आदेश जारी नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने हालांकि मेघालय राज्य को खनन नीति तैयार करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जबकि राज्य के पास इस संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के तहत खनन नीति तैयार करने से राज्य को खनिजों के विनियमन और विकास के संबंध में किसी भी विधायी शक्तियों से वंचित किया जाता है, जिन्हें संघ द्वारा अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* के तहत जारी ई. आई. ए. अधिसूचना दिनांक *1* का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी केवल तभी आवश्यक है जब खनन का क्षेत्र पांच हेक्टेयर से अधिक हो। मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में, खनन क्षेत्र

इसमें एक छोटा सा क्षेत्र शामिल है जो पांच हेक्टेयर से अधिक नहीं है, इसलिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह नहीं करता। इस बात पर विवाद है कि ई. आई. ए. अधिसूचना द्वारा *15.01.2016* के बाद अब पांच हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र की आवश्यकता को हटा दिया गया है और मेघालय राज्य बनाम के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

खनन कार्य करना। आदिवासी उनके लिए निर्भर हैं

कोयला खनन पर आजीविका और इसलिए, *17.04.2014* के प्रभाव से कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध से, बड़ी संख्या में आदिवासी अपनी आजीविका से वंचित हैं और राज्य के लिए इस उद्देश्य का समर्थन करना अनिवार्य है -

आदिवासी, जो व्यक्तिगत रूप से एन. जी. टी. के समक्ष नहीं थे। मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में भूमि कार्यकाल की विशेष प्रकृति के अनुसार खनन पट्टा देने के लिए मेघालय राज्य में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होने के कारण और आगे के खनिज मेघालय राज्य में निहित नहीं हैं, एनजीटी ने यह कहते हुए गलती की कि राज्य अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है और मेघालय राज्य में कोयला खनन पर रोक लगाने में विफल रहा है, यह केंद्र का अधिकार क्षेत्र है।

सरकार जिसके पास अधिनियम, *1957* के तहत आवश्यक नियम बनाने और आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए सभी अधिकार क्षेत्र और प्राधिकरण हैं और अकेले राज्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* की धारा *13* के तहत बनाए गए खनिज रियायत नियम, *1960* का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही नियम *13 (*च*)* उस भूमि के संबंध में खनन आवेदन को संदर्भित करता है जिसके खनिज सरकार के अलावा अन्य व्यक्तियों में निहित हैं, वह प्रस्तुत करता है कि यह प्रावधान मालिक के लिए तब लागू नहीं होगा जब वह स्वयं खनन कार्य करता है।

खनन, पट्टा लेने का सवाल तब उठ सकता है जब भूमि का मालिक खनिजों के खनन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भूमि देता है।

27. श्री नाफडे ने हालांकि कहा कि खान अधिनियम, *1952* के प्रावधान लागू हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। वह.

खनिज संरक्षण और विकास नियम, *1988* को संदर्भित करते हुए, जहाँ राज्य द्वारा उपकर लगाया जा सकता है।

28. 2019 के सी. ए. *No.2968* में मेघालय राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अमरेंद्र शरण ने प्रस्तुत किया कि एन. जी. टी.

दिनांकित *04.01.2019* के विवादित आदेश ने मेघालय राज्य को रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। *100* एक अंतरिम उपाय के रूप में करोड़ जो पूरी तरह से है

अस्थिर। एनजीटी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. पी. कटके की अध्यक्षता वाली समिति की पहली अंतरिम रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए दिनांक *1* का आदेश पारित किया है। समिति का गठन स्वयं एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। श्री शरण श्री नाफड़े द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हैं

और उन दलीलों के अलावा प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक *1* का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है क्योंकि मेघालय राज्य को समिति की रिपोर्ट का जवाब देने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विवादित आदेश एनजीटी द्वारा *[2019] 8* एस. सी. आर. की रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के विपरीत किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति बी. पी. कटके की समिति। एनजीटी द्वारा पर्यावरण के नुकसान के किसी भी आकलन के बिना दिनांकित *04.01.2019* का विवादित आदेश पारित किया गया है। न्यायाधिकरण ने अपने पहले के दिनांकित *25.03.2015* आदेश पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसमें पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है।

वास्तविक प्रदूषक, अर्थात, कोयला खनिक और ट्रांसपोर्टर, प्रदूषकों के भुगतान सिद्धांत पर आधारित, जिसके लिए निधि, अर्थात् मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष *(*इसके बाद "एम. ई. पी. आर. एफ". के रूप में संदर्भित*)* पहले ही बनाया जा चुका है। एनजीटी ने मेघालय राज्य में खनन कानूनों और पर्यावरण कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, यह निर्धारित करने के लिए संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर विचार किए बिना *04.01.2019* दिनांकित आदेश पारित किया। मेघालय राज्य के पास राजस्व का सीमित स्रोत है और *1* करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डालने से राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।

29. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन समर्थन में

अपीलार्थी की ओर से, *2018* की सिविल अपील संख्या *10907* में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद प्रस्तुत करती है कि एन. जी. टी. ने *31.08.2018* दिनांकित आदेश पारित करते समय संविधान की छठी अनुसूची की अनदेखी की है। दिनांकित आदेश के अनुसार

31.08.2018 , एनजीटी समिति का गठन नहीं कर सकता था।

संविधान की छठी अनुसूची का उल्लेख करते हुए, श्री राजू रामचंद्रन प्रस्तुत करते हैं कि पैरा *2* के तहत, जिला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है और पहाड़ी जिला परिषद भी भारत के संविधान के अनुच्छेद *244 (2)* और अनुच्छेद *275 (1)* के तहत बनाए गए संविधान की छठी अनुसूची के तहत बनाई गई एक परिषद है। का संविधान

एनजीटी द्वारा बनाई गई समिति ने वनों और भूमि के प्रशासन से संबंधित मुद्दों से जिला स्वायत्त परिषद को लगभग प्रभावित किया है।

परिषद की अनन्य अधिकारिता। कोयला खनन पर प्रतिबंध ने अपीलार्थी को राजस्व के प्रमुख स्रोत से वंचित कर दिया है। छठी अनुसूची के पैरा *8* के तहत, स्वायत्त जिला परिषद राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए खनिज रॉयल्टी से राजस्व को साझा करने का हकदार है। विवादित आदेश बिना सुनवाई के और शेयरधारकों या शेयरधारकों की हिस्सेदारी के अस्तित्व पर ध्यान दिए बिना पारित किया गया है। श्री राजू रामचंद्रन आगे प्रस्तुत करते हैं कि एनजीटी ने ओ. ए. *Nos.73/2014,13/2014* और *186/2014* का निपटान दिनांक *31.08.2018after* के आदेश द्वारा किया है, यह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था।

30. 2016 की सी. ए. संख्या *5272* के समर्थन में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील केवल कोयले पर अपने सदस्यों के स्वामित्व अधिकारों के संरक्षण की मांग के लिए है जो मेघालय बनाम।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

17.04.2014 से पहले प्रचलित प्रथा के अनुसार खनन किया गया था। इसे प्रस्तुत किया जाता है। कि दिनांक *1* के आदेश द्वारा, एनजीटी ने यह विचार रखा था कि *2016* के बाद का सभी कोयला राज्य में निहित होगा। अपीलार्थी ने पहले संपर्क किया था

इस न्यायालय ने दिनांकित *31.03.2016* आदेश के खिलाफ *2016* का *C.A.No.4793* दायर करके, जिसमें इस न्यायालय ने अपीलार्थी को आदेश के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर करने के लिए एनजीटी से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। स्पष्टीकरण के लिए अपीलार्थी के आवेदन को एनजीटी ने बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया था। एनजीटी ने सदस्यों द्वारा राज्य में अपनी भूमि से निकाले गए कोयले को निहित करने के निर्देश में अपने अधिकार क्षेत्र और अधिकार के दायरे को पार कर लिया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* को संसद द्वारा देश में खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो किसी भी तरह से राज्य के स्वामित्व अधिकारों को घोषित करने का तात्पर्य नहीं है।

31. श्री रंजीत कुमार, सी. ए. के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील। *(*डी*) 2018* का *No.3067* प्रस्तुत करता है कि न्यायाधिकरण ने रोकने में त्रुटि की है मेघालय राज्य में पूरा कोयला खनन। एन. जी. टी. अधिनियम, *2010* की धारा *15* का उल्लेख करते हुए श्री रंजीत कुमार ने कहा कि धारा *15* में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राहत, मुआवजा और क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरे कोयला खनन को *17.04.2014* से रोकने से अपीलार्थी और कई समान रूप से स्थित व्यक्तियों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है

प्रभावित हुए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण को प्रतिबंध हटा लेना चाहिए था। विवादित आदेश संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत अधिकार का उल्लंघन करता है

भारत। न्यायाधिकरण ने एनजीटी अधिनियम, *2010* की धारा *15* के तहत अपनी शक्ति से परे काम किया है। खनन पर न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि मेघालय राज्य में खनन अनियमित है, सही नहीं है, जबकि एक खनिक है पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है और इसे मेघालय राज्य द्वारा निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करना होता है।

32. 2019 के *C.A.No.3067 (D)* में मेघालय राज्य के प्रतिवादी संख्या *2* की ओर से पेश विद्वान वकील श्री रंजन मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि भले ही चूहे-छेद खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन सभी खनन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मेघालय खान और खनिज नीति, *2012* को खनिज संसाधनों के व्यवस्थित, वैज्ञानिक और नियोजित उपयोग को सुविधाजनक बनाने और राज्य के खनिज आधारित विकास को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मेघालय राज्य का निर्माण मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों में कोयला खनन के प्रथागत अधिकारों और प्रथाओं का पालन करने के लिए किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय *[2019] 8* एस. सी. आर. का पत्र।

सरकार दिनांकित *02.07.1987* पर भी भरोसा किया गया है। राज्य में कोयला खनन गतिविधियों के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा भी वर्ष *2015* में तैयार किया गया है। हालाँकि, एनजीटी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को इस मामले को देखने का निर्देश दिया है, लेकिन कुछ खनिक विसंगतियों को छोड़कर राज्य को कोई आपत्ति नहीं दी गई है।

33. भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री ए. एस. नाडकर्णी ने कहा कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के प्रावधान मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू हैं। जारी करने के लिए मेघालय सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुरोध

मेघालय राज्य को एमएमडीआर अधिनियम, *1957* के कुछ प्रावधानों से छूट देने के लिए भारत के संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ *12* ए *(*बी*)* के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक *12.03.2019* को इस संबंध में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा संदर्भित और भरोसा किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेघालय राज्य के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, *1957* के तहत कोयला युक्त क्षेत्र के संबंध में खनन अधिकारों के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी गई है।

मेघालय राज्य में लागू कानून के उल्लंघन में कोयले का खनन। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्व का सृजन लागू कानून के उल्लंघन/अपमान में खनन करने की अनुमति का दावा करने का आधार नहीं होगा। मेघालय राज्य सरकार द्वारा दिनांक *1* दिनांकित पत्र द्वारा प्रस्तुत एक मसौदा दिशानिर्देश की कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जांच की गई थी, जिस पर निर्णय लिया गया था कि मेघालय सरकार द्वारा प्रस्तुत दिशानिर्देश एमएमडीआर अधिनियम, *1957* के मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। इसलिए, मेघालय राज्य इन दिशा-निर्देशों को फिर से तैयार कर सकता है। एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के अनुरूप और प्रस्तुत करें। दिनांक *25.07.2016* के संशोधित प्रस्ताव में मेघालय राज्य ने कुछ प्रस्ताव रखे थे

एमएमडीआर अधिनियम, *1957* में संशोधन और आवेदन से छूट

छठी अनुसूची के पैरा *12* ए *(*बी*)* के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से एमएमडीआर अधिनियम, *1957*। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था कि एमएमडीआर की प्रयोज्यता से छूट

अधिनियम, *1957* को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

35. श्री कॉलिन गोंजाल्विस, विद्वान वरिष्ठ वकील, के रूप में उपस्थित हुए

न्यायमित्र ने विभिन्न दलीलें रखी हैं।

एमिकस क्यूरी स्टेट ऑफ मेघालय *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

एक नागरिक ने दो खंडों में "मेघालय में अनियंत्रित कोयला खनन का अभिशाप" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

मेघालय *01/12/2018* से रिपोर्ट करें। खंड *I* में शीर्ष के नीचे

'परिचय 'रिपोर्ट में कहा गया हैः

"इंट्रोडक्टन मेघालय में संसाधन अभिशाप है। हालाँकि, हम प्रचुर मात्रा में वनों और खनिजों से संपन्न रहे हैं, लेकिन इन संसाधनों ने हमारे समाज की भलाई में योगदान नहीं दिया है, क्योंकि उन्हें बड़े आम अच्छे के लिए किसी भी विनियमन या चिंता के बिना निकाला गया है। यह अनियमित, संकीर्ण, स्व-हित आधारित उपयोग

प्राकृतिक संसाधनों ने सामाजिक-आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया है, पर्यावरण को नष्ट कर दिया है, आपराधिकता को बढ़ा दिया है और हमारे समतावादी आदिवासी सामाजिक ताने-बाने के तहत टूट गया है।

यह संविधान की धारा *39 (*बी*)* का भी उल्लंघन करता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए ताकि आम भलाई का सर्वोत्तम लाभ उठाया जा सके और इसलिए, राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों को किसी भी तरह से वितरित नहीं कर सकता है। प्रक्रिया.

वितरण को समानता और व्यापक सार्वजनिक भलाई के सिद्धांत सहित संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का ऐतिहासिक आदेश

ऐसे प्रशासक जिन्होंने इस अनियमित खनन से 'अवैध रूप से' लाभ उठाया है और जो चाहते हैं कि चीजें हमेशा की तरह व्यवसाय में वापस आ जाएं। कोयला खनिकों और राजनेताओं, जो खनिक, ट्रक मालिक, तौल पुल संचालक आदि हैं, ने माननीय के पास अपील दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने माननीय अदालत से एनजीटी के आदेशों को रद्द करने को कहा

ताकि खनन एक बार फिर से शुरू हो सके।

36. विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि मेघालय राज्य में अभी भी अवैध खनन जारी है। श्री गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि एमएमडीआर अधिनियम, *1957* की धारा *4* "कोई व्यक्ति नहीं" शब्दों का उपयोग करके स्पष्ट रूप से खनन पट्टा प्राप्त किए बिना खनन संचालन को प्रतिबंधित करती है।

एक्ट करें। धारा *5* का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुसूची ए के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता है जो *[2019] 8* एस. सी. आर. नहीं है।

और अनुमति ली जाए। वे प्रस्तुत करते हैं कि मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर *53* खदानें हैं। वह प्रस्तुत करता है कि सभी निकाले गए कोयले का दावा किया जाता है कि मेघालय राज्य में मूल्यांकन किया गया है या जिसका मूल्यांकन नहीं किया गया है, वह अवैध खनन का परिणाम है और कोल इंडिया लिमिटेड को पूरे कोयले को लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए। *37.* श्री गोंजाल्विस ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की विभिन्न रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है जिन्हें खंड *II*-ए सिटिजन्स रिपोर्ट फ्रॉम मेघालय *06/01/2019* में दर्ज किया गया है।

38. श्री निधेश गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील,

2016 की सिविल अपील *No.5272* में निजी प्रतिवादी की ओर से अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों का खंडन किया गया है। श्री निधेश गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि खानों और खनिजों के विकास के विनियमन की सूची *I* की प्रविष्टि *54* के अनुसार संसद द्वारा एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के तहत घोषित किया गया है। धारा *2*, एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* में निहित घोषणा द्वारा, राज्य सरकार को एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के अनुच्छेद *162* के साथ पठित सूची *2* की प्रविष्टि *23* के तहत सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियों से वंचित किया जाता है।

भारत का संविधान। धारा *4* की उप-धारा *(1)* यह स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति कोई टोही, पूर्वेक्षण या खनन नहीं कर सकता है।

किसी भी क्षेत्र में संचालन, एक टोही परमिट या एक पूर्वेक्षण लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार को छोड़कर। धारा *5* की उप-धारा *(1)* के अनुसार राज्य सरकार किसी को भी टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं देगी।

व्यक्ति जब तक कि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक न हो और ऐसी शर्तों को पूरा न करे जो निर्धारित की जाएं। धारा *5 (1)* के परंतुक में प्रावधान है कि पहली अनुसूची के भाग ए और भाग बी में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में, केंद्र की पूर्व मंजूरी के अलावा कोई टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। सरकार। मेघालय राज्य की ओर से यह तर्क कि एमएमडीआर अधिनियम, *1957* मेघालय राज्य पर लागू नहीं होता है, वैधानिक प्रावधानों के गलत अध्ययन पर आधारित है।

39. धारा *13* केंद्र सरकार को जासूसी परमिट, संभावित लाइसेंसों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

और भूमि के संबंध में खनन पट्टे जिसमें खनिज निहित हैं

सरकार और किसी भी भूमि के संबंध में जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं। अधीन शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा *13*, खनिज रियायत नियम, *1960* तैयार किए गए हैं।

40. अध्याय *V* एक प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है

ऐसी भूमि के संबंध में संभावित लाइसेंस या खनन पट्टा जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं। उक्त अध्याय में नियम *41* से लेकर नियम *52* तक के प्रावधान हैं। नियम *41* में कहा गया है कि

उक्त अध्याय के प्रावधान केवल उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों के अनुदान पर लागू होते हैं जिसमें खनिज विशेष रूप से सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित होते हैं। इसलिए, भूमि के संबंध में खनन पट्टे जहां सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में खनिज निहित हैं, उक्त अध्याय के अंतर्गत आते हैं और पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित मामलों का विवरण उसमें दिया गया है।

41. धारा *23* सी के अनुसार, राज्य सरकार को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

खनिज। मेघालय राज्य द्वारा धारा *23* सी के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। मेघालय राज्य की ओर से यह तर्क कि एमएमडीआर अधिनियम केवल उन मामलों में लागू होता है जहां खनिज सरकार में निहित होते हैं, इसलिए, एमएमडीआर अधिनियम मेघालय राज्य में लागू नहीं होता है, पूरी तरह से गलत है। *42.* विद्वान वकील भारत संघ द्वारा दिनांकित *24.07.2018* स्थिति रिपोर्ट में लिए गए रुख पर भी निर्भर करता है। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि कोयले की अनुमानित कीमत रु। *10,000 / -* प्रति मीट्रिक टन। मेघालय राज्य द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि *1,000/-* रुपये प्रति मीट्रिक टन की राशि पर विचार किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोयले को बहुत कम कीमत पर बेचने से राजस्व को नुकसान हो रहा है और साथ ही अन्य हितधारकों को भी नुकसान हो रहा है। श्री गुप्ता ने आरोप लगाया है कि इतनी कम कीमत पर कोयले की बिक्री से हाथ से लेन-देन का संदेह पैदा होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति निर्धारित की जाए और एनजीटी के आदेशों को बरकरार रखा जाए।

43. उपरोक्त के अलावा, हमने कई विद्वान वकीलों को भी सुना है जिन्होंने अभियोग के लिए आई. ए. और निर्देश के लिए आई. ए. दायर किए हैं।

जिसमें उनसे संबंधित कोयले के परिवहन का निर्देश भी शामिल है। हमने श्री सिद्धार्थ लूथरा, श्री आर. बसंत, श्रीमती को सुना है। मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य विद्वान वकील।

44. 10.05.2019 पर, हमने अनुमति देने का आदेश पारित किया था

कोयले का *75,050* मीट्रिक टन की सीमा तक परिवहन जो कि *1,76,655* मीट्रिक टन कोयले से शेष मात्रा थी, जिसके परिवहन के लिए इस न्यायालय ने *04.12.2018* पर आदेश पारित किया था। दिनांकित *10.05.2019* आदेश ने कोयले के परिवहन की अनुमति दी, जिसके लिए परिवहन *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. विभिन्न आवेदकों की ओर से पेश वकील कोयले की अलग-अलग मात्रा के परिवहन का दावा करते हैं, जो उनके अनुसार अब मूल्यांकन किया गया है। फिर भी कुछ आवेदक कोयले के परिवहन का दावा करते हैं जिसका आकलन किया जाना बाकी है। विभिन्न अनुप्रयोगों में, विभिन्न मात्राओं को ले जाने का दावा किया जाता है जो के अनुसार आवेदक मेघालय राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित है। *2019* का *I.A.No.22981* और *2019* का आई. ए. सं. *22991* इस प्रकार के आवेदन हैं -

नीलामी खरीदार होने का दावा करने वाला आवेदक। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें सबसे अधिक बोली लगाने वाला घोषित किया गया था, उन्होंने राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया

लेकिन *15.01.2019* के आदेश के बाद, उन्हें कोयले के परिवहन की अनुमति नहीं दी गई और न ही वह शेष नीलामी राशि जमा कर सकते थे। *46.* मेघालय राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री रंजन मुखर्जी ने आयुक्त का एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है और

मेघालय सरकार के सचिव, खनन और भूविज्ञान विभाग दिनांक *06.04.2019*। हलफनामे में कहा गया है कि एन. जी. टी. दिनांक *2* के आदेश के अनुसरण में, राज्य सरकार ने दिनांक *1* की अधिसूचना के माध्यम से एन. जी. टी. के आदेश के पैरा *13* में दिए गए निर्देशों से निपटने के लिए आयुक्त और सचिव की सहायता के लिए एक दल का गठन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार दिनांक *14.09.2018* के अनुसार, समिति के सदस्यों ने विभिन्न पहाड़ी जिलों में सूची के डेटाशीट में दिखाई देने वाले गैर-मूल्यांकन किए गए निकाले गए कोयले का मूल्यांकन किया है। पश्चिमी खासी पहाड़ियों के उपायुक्त की दिनांकित *04.10.2018* रिपोर्ट को अनुलग्नक ए-*3* के रूप में दाखिल किया गया है, जिसमें बिना मूल्यांकन किए निकाले गए कोयले का बयान दर्ज किया गया है। पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले की दिनांकित *22.10.2018* और *16.11.2018* की एक अन्य रिपोर्ट जिसमें बिना मूल्यांकन किए निकाले गए कोयले के मूल्यांकन का विवरण दर्ज किया गया है। उपायुक्त, दक्षिण पश्चिम खासी पहाड़ियों की दिनांकित *12.11.2018* रिपोर्ट द्वारा, कोयले की सूची की डेटाशीट को रिकॉर्ड में लाया गया है। दक्षिण गारो पहाड़ियों के उपायुक्त की दिनांकित *30.10.2018* की रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में लाया गया है। हलफनामे के अनुसार समिति द्वारा किए गए विभिन्न मूल्यांकन का उल्लेख करते हुए रिपोर्टें थीं जो स्टेट ऑफ मेघालय *v.*

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[अशोक भूषण, जे.]*

विभिन्न रिपोर्टों में मूल्यांकन *32,56,715* मीट्रिक टन है। *47.* मेघालय राज्य के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि कोयले के उपरोक्त मूल्यांकन को भी सत्यापित किया गया है

मेघालय राज्य द्वारा नियुक्त तकनीकी समितियाँ। तकनीकी समितियों की कुछ रिपोर्टों को भी हलफनामे के साथ रिकॉर्ड में लाया गया है।

48. विद्वान न्यायमित्र श्री कॉलिन गोंजाल्विस ने चुनौती दी है

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ-साथ तकनीकी समिति की रिपोर्ट द्वारा सत्यापन। श्री गोंजाल्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट न्यायाधिकरण और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में जो किया गया है उसे पूर्ववत करना चाहती है। विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि परिवहन के लिए, पाँच एन. जी. टी. द्वारा विस्तार दिया गया था और इस न्यायालय द्वारा चार विस्तार दिए गए थे। श्री गोंजाल्विस ने अपनी दलीलों के समर्थन में कटके समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया।

49. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निधेश गुप्ता ने भी विभिन्न आवेदकों के दावे के साथ-साथ उनके द्वारा उठाए गए कदमों का खंडन किया है।

मेघालय राज्य कोयले का आकलन करने और तकनीकी समिति द्वारा इसका सत्यापन करने में। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि जिस कोयले का अब मूल्यांकन होने का दावा किया जाता है, वह और कुछ नहीं बल्कि अवैध रूप से निकाला गया कोयला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनजीटी और इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों के अनुसरण में कोयले के पर्याप्त परिवहन की अनुमति दी गई है, फिर भी भारी मात्रा में कोयले का दावा किया जाता है जो इस तरह के अवैध रूप से खनन किए गए कोयले के परिवहन का आदेश प्राप्त करने के

लिए एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेघालय राज्य अवैध खनिकों के साथ है। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि चूहे छेद खनन द्वारा कोयला जीतने की लागत नगण्य है और मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष के लिए *Rs.675/-* और *Rs.485/*की रॉयल्टी के भुगतान के बाद, यानी *Rs.1160/-* का कुल भुगतान, कोयले का परिवहन किया जाता है। कोयले का बाजार मूल्य लगभग *Rs.10,000/-* प्रति मीट्रिक टन है। का दावा

गैर-मूल्यांकन कोयले के संबंध में अलग-अलग आवेदक गलत हैं। यह है।

प्रस्तुत किया कि सभी अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को राज्य में निहित किया जाना चाहिए और विभिन्न आवेदकों द्वारा अनुरोध के अनुसार परिवहन की कोई अनुमति इस न्यायालय द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सभी आवेदन अलग-अलग दिशाओं के लिए प्रार्थना करना अस्वीकार किए जाने के योग्य है।

50. अपने-अपने पक्षकारों के समर्थन में विद्वान वकील

मुद्दों ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर निर्भरता रखी है।

प्रस्तुतियों पर विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा

ईएस।

51. ऊपर उल्लिखित पक्षों की प्रस्तुतियों और इन अपीलों में दर्ज रियालों से निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं - उपहास।

52. समन्वय के लिए बिंदु

1. क्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश हैं

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* की धारा *14,15* और *16* के दायरे से बाहर होने के बिना*?*

2. क्या खान और खनिज विकास के प्रावधान हैं

विनियमन अधिनियम, *1957* मेघालय राज्य के भीतर जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है, जो राज्य की छठी अनुसूची में शामिल है। संविधान*?*

3. चाहे निजी स्वामित्व वाले खनिजों के खनन के लिए हो /

मेघालय के पहाड़ी जिलों में सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि, खनन पट्टा प्राप्त करना एम. एम. डी. आर. के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है।

अधिनियम, *1957* और खनिज रियायत नियम, *1960?*

4. चाहे एमएमडीआर अधिनियम, *1957* और खनिज रियायत नियम, *1960* के तहत, यह राज्य सरकार है, जिसे निजी स्वामित्व वाली/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि में खनिजों के खनन के लिए पट्टा देना है या यह खनिजों का मालिक है, जिसे खनन कार्यों को करने के लिए पट्टा देना है*?*

5. क्या मेघालय राज्य का कोई वैधानिक नियंत्रण है

निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व से कोयले के खनन पर

मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में भूमि*?*

6. क्या खनन उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित करने की शक्ति निहित है

स्वायत्त जिला परिषदों में*?*

7. क्या खनन पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश देने वाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का दिनांक *17.04.2014* का आदेश टिकाऊ नहीं है*?* *8.* क्या एन. जी. टी. के निर्देशानुसार मेघालय राज्य में कोयले के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने योग्य है /

राज्य और आदिवासियों के हित में संशोधित*?*

मेघालय राज्य *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

9. क्या एनजीटी के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करने, एनजीटी के आदेशों को लागू करने, खनिजों के भंडारण/परिवहन की निगरानी करने और कार्य योजना तैयार करने के लिए समितियों का गठन करने का कोई अधिकार क्षेत्र था

पर्यावरण की बहाली के लिए*?*

10. क्या एनजीटी ने मेघालय पर्यावरण संरक्षण कोष के गठन के लिए निर्देश देने में त्रुटि की है और

पुनर्स्थापना कोष*?*

11. क्या एन. जी. टी. ने समितियों का गठन करके समितियों को आवश्यक न्यायिक शक्तियां सौंप दी हैं और प्रशासन की संवैधानिक योजना का और अतिक्रमण किया है।

संविधान के अनुच्छेद *244 (2)* और अनुच्छेद *275 (1)* और अनुसूची *VI* के तहत जनजातीय क्षेत्र*?*

12. क्या मेघालय राज्य द्वारा *2019* के *C.A.No.2968* में आरोपित एनजीटी के दिनांकित *04.01.2019* आदेश द्वारा *Rs.100/-* करोड़ जमा करने का निर्देश टिकाऊ है*?*
13. क्या एन. जी. टी. का दिनांकित *31.03.2016* का आदेश कि *15.05.2016* के बाद सभी शेष कोयला मेघालय राज्य में निहित होगा, टिकाऊ है*?*

14. क्या मेघालय के विभिन्न जिलों में पहले से निकाले जा चुके और पड़े कोयले के मूल्यांकन और गैर-मूल्यांकन को परिवहन की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या तंत्र होना चाहिए

ऐसे कोयले के निपटान के लिए अपनाया गया*?*

53. अब हम उपरोक्त बिंदुओं पर क्रमिक रूप से विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

प्वाइंट नंबर *1*

54. मेघालय राज्य प्रस्तुत करता है कि एनजीटी ने खनन पर प्रतिबंध लगाते हुए और समिति का गठन करते हुए और "मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष" का निर्माण करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है जैसा कि एनजीटी अधिनियम, *2010* द्वारा उसे प्रदान किया गया है। न्यायाधिकरण की कोई अंतर्निहित अधिकारिता नहीं है, इसकी अधिकारिता अधिनियम की धारा *14,15* और *16* से प्रवाहित होती है।

55. न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को समझने के लिए एन. जी. टी. अधिनियम, *2010* के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* को *[2019] 8* एस. सी. आर. सहित पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए अधिनियमित किया गया था।

पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का सुदृढ़ीकरण और व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए और उसके साथ किए गए या आकस्मिक मामलों के लिए राहत मुआवजा देना। धारा *2* परिभाषाएँ हैं।

*2 (*ग*)* पर पर्यावरण को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है:

" 2 (ग*)* "पर्यावरण" में जल, वायु और भूमि तथा जल, वायु और भूमि तथा मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच और उनके बीच मौजूद अंतर संबंध शामिल हैं।

56. धारा *2 (*एम*)* पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को निम्नलिखित प्रभाव से परिभाषित करती है:

" 2 (एम*)* "पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न" में एक उदाहरण शामिल होगा, जहां-*(i)* किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट वैधानिक पर्यावरण दायित्व का सीधा उल्लंघन होता है, जिसके द्वारा-*(*ए*)*

एक व्यक्ति या समूह के अलावा बड़े पैमाने पर समुदाय

व्यक्ति प्रभावित है या प्रभावित होने की संभावना है

पर्यावरणीय परिणाम; या *(*बी*)* पर्यावरण या संपत्ति को नुकसान की गंभीरता पर्याप्त है; या *(*सी*)* सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान व्यापक रूप से मापा जा सकता है; *(ii)* पर्यावरणीय परिणाम एक विशिष्ट गतिविधि या एक बिंदु स्रोत से संबंधित हैं। प्रदूषण; "

57. अधिनियम का अध्याय *III* अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और

न्यायाधिकरण के संपादन। धारा *14* और *15* जो पश्चाताप के मामले में प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं:

" 14. विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण। *- (1)* न्यायाधिकरण के पास उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता होगी जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न *(*पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित*)* शामिल है और ऐसा प्रश्न निम्नलिखित से उत्पन्न होता है -

अनुसूची *I* में निर्दिष्ट अधिनियमों का कार्यान्वयन।

1. इंस. *2017* के अधिनियम *7* द्वारा, एस। *182 (* डब्ल्यू. ई. एफ. *26-5-2017)*।

(2) न्यायाधिकरण उप-धारा *(1)* में निर्दिष्ट प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का निपटारा करेगा और पारित करेगा।

उस पर आदेश दें।

(3) इस धारा के तहत विवाद के निर्णय के लिए कोई भी आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह कार्रवाई के कारण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

इस तरह के विवाद के लिए सबसे पहले उत्पन्न हुआः

टी. ई. ऑफ मेघालय वी. सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को पर्याप्त कारण से दाखिल करने से रोका गया था उक्त अवधि के भीतर आवेदन, इसे आगे के भीतर दाखिल करने की अनुमति दें।

अवधि साठ दिनों से अधिक नहीं।

15. राहत, क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति।

(1) न्यायाधिकरण, एक आदेश द्वारा, प्रदान कर सकता है -

(क) अनुसूची *I* में निर्दिष्ट अधिनियमों *(*दुर्घटना सहित*)* के तहत उत्पन्न होने वाले प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा।

किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालते समय*);*

(बी) क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए*;*

(ग) ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए*,*

जैसा कि न्यायाधिकरण उचित समझे।

(2) राहत और क्षतिपूर्ति और संपत्ति की बहाली और उप-धारा *(1)* के खंड *(ए), (*बी*)* और *(*सी*)* में निर्दिष्ट वातावरण के तहत भुगतान या देय राहत के अतिरिक्त होगा

(4) सार्वजनिक स्वास्थ्य, संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण मुआवजे या राहत को विभाजित कर सकता है। अनुसूची *II* में निर्दिष्ट अलग-अलग शीर्षों के तहत देय ताकि दावेदारों को मुआवजा या राहत प्रदान की जा सके और क्षतिपूर्ति की जा सके।

क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण, जैसा वह उचित समझे।

(5) इस अधिनियम के तहत मुआवजे या राहत का प्रत्येक दावेदार न्यायाधिकरण को किसी अन्य अदालत या प्राधिकरण को दायर किए गए आवेदन, या, जैसा भी मामला हो, मुआवजे या राहत के बारे में सूचित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. राज्य द्वारा जो निवेदन किया गया है वह यह है कि न तो एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* और न ही खान अधिनियम, *1952* अधिनियम की अनुसूची *I* में निर्धारित है, इसलिए, कोयला खनन अनुसूची *I* के दायरे में नहीं है और न ही न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। निवेदन आगे यह है कि धारा *14* की प्रयोज्यता के लिए धारा *14* की उप-धारा *(1)* के दोनों घटकों को संतुष्ट करना होगा कि *(i)* पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न और *(ii)* ऐसा प्रश्न अनुसूची *I* में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।

59. यह ध्यान देने योग्य है कि एन. जी. टी. के समक्ष मेघालय राज्य या इस पर सवाल उठाने वाले किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी।

एन. जी. टी. का अधिकार क्षेत्र। हालाँकि, यह मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा होने के कारण, हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है। एनजीटी ने तब संज्ञान लिया जब *17.04.2014* पर *2014* का *O.A.No.73* आवेदन स्वीकार किया गया और आदेश जारी किया गया। *2014* के आई. डी. *1* पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का पता *2014* के आई. डी. *1* में स्थापित मामले और अभिवचनों से लगाया जाना चाहिए, जिसके लिए हमें आवेदन की जांच करने की आवश्यकता है। *2014* के *O.A.No.73* को *2016* के *C.A.No.5272* में अनुलग्नक-*A3* के रूप में दर्ज किया गया है। यह आवेदन ऑल दिमासा छात्र संघ दीमा हसाओ जिले द्वारा दायर किया गया था।

समिति। आवेदन में निम्नलिखित उत्तरदाता थेः

1. मेघालय सरकार, शिलांग के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से। *2.* अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

मेघालय, शिलांग। *3.* असम राज्य के प्रधान सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, असम सरकार, दिसपुर के माध्यम से। *4.* अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम, दिसपुर। *5.* केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-*110032* अपने अध्यक्ष के माध्यम से। *6.* नॉर्थ ईस्टर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ब्रुकलिन कम्पाउंड, लोअर के माध्यम से
नई कॉलोनी, शिलांग-*793003*। मेघालय।

60. आवेदन के पैराग्राफ *3* में आवेदक के मामले और तथ्यों को संक्षेप में बताया गया है। पैराग्राफ *3* और *(I)* से *(VI)* इस प्रकार हैंः

"*3.*उपरोक्त नामित आवेदक वर्तमान प्रस्तुत करने के लिए भीख माँगता है
मेघालय के जयंतिया पहाड़ियों में अभी भी किए जा रहे अवैज्ञानिक ओपनकास्ट खनन कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में इस माननीय न्यायाधिकरण के ध्यान में लाने के लिए आवेदन मेघालय की पारिस्थितिकी टीई बनाम।

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

और असम के दीमा हसाओ जिले सहित संबंधित क्षेत्र की सामाजिक-अर्थव्यवस्था। यह कहा जाता है कि एसिड खदान

उपरोक्त से उत्पन्न जल निकासी *(*संक्षेप में *(*ए. एम. डी.*)* खनन कार्यों के परिणामस्वरूप नदी का पानी बन गया है

मेघालय और असम*)* और इसकी सहायक नदियां अत्यधिक अम्लीय हैं जो बदले में न केवल पर्यावरण, जल निकायों, मिट्टी, कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को गंभीर दूरगामी नुकसान पहुँचाती हैं। संबंधित क्षेत्र का उद्योग लेकिन इसके परिणामस्वरूप भी

महत्वपूर्ण पानी के नीचे पनबिजली का क्षरण/क्षरण कोपिली पनबिजली परियोजना के उपकरण *(*संक्षेप में*)*

'नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड *(*संक्षेप में 'एन. ई. ई. पी. सी. *0')* का के. एच. ई. पी. *')* उमरोंगसो, दीमा हसाओ में स्थित है।

असम का जिला जितना उक्त अम्लीय जल है अंततः उक्त परियोजना के जलाशयों की ओर ले गया।

ब्रीफ में तथ्य

I. कि आवेदक दीमा हसाओ छात्र संघ का सचिव है और लोगों के हित का समर्थन करने के लिए प्रतिनिधि क्षमता में वर्तमान याचिका दायर कर रहा है।

दीमा हसाओ, असम जो लगातार और मेघालय राज्य में उपरोक्त अवैध गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव का लगातार सामना करना पड़ रहा है।

II. कि कोपिली नदी पूर्वोत्तर भारत में एक अंतर-राज्यीय नदी है जो मेघालय और असम राज्यों से होकर बहती है।

और यह नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी तट की सहायक नदी है।

असम में ब्रह्मपुत्र, कोपिली नदी मेघालय में लुम बाह-बो बाह-कांग के काले पहाड़ों से निकलती है।

और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में उत्तर-पश्चिम की ओर बहती है। उक्त नदी मेघालय में जयंतिया पहाड़ियों का सीमांकन करती है। और असम में दिर्रिया हसाओ। नदी कुल लंबाई के लिए बहती है।

इसका जलग्रहण क्षेत्र *290* किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र *16,420* किलोमीटर है।

III. कि नीपको *(*भारत सरकार का एक उपक्रम*)* की कोपिली जलविद्युत परियोजना *(*के. एच. ई. पी.*)* अग्रणी परियोजनाओं में से एक है।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पनबिजली परियोजना। कोपिली पनबिजली संयंत्र *275* मेगावाट का भंडारण प्रकार का पनबिजली संयंत्र है जिसमें दो बांध हैं।

कोपिली जलाशय नामक दो जलाशयों का उपयोग *[2019] 8* एस. सी. आर. में किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली पैदा करने के लिए *2759* मीटर की सुरंग के माध्यम से खंडोंग पावरहाउस। इस बिजलीघर से पिछले पानी को उमरोंग जलाशय तक ले जाया जाता है, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए कोपिली बिजलीघर में *5473* मीटर की सुरंग के माध्यम से किया जाता है। हालाँकि, बांध, बिजलीघर और आवासीय कॉलोनी। कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक

प्लानर *(*के. एच. ई. पी.*)* दीमा हसाओ जिले में स्थित हैं।

(असम के पहले उत्तरी कछार पहाड़ी जिले के रूप में जाना जाता था, यह जलग्रहण क्षेत्र और जलाशय दो राज्यों मेघालय और असम में फैले हुए हैं। यह आगे कहा गया है कि कोपिली नदी और इसकी सहायक नदियां परियोजना के जलाशयों को पानी देती हैं। खरकोर कोपिली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और मेघालय के जयंतिया पहाड़ी जिलों के एक विशाल क्षेत्र में बहती है। जयंतिया पहाड़ियाँ कोयला खनन क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण खार्कोर नदी में एसिड माइन ड्रेनेज *(*ए. एम. डी.*)* के रूप में अम्लीय पानी का योगदान कर रही हैं, जो इसकी विभिन्न सहायक नदियों जैसे उर्न पाई, मिन्त्रियांग, उर्न रोपांग, सरबांग, मोस्टेम आदि के माध्यम से है क्योंकि ये धाराएँ जयंतिया पहाड़ियों के सक्रिय और निष्क्रिय कोयला खनन क्षेत्रों से होकर बहती हैं। अम्लीय पानी अंत में के. एच. ई. पी. के खंडोंग और उमरोंग जलाशयों तक पहुंच जाता है। के रूप में

इसके परिणामस्वरूप जलाशयों का पानी अत्यधिक अम्लीय हो गया है। जलग्रहण क्षेत्र की धाराओं में जल प्रदूषण भिन्न होता है।

भूरे से लाल नारंगी तक। खार्कोर और कोपिली नदियों की विभिन्न सहायक नदियों के माध्यम से वही प्रदूषित पानी लगातार के. एच. ई. पी. के जलाशयों तक पहुंच रहा है। ए के रूप में

नतीजतन, जलाशयों का पानी अत्यधिक अम्लीय हो गया है। हाल के वर्षों में, यह पाया गया है कि जलाशय के पानी की अम्लता उपकरणों और मशीनरी के लिए एक बड़ा खतरा है।

क्षरण/धातु क्षय और क्षरण। विभिन्न धातुओं और मिश्र धातुओं से बने कूलिंग वाटर हेडर पाइप, बेंड्स, थ्रॉटलिंग वाल्व, टरबाइन के प्रेशर इक्वलाइज़र पाइप आदि जैसे घटक गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं।

उच्च रखरखाव लागत।

. कि उपरोक्त खनन का कथित प्रतिकूल प्रभाव

संचालन जिसने न केवल पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है और क्षेत्र की सामाजिक-अर्थव्यवस्था लेकिन इसने भी गंभीर रूप से प्रभावित किया

कोपिली पनबिजली संयंत्र में पनबिजली का उत्पादन विभिन्न अध्ययनों का विषय रहा है। वास्तव में, मेघालया बनाम का एक विस्तृत विवरण।

सभी डिमासा छात्र संघ,-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

विज्ञान, खंड *I*, सं. *6,2011*। उपरोक्त दोनों प्रकाशनों में उपरोक्त का गहन विश्लेषण किया गया है। समस्या के साथ-साथ स्थिति में सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देता है। हालाँकि, यह कहा गया है कि कोई उचित और

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसेज, खंड *I*, संख्या *6,2011* को इसके साथ संलग्न किया गया है और इस प्रकार चिह्नित किया गया है अनुलग्नक-पी*/1* और पी-*2*। उपरोक्त अभियानों का दुष्प्रभाव भी विभिन्न समाचार पत्रों में समाचारों का विषय रहा है, जिसमें से एक द्वारा प्रकाशित किया गया है।

असम ट्रिब्यून ने *20* जून, *2012* को "कोपिली जल के संदूषण पर चिंता" शीर्षक के तहत और दूसरा "दो कोपिली बिजली इकाइयाँ बंद-जयंतिया पहाड़ियों में खनन मशीनों को प्रभावित करता है" शीर्षक के तहत *20.06.2013* पर टेलीग्राफ में प्रकाशित किया। असम ट्रिब्यून दिनांक *20.06.2012* और टेलीग्राफ दिनांक *20.06.2013* में प्रकाशित समाचार वस्तुओं की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं और क्रमशः अनुलग्नक-पी*/3* और पी-*4* के रूप में चिह्नित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

61. पैराग्राफ *3 (V)* में अपीलार्थी ने डॉ. ओ. पी. सिंह, प्रोफेसर, नॉर्थ-ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी, शिलांग की एक रिपोर्ट निकाली है।

मेघालय। रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ में कहा गया है कि एसिड माइन

जल निकासी *(*ए. एम. डी.*)* कोयला उद्योग की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या है और खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एएमडी आसपास के जल संसाधनों के पीएच को कम करने और कुल निलंबित ठोस, कुल घुलनशील ठोस और कुछ भारी धातुओं के स्तर को बढ़ाने के मामले में क्षेत्र की जल गुणवत्ता को कम करता है। पैराग्राफ *4* का हिस्सा निम्नलिखित है। *4* पैराग्राफ *3 (*वी*)* में निकाली गई रिपोर्टः

" *4.1. 4* पर्यावरण, सामाजिक-अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर ए. एम. डी. का प्रभाव

उद्योग

पर्यावरण और जल संसाधनों पर प्रभावः एसिड खदान

जल निकासी कोयले की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या है।

खनन उद्योग और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत

खनन क्षेत्रों के आसपास। अनुपचारित ए. एम. डी. का प्रवाह

धाराएँ पानी की गुणवत्ता और जलीय दोनों को गंभीर रूप से खराब करती हैं।

आवास वांछित उपयोग के लिए पानी को अनुपयुक्त बनाता है और अक्सर

अधिकांश जलीय जीवन से रहित वातावरण का उत्पादन करना। ए. एम. डी. आसपास के जल संसाधनों के पी. एच. को कम करने और बढ़ाने के मामले में क्षेत्र की जल गुणवत्ता को कम करता है।

कुल निलंबित ठोस, कुल घुलनशील ठोस का स्तर
और कुछ भारी धातुएँ। अम्लता और एस. ओ. की उच्च सांद्रता; लोहा और अन्य धातुएँ विषाक्त और संक्षारक साबित होती हैं।

हाइड्रॉक्साइड निलंबित ठोस पदार्थों के भार को बढ़ाता है जो
प्रकाश के प्रवेश और दृश्यता में कमी के परिणामस्वरूप

उत्पादकता और सामान्य कार्यप्रणाली में व्यवधान

दूषित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ए. एम. डी. भी विषाक्त हो सकता है।
वनस्पति के लिए जब उथली मिट्टी के पानी में छोड़ा जाता है

क्षेत्र और आर्द्रभूमि *(*वैन ग्रीन एट अल। *, 1999 ;* सिंह और अग्रवाल, *2004;* गोश, *1991)*।
नदियों और धाराओं के जलीय समुदायों में शामिल हैं -

फाइटोप्लांकटोरिस, पेरिफाइटन, मैक्रोफाइट्स, ज़ूप्लांकटन, अकशेरुकी और कशेरुकी प्रजातियाँ। वे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और

ये जल निकायों के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत हैं। आम तौर पर, लगभग सभी कीट टीई के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ।

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

आदेश, कीटों की एक उच्च विविधता सहित एफेमेरोप्टेरा *(*मेफ्लाइज*)* के वर्गीकरण आदेश,

प्लेकोप्टेरा *(*पत्थर की मक्खियाँ*)*, और ट्राइकोप्टेरा *(*कैडिस्फ्लाय*)*

सामान्यतः ई. पी. टी. कर कहल जाइत अछि। कोई भी भौतिक, रासायनिक

या जल निकायों में जैविक परिवर्तन एक या सभी को प्रभावित करता है।

प्रजाति और जलीय के सामान्य कामकाज को बाधित करता है

पारिस्थितिकी तंत्र। कई अन्य प्रदूषकों की तरह, एएमआईडी

संदूषण के कारण इन जलीय समुदायों की विविधता और कुल संख्या या प्रचुरता में कमी आती है।

जिसमें बेंथिक मैक्रोइनवर्टेब्रेट्स, मछलियाँ आदि शामिल हैं। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, सामुदायिक संरचना बदल जाती है और ए. एम. डी. से प्रभावित जल निकायों में ई. पी. टी. कर का प्रतिशत कम होता है।

दूषित स्थितियों की विशेषता प्रभुत्व है। प्रदूषण के कुछ वर्गीकरण प्रतिनिधियों का

सहिष्णु जीव।

जलीय अकशेरुकी जीवों की कमी के परिणामस्वरूप,

मछलियों को भोजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती है और वे पीड़ित होती हैं

अप्रत्यक्ष रूप से एएमडी संदूषण से एएमडी भी प्रत्यक्ष रूप से होता है।

विभिन्न शारीरिक कारणों से मछलियों पर प्रभाव

परेशानियाँ। हालांकि, मछलियों की मौत का प्राथमिक कारण

अम्लीय जल ब्लबोड से सोडियम आयनों का नुकसान है। कम।

कोशिकाओं और ऊतकों में ऑक्सीजन की उपलब्धता से

एसिड के पानी के रूप में एनोक्सिया और मृत्यु पानी में मछली के गिल्स की पारगम्यता को बढ़ाती है, जिससे गिल के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंभीर एनोक्सिया पी. एच. *4.2* से नीचे होता है। निम्न एच जो नहीं है

प्रत्यक्ष रूप से घातक मछली की वृद्धि दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और

प्रजनन।

62. इसके अलावा, अनुच्छेद *4.2*। *3* रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्र में कोयला खनन और पैराग्राफ *4.2* पर चर्चा की गई है। *4* कोयला खनन के प्रभाव से निपटा गया

एक पहाड़ी और अनुच्छेद *4.2*। *5* कोयला खनन में पानी की गुणवत्ता में गिरावट से निपटा गया। परिच्छेद *4.2*। *3* , *4.2. 4* , *4.2. 5* और *4.2*। *6* जो थे

2014 के *O.A.No.73* में सी. टी. ई. डी. निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं:

" *4.2. 3* जयंतिया पहाड़ियों में कोयला खनन

इन तीनों में कोयला निकाला जा रहा है।

हालाँकि, क्षेत्रों में प्रमुख उत्पादन जयंतिया पहाड़ियों में होता है। जयंतिया हिल्स में खनन गतिविधि एक लघु उद्यम *[2019] 8* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित जो भूमि के मालिक हैं। आदिम खनन विधि जिसे आमतौर पर 'चूहा-छेद' खनन के रूप में जाना जाता है

मेघालय में अभ्यास करें। इस विधि में भूमि सबसे पहले है।

हाथ से। पहाड़ी ढलानों के किनारे की खुदाई करके कोयले की सीम तक पहुंचा जाता है और फिर एक क्षैतिज सुरंग के माध्यम से कोयला निकाला जाता है। सुरंग या गड्ढे से कोयले को निकाला जाता है और पास के बिना खनन वाले क्षेत्र में फेंक दिया जाता है, जहाँ से इसे व्यापार और परिवहन के लिए राजमार्गों के पास बड़े डंपिंग स्थानों पर ले जाया जाता है। अंत में, कोयले को ट्रकों द्वारा राजमार्गों के पास बड़े डंपिंग स्थानों पर ले जाया जाता है। व्यापार और परिवहन। खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास के पूरे सड़क किनारों का उपयोग कोयले के ढेर के लिए किया जाता है जो वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। क्षेत्र में ट्रकों और अन्य वाहनों की सड़क से बाहर आवाजाही क्षेत्र की पारिस्थितिकी को और नुकसान पहुंचाती है।

हर साल नए क्षेत्रों को खनन और क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है। जैंतिया पहाड़ियों में कोयला खनन दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, जैसा कि चित्र *4,5* में दिखाया गया है।

" 4.2. 4 जयंतिया पहाड़ियों में कोयला खनन का प्रभाव और

इससे परे

खनन संचालन, निस्संदेह धन लाया है और

खनन से जुड़े क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक और सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि के कारण गंभीर रूप से महसूस किया गया है। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक खनन और खनन के बाद के उपचार और खनन क्षेत्रों के प्रबंधन की अनुपस्थिति नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को पर्यावरणीय क्षरण के प्रति अधिक संवेदनशील बना रही है। और बड़े पैमाने पर भूमि आवरण/भूमि उपयोग परिवर्तनों की ओर ले जाता है। क्षेत्र में सतही खनन की वर्तमान कार्यप्रणाली बड़ी मात्रा में खदान खराब या अधिक बोझ टीई ऑफ मेघालय *v* उत्पन्न करती है।

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[अशोक भूषण, जे.]*

(समेकित और असंबद्ध सामग्री

कोयले की सीम*)* बजरी, चट्टानों, रेत, मिट्टी आदि के रूप में जो खदान के गड्ढों से सटे एक बड़े क्षेत्र में फेंके जाते हैं। अधिक बोझ और कोयले के फेंकने से आसपास की वनस्पति नष्ट हो जाती है और मिट्टी और जल गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र का ह्रास, पानी की कमी, वायु, जल और मिट्टी का प्रदूषण और कृषि भूमि का क्षरण कुछ विशिष्ट हैं।

जयंतिया में कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव पहाड़ियाँ। इसके अलावा, जयंतिया पहाड़ियों का पूरा कोयला खनन क्षेत्र खदान के गड्ढों और गुफाओं से भर गया है। ये खुले, खाली हैं।

गड्ढे वे स्थान हैं जहाँ सतह का पानी रिसता है और गायब हो जाता है। नतीजतन, क्षेत्र की छोटी नदियाँ और नदियाँ, जो लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती थीं, या तो पृथ्वी के चेहरे से पूरी तरह से गायब हो रही हैं या इसके बजाय मौसमी बन जाना। नतीजतन, यह क्षेत्र स्वच्छ पेयजल और सिंचाई के पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। इसके अलावा, अधिक बोझ और खनन किए गए कोयले के बेतरतीब तरीके से फेंकने और जमीन के अंदर घुसने और भूमि के नीचे गिरने के कारण एक विशाल क्षेत्र भौतिक रूप से विकृत हो गया है।

कोयले की खानों, भंडारण स्थलों से एसिड माइन ड्रेनेज *(ए. एम. डी.)* और विषाक्त रसायनों का निरंतर निर्वहन और

अत्यधिक बोझ ने क्षेत्र की नदी प्रणाली को प्रदूषित कर दिया है। अम्लीय जल भूमि और कृषि क्षेत्रों तक पहुँचने पर पारंपरिक कृषि को प्रभावित करता है और

क्षेत्र की कृषि उत्पादकता *(*दास गुप्ता और अन्य, *2002;* स्वेर और सिंह, *2004)*

" 4.2. 5 कोयला खनन के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट

क्षेत्र के जल निकाय कोयला खनन के सबसे बड़े शिकार हैं। जल निकाय बुरी तरह प्रभावित हैं एसिड खानों की जल निकासी *(ए. एम. डी.)* का संदूषण

खानों और लूट से, भारी धातुओं का रिसाव, जैविक संवर्धन और कोयले और रेत के कणों द्वारा गाद। सुरक्षित के प्रदूषण का प्रमाण पानी के रंग से मिलता है जो खनन क्षेत्र में अधिकांश नदियों और धाराओं में भूरे से लाल नारंगी तक भिन्न होता है। कम पी. एच. *(2-3* के बीच*)*, उच्च चालकता, सल्फेट, आयरन की उच्च सांद्रता और *[2019] 8* एस. सी. आर.

विषाक्त भारी धातु, कम घुलनशील ऑक्सीजन *(*डी. ओ.*)* और उच्च बी. ओ. डी. कुछ भौतिक-रासायनिक और जैविक मापदंड हैं जो पानी की गुणवत्ता के क्षरण को दर्शाते हैं। खनन क्षेत्र में पानी के भौतिक-रासायनिक और जैविक मापदंडों के विश्लेषण से पानी की गुणवत्ता में गंभीर गिरावट दिखाई देती है।

खनन क्षेत्र में पानी का रंग आम तौर पर भूरे से लाल नारंगी तक होता है। कोयले की गाद

कण, रेत, मिट्टी आदि और एएमडी का संदूषण और

आयरन हाइड्रॉक्साइड का बनना पानी के रंग में परिवर्तन के कुछ प्रमुख कारण हैं। आयरन हाइड्रॉक्साइड का निर्माण

*[*फे *(*सीएच*) 21* मुख्य रूप से खनन क्षेत्रों में पानी के नारंगी या लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। आयरन हाइड्रॉक्साइड एक पीले रंग की अघुलनशील सामग्री है जो आमतौर पर कोयला क्षेत्रों के जल निकायों में बनती है। यह वह सामग्री है जो धाराओं पर दाग लगाती है और पानी के लाल से नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार होती है। जब लोहे के ऊंचे स्तर को प्राकृतिक जल में डाला जाता है, तो लोहे का ऑक्सीकरण और हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, जिससे इसका अवक्षेप बनता है।

आयरन हाइड्रॉक्साइड।

कोयला खनन क्षेत्रों में पानी अत्यधिक अम्लीय पाया गया है। धाराओं और नदियों का पी. एच. *2.31* से *4.01* के बीच भिन्न होता है। कोयले, रेत, मिट्टी और अन्य खनिज कणों जैसे ठोस पदार्थ जल निकायों के तल पर जमा पाए गए। इसके अलावा, लोहे के निलंबित अवक्षेपों के कारण पानी भी मैला और रंगीन पाया गया। हाइड्रॉक्साइड। कोट खनन क्षेत्रों के जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन कम पाई गई, सबसे कम रावाका नदी और रिंबाई की मेतिंका धारा में *4.2* मिलीग्राम/लीटर पाई गई।

खनन क्षेत्रों के पानी में पानी पाया गया है

सल्फेट की सांद्रता *78* से *168* मिलीग्राम/एल के बीच। विद्युत चालकता कुल घुलनशील ठोस पदार्थों का एक त्वरित माप है।

आयनिक रूप में उपस्थित। कोयला खनन क्षेत्रों में पानी की चालकता अधिक पाई गई। नदियों और धाराओं के तल पर गाद का जमाव कोयला खनन क्षेत्रों में एक और महत्वपूर्ण समस्या है। खनन क्षेत्र के जल निकाय दिखाई देते हैं

विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को शामिल करना जो कम घुलनशील ऑक्सीजन *(*डी. *00* और उच्च जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग *(*बी. ओ. डी.*)* से स्पष्ट होता है।

टी. ई. ऑफ मेघालय बनाम. सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

नतीजतन, नदियाँ, धाराएँ और झरने जो अत्यंत समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक कृषि का समर्थन करते थे, और क्षेत्र में पीने योग्य और सिंचाई के पानी के स्रोत थे, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। इसके अलावा, कृषि में समग्र गिरावट आई है।

कोयले के कणों के साथ मिट्टी के संदूषण, एसिड खदानों के रिसाव और पानी की कमी के कारण उत्पादकता। कई नदियों और धाराओं का पानी जलीय जीवन से लगभग रहित हो गया है।

4.2. 6 जल की गुणवत्ता में गिरावट के कारण

पानी की गुणवत्ता में गिरावट के प्रमुख कारण, जैसा कि उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है, एएमडी निर्वहन हैं।

गाद और जैविक संवर्धन। किसी भी अन्य कोयला खनन क्षेत्र की तरह, एसिड माइन ड्रेनेज *(*ए. एम. डी.*)* मुख्य है।

जयंतिया पहाड़ियों के कोयला खनन क्षेत्रों में जल प्रदूषण का स्रोत। जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई है, एम्प का गठन एक

जटिल भू-रासायनिक और सूक्ष्मजीव प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला जो तब होती है जब पानी कोयले में पाए जाने वाले पाइराइट *(*आयरन सल्फाइड*)* के संपर्क में आता है और अधिक बोझ वाली चट्टानों को उजागर करता है। ऑक्सीजन, पानी और बैक्टीरिया की उपस्थिति में आयरन सल्फाइड सल्फ्यूरिक बनाता है।

एसिड को ए. एम. डी. कहा जाता है। इस प्रक्रिया में, आयरन हाइड्रॉक्साइड, एक पीला नारंगी अवक्षेप भी बनता है। द.

अन्य संदूषकों के साथ मिलकर आयरन हाइड्रॉक्साइड का प्रिसिपिटेट होने से पानी की मलिनता और रंग में परिवर्तन होता है जो प्रकाश के प्रवेश को कम करता है और जलीय जीवन को प्रभावित करता है। पानी में बेहद कम पी. एच. की स्थिति सिलिकेट और अन्य चट्टान खनिजों के अपक्षय और विघटन में तेजी लाती है, जिससे अन्य खनिजों की रिहाई होती है।

एल्यूमीनियम, मैंगनीज, तांबा, कैडमियम जैसे तत्व

पानी में आदि। इसलिए, एएमडी से दूषित पानी अक्सर निलंबित ठोस, अत्यधिक अम्लीय *(*कम पीएच*)* के साथ रंगीन और गन्दा होता है, और इसमें पानी की उच्च सांद्रता होती है।

विघटित धातुएँ और अन्य तत्व। कोयला खनन क्षेत्रों में जयंतिया पहाड़ियों की अधिकांश धाराएँ और नदियाँ गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

एएमडी से दूषित और इस प्रकार पानी अत्यधिक अम्लीय हो गया है। कुछ ए. एम. डी. प्रभावित जल निकायों के पी. एच. और अन्य मापदंडों को तालिका *4* में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका *4:1:* कुछ कोयले में पानी की गुणवत्ता मानकों का सारांश
खनन नदियाँ/जलाशय।

रंग पीएच

सल्फा ई

नदियाँ /

एस. आई.

से

नहीं।

धाराएँ और

कंडक

ते.

स्थान

पानी।

सक्रियता

निरंतरता

(पी एस/सी एम

टीएस

(मिलीग्राम/एल))

रोशनी।

2.8

1 .

मिनट्रियांग

36

56

भूरा रंग है।

2 .

3.2

160

186

उरन पाई

रावाका,

रेड्डी

166.5 135

2.31

3 .

रिंबाई

श.

केनई-उम,

74

2.66

144.0

रेड्डी

4.

रिंबाई

श.

मेतिंका,

लाल।

2.42

168.0 27

5.

रिंबाई

भौंहें

6.

118.7 67

3.52

यूआरएन

भूरा रंग है।

एच.

मिन्क्शेह,

लाड्रिंबाई

नारंगी

7.

थ्वाई

ब्राउन *4.01* है।

82.87

18

एच.

कुंगोर,

बापून

3.67

8.

उमकिरपोन,

रोशनी।

161.3

37

ओरंग

ख्लेहरियात

ई.

वाइख यीर्वी,

9.

78.69

सुतंगा

ब्राउनिस *3.96*

एच.

उम रूंग

10.

896

128

2.8

भूरा *2.9*

119

11 .

सबसेम

616

सरबांग

टर्बिड *3.35*

150

32

12 . *13 .*

3

उम लूरम

पीला *5.0*

19

खोंगडोंग

साफ करें।

14 .

43

4.6

34

जलाशय

स्रोतः वर्तमान अध्ययन; जीएसआई, *2006-7;*

बियावर, *2010* टी. ई. ऑफ मेघालय बनाम। सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

परिणाम बताते हैं कि जयंतिया पहाड़ियों के कोयला खनन क्षेत्रों में अधिकांश नदियाँ एएमडी से बुरी तरह प्रभावित हैं।

निम्न पीएच मानों, उच्च सल्फेट सामग्री और ईसी से

पानी के नमूनों में "।

63. इस प्रकार, आवेदन में स्पष्ट आरोप थे कि रिपोर्ट में निर्धारित विभिन्न उपचारात्मक उपायों में से कोई उचित नहीं था और

संबंधितों द्वारा उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

मेघालय राज्य की रियासतें। पैराग्राफ *3 (VI)* इस प्रकार हैः

" 3 (VI)। कि विभिन्न उपचारात्मक उपायों को पैराग्राफ *4.4,4,5,1.1* और *5.2* में विस्तार से निर्धारित किया गया है और अन्य प्रासंगिक हैं।

उक्त रिपोर्ट के अनुच्छेद। लेकिन सबसे अच्छे के लिए

दीमा सहित संबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण, जल, मिट्टी, कृषि आदि पर निरंतर और अपूरणीय क्षति असम के हसाओ जिले में भी राज्य के जयंतिया पहाड़ियों में कथित अवैध खनन कार्य जारी हैं।

मेघालय "।

64. आवेदन का आधार ए निम्नलिखित प्रभाव के लिए पुनः प्रस्तुत करने के लिए भी प्रासंगिक हैः

" मैदान

ए. कि मेघालय राज्य में जयंतिया पहाड़ियों में उपरोक्त अवैध खनन कार्यों ने न केवल पारिस्थितिकी, जल निकायों और पर्यावरण को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। दीमा हसाओ सहित संबंधित क्षेत्रों की सामाजिक-अर्थव्यवस्था

असम का जिला लेकिन इसके परिणामस्वरूप भी गंभीर कटाव हुआ है /

पानी के नीचे के पौधों और मशीनरी का क्षरण और

उत्तर की कोपिली पनबिजली परियोजना के उपकरण

ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया *(एक सरकार)* भारतीय उपक्रम*)*, उक्त खनन कार्य के दुष्प्रभाव को उपरोक्त विस्तृत विवरण में विस्तार से उजागर किया गया है।

डॉ. *O.P.Singh*, प्रोफेसर, उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों द्वारा परियोजना रिपोर्ट

विश्वविद्यालय के साथ-साथ उक्त लेख *[2019] 8* एस. सी. आर. में प्रकाशित हुआ।

और इसमें उत्तरदाताओं द्वारा प्रभावी उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और उक्त गतिविधियों का दुष्प्रभाव वे अभी भी असम के दीमा हसाओ जिले सहित संबंधित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी, जल निकाय और सामाजिक-अर्थव्यवस्था को

नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उपचारात्मक सुझावों के साथ इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के बावजूद उत्तरदाताओं की ओर से कुल निष्क्रियता पूरी तरह से अक्षम्य है और राज्य उत्तरदाताओं के कुल कठोर रवैये को दर्शाती है।

जल *(*प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण*)* अधिनियम, *1974*, वायु *(*प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण*)* सहित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* की अनुसूची *I* में उल्लिखित अधिनियम। आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा प्रदूषण*)* अधिनियम, *1981* और पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986*

भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* के तहत।

अवैध कोयला खनन। यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थी अधिकारियों की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप जल *(*रोकथाम और नियंत्रण*)* अधिनियम, *1974*, वायु *(*प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण*)* अधिनियम सहित एन. जी. टी. अधिनियम, *2010* की अनुसूची *I* में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन हुआ है। प्रदूषण*)* अधिनियम, *1981* और पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986*। इस प्रकार *2014* के आवेदन में स्पष्ट रूप से ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो न्यायाधिकरण के लिए धारा *14* द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त थे। धारा *14* की उप-धारा *1* में दिखाई देने वाले दोनों घटक अर्थात् *(i)* पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और *(ii)* ऐसा प्रश्न अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।

अनुसूची *I* में निर्दिष्ट, शामिल थे।

मेघालय राज्य *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

66. एन. जी. टी. ने *17.04,2014* पर *2014* के आवेदन *O.A.No.73* को स्वीकार करने के बाद अलग-अलग कार्यवाही की है और राज्य प्रदूषण सहित विभिन्न समितियों से विभिन्न रिपोर्ट मांगी है।

नियंत्रण बोर्ड। दिनांक *1* के आदेश द्वारा, एनजीटी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. पी. कटके की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी, जिसमें प्रो. अशोक के. सिंह, राजीव गांधी चेयर प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग

इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद आई. आई. टी. *(*आई. एस. एम.*)*, धनबाद *(82,6004)* के प्रतिनिधि, डॉ. शांतनु कुमार दत्ता, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक 'डी' प्रतिनिधि। उक्त समिति ने *31.12.2018* पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस विषय पर कि "क्या कोयला खनन गतिविधियों के साथ-साथ कोयले की डंपिंग से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है, यदि ऐसा है, तो इसकी प्रकृति और विस्तार?" मुद्दा सं. में निपटा दिया गया है। *(*घ*)* निम्नलिखित तरीके से:

"मुद्दा नं. *(*घ*)* क्या कोयला खनन गतिविधियों के साथ-साथ कोयले को फेंकने से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है, यदि -

(i) मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सितंबर, *1997* के महीने में "पर्यावरणीय" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। जयंतिया पहाड़ी जिले में कोयला खनन का प्रभाव "।

उक्त बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी प्रस्तावना में राज्य में सौ से अधिक वर्षों से अनियोजित और अवैज्ञानिक कोयला खनन गतिविधियों को स्वीकार किया है, जिन्होंने पिछले दो दशकों से खतरनाक आयाम हासिल किए हैं और पारिस्थितिक गड़बड़ी और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर रहे हैं, इस हद तक कि राज्य के कोयला खनन क्षेत्रों में जैविक जीवन का अस्तित्व ही खतरे में है। यह भी स्वीकार किया गया है कि इस तरह के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अब तक किसी भी संस्थान द्वारा कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए हैं। बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव ने प्रस्तावना में कोयला खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाया है। लगभग सभी नदियों और धाराओं में पानी का पी. एच. स्तर आवश्यक स्तर से नीचे पाया गया। कुछ नदियों और धाराओं में, पीएच स्तर *2.4* के रूप में कम पाया गया। मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उक्त रिपोर्ट में देखा है कि-*40*-कोयला भंडारण क्षेत्रों से एएमडी के यादृच्छिक निर्वहन और अम्लीय अपवाह ने भी *[2019] 8* एस. सी. आर. बना दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नदियाँ, नदियाँ और यहाँ तक कि भूजल भी अत्यधिक अम्लीय होते हैं। कोयला खनन और कोयला भंडारण क्षेत्रों की परिवेशी वायु गुणवत्ता भी कुछ हद तक खराब पाई गई। बोर्ड ने इसलिए कहा कि-"जयंतिया पहाड़ी जिले में अनियंत्रित और अवैज्ञानिक कोयला खनन कार्यों ने पहले ही बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक गड़बड़ी और पर्यावरणीय क्षरण पैदा कर दिया है क्योंकि वर्तमान में न तो खनिकों द्वारा कोई प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं और न ही खदान की भूमि के सुधार के लिए कोई गंभीर प्रयास किए जाते हैं।" उक्त रिपोर्ट में, खनन गतिविधियों के समग्र प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

(क*)* आम जनता और विशेष रूप से खनिकों के बीच प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों और ऐसे अवैज्ञानिक से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करना।

और अनियोजित कोयला खनन गतिविधियाँ।

(ख*)* खदान मालिकों, खनन के तहत क्षेत्रों की सूची तैयार करना और भूमि उपयोग की दर में बदलाव करना ताकि बेहतर के लिए आवश्यक प्रयासों की मात्रा के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके।

इन गतिविधियों का प्रबंधन। *(* ग*)* अधिकांश क्षेत्रों में कोयले के दोहन के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति की तर्ज पर उपयुक्त कानूनों को तुरंत लागू करना।

टिकाऊ तरीके से।

(घ*)* सबसे उपयुक्त का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ संस्थान को शामिल करना।

उचित प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ कोयले के दोहन के लिए प्रौद्योगिकियां ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण

पूरा आगे क्षरण के अधीन नहीं है। *(* ई*)* उपयुक्त का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ संस्थान को संलग्न करना।

खनन की गई भूमि के चरणबद्ध तरीके से पुनर्वास के तरीके ताकि दुर्लभ भूमि संसाधनों को उत्पादक स्थिति में वापस लाया जा सके

उपयोग करें।

(च*)* नियंत्रण के लिए वैकल्पिक परिवहन सुविधाओं की तलाश करना।

वाहनों से प्रदूषण। *(* छ*)* कोयले के भंडारण के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करना।

डंप रन ऑफ के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ बिक्री।

(ज*)* सतह और भूजल में ट्रेस तत्वों की उपस्थिति के पहलू का अध्ययन करना क्योंकि निम्न पीएच मान मेघालय की स्थिति *v*।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे*.]*

जल की विघटन शक्ति बढ़ाएँ। बड़ी संख्या में

ट्रेस तत्व हमेशा कोयले से जुड़े होते हैं जो मिलता है
कम पी. एच. वाले पानी में घुलनशील। ये ट्रेस तत्व गंभीर हैं।

बहुत कम सांद्रता में भी स्वास्थ्य संबंधी खतरे।

(i) वनरोपण के लिए आकर्षक योजनाएं शुरू करना।

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र।
(जे*)* राज्य खनिज नीति को विकसित करने के लिए

सरकारी एजेंसियां, सामाजिक संस्थान, स्थानीय बुजुर्ग और

खनिक, विशिष्ट भूमि स्वामित्व प्रणाली को ध्यान में रखते हुए

राज्य से। उपरोक्त सिफारिशों में से कुछ भी नहीं किया गया है।
अब तक लागू किया गया।

((ii) इसलिए यह स्पष्ट है कि जल के अलावा वायु प्रदूषण,

कोयला खनन के कारण सतही भूमि का क्षरण हो रहा है

मेघालय राज्य में गतिविधियाँ। प्रकाशन के बावजूद

प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की जाँच करने के लिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा और
उसी को ठीक करने के लिए भी "।

67. वर्तमान केवल आवेदक के आरोप का मामला नहीं है

अवैध और अनियमित कोयला खनन द्वारा पर्यावरणीय क्षरण के बजाय विशेषज्ञों की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर सामग्री थी,

मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सितंबर, *1992* के महीने में न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त कटके समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें जल, वायु और भूमि की सतह का पर्यावरणीय क्षरण साबित हुआ।

68. इसलिए, ठोस के बारे में पर्याप्त आरोप थे

पर्यावरण और अधिनियमों के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न

अनुसूची *I.* हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई सार नहीं देखते हैं कि एनजीटी के पास मामले पर विचार करने और आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रस्तुतिकरण के दौरान, विद्वान वकील

अपीलार्थी ने उस आवेदन का भी उल्लेख नहीं किया है जो आवेदक द्वारा *O.A.No.73/2014* में दायर किया गया था। राज्य सरकार के समक्ष मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टें थीं

मुद्दा उठाओ,

पर्यावरण क्षरण और न्यायाधिकरण ने राज्य की ओर से यह निवेदन लिया है कि न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

राज्य सरकार से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है जो अपने सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन है।

पर्यावरण संबंधी मामलों के संबंध में राज्य को सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए न कि अवरोधक के रूप में। संविधान का अनुच्छेद *48* ए प्रदान करता हैः

"*48* ए. पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वनों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

और देश का वन्य जीवन "।

69. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने टेची तागी तारा बनाम राजेंद्र सिंह मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

भंडारी और अन्य, *2018 (11)* एस. सी. सी. *734*। इस न्यायालय के पास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* की धारा *14,15* और *2 (*एम*)* पर विचार करने का अवसर था, जिसमें एन. जी. टी. के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न शामिल है। एन. जी. टी. द्वारा पारित आदेश की प्रकृति, जिसे इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी, निर्णय के पैरा *1* में देखी गई है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"*1.* अपीलों के इस समूह को राजेंद्र सिंह भंडारी बनाम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली *(*संक्षेप में "एनजीटी"*)* द्वारा पारित दिनांक *1* के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड राज्य *1.* ए. पर

एन. जी. टी. द्वारा पारित निर्णय और आदेश को पढ़ते हुए, यह है

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण इस बात से परेशान और व्यथित था कि कुछ व्यक्तियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया था
एन. जी. टी. के अनुसार, बोर्डों *(*संक्षेप में "एस. पी. सी. बी"*.)* के पास ऐसे उच्चाधिकार प्राप्त और विशेषज्ञता प्राप्त बोर्डों के सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता या योग्यता नहीं थी।

नियुक्ति या नामांकन। जबकि हम एन. जी. टी. के साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखते हैं और दर्द और पीड़ा को साझा करते हैं, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण ने, कानूनन, राज्य सरकारों को नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने और एस. पी. सी. बी. में नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। इसलिए, हम एनजीटी के फैसले को दरकिनार करते हैं, लेकिन ध्यान दें कि बड़ी संख्या में फैसले में परेशान
करने वाले तथ्य सामने आए हैं जिन पर अधिकारियों द्वारा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से राज्य सरकारें जो एस. पी. सी. बी. में नियुक्तियाँ या नामांकन करती हैं। ऐसी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए।

आकस्मिक रूप से या दिमाग के उचित अनुप्रयोग के बिना किया जाए
के कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों पर विचार करना

एसपीसीबी "। मेघालय राज्य *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

70. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

राज्य सरकार पेशेवरों और अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रमुख पदों को एक प्राथमिक विवाद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जिस पर एनजीटी का अधिकार क्षेत्र हो सकता है। पैराग्राफ *21* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: -

"*21.* जहाँ तक हमारा संबंध है, अधिनियम के संदर्भ में,

विवाद किसी अधिकार या हित का दावा होगा या

दावे को दूसरी तरफ विपरीत दावों द्वारा पूरा किया गया। दूसरे शब्दों में,

विवाद सार का होना चाहिए न कि रूप का और यह

हमें ऐसा लगता है कि जिन नियुक्तियों का हम संबंध रखते हैं

के लिए इस तरह के "विवाद" या यहां तक कि विवाद भी नहीं हैं

अधिनियम के उद्देश्य-वे एक के लिए विवाद हो सकते हैं

संवैधानिक अदालत एक रिट ऑफ क्को वारंट के माध्यम से हल करेगी,

लेकिन निश्चित रूप से एन. जी. टी. के लिए नहीं। की विफलता

राज्य सरकार पेशेवर और अनुभवी लोगों की नियुक्ति करेगी

एस. पी. सी. बी. में प्रमुख पदों पर व्यक्ति या नियुक्त करने में विफलता

किसी भी व्यक्ति को संयोग से एक अप्रभावी परिणाम हो सकता है

जल अधिनियम और वायु अधिनियम का कार्यान्वयन, लेकिन यह

इसे प्राथमिक विवाद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जिस पर एनजीटी

अधिकार क्षेत्र होगा। ऐसी विफलता एक वैधानिक हो सकती है

दायित्व जिस पर, वर्तमान संदर्भ में और नहीं

सार्वभौमिक रूप से, केवल एक संवैधानिक न्यायालय के पास होगा

अधिकार क्षेत्र और एन. जी. टी. जैसी वैधानिक संस्था नहीं। जबकि हम

के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एनजीटी की चिंता की सराहना करें
अपने वैधानिक कार्यों के एक भाग के रूप में पर्यावरण, हम नहीं कर सकते

एन. जी. टी. को सक्षम बनाने के लिए इन अवधारणाओं का विस्तार करें

विचार करें कि किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए या

किसी एस. पी. सी. बी. का सदस्य या जिसे इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

})

71. उपरोक्त मामले में शामिल मुद्दा पूरी तरह से अलग था

जो सीधे तौर पर पर्यावरण क्षरण से संबंधित नहीं था। क्या एनजीटी के पास किसी विशेष मुद्दे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, यह एक ऐसा सवाल है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या एनजीटी के पास किसी मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित मामले को प्रश्न का उत्तर देने के लिए देखा जाना चाहिए। टेची तागी तारा *(ऊपर)* का निर्णय अपने तथ्यों पर था और इसमें अपीलार्थी की मदद नहीं करता है वर्तमान मामला।

72. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करते हैं

राज्य के विद्वान वकील का कि न्यायाधिकरण ने अपने *[2019] 8* एस. सी. आर. को पार कर लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2014 के आवेदन *O.A.No.73* पर विचार करने में धारा *14* और *15* के तहत अधिकार क्षेत्र। हम इस संबंध में राज्य द्वारा लिए गए रुख के प्रति अपनी असहमति भी दर्ज करते हैं।

प्वाइंट नंबर *2*

73. उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करने से पहले, सबसे पहले, हमें मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में भूमि कार्यकाल की प्रकृति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में भूमि कार्यकाल की प्रकृति के सवाल पर पक्षों के विद्वान वकील अलग-अलग नहीं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, *1971* द्वारा मेघालय राज्य का गठन स्वतंत्र पूर्ण राज्य के रूप में किया गया था। संविधान के प्रवर्तन के बाद यह क्षेत्र, जो अब मेघालय राज्य में शामिल है, असम राज्य में शामिल किया गया था, जिसका प्रशासन और नियंत्रण संविधान की छठी अनुसूची के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद *244* के अनुसार था। जहाँ तक मेघालय के पहाड़ी जिलों में भूमि कार्यकाल की बात है, संविधान के आने के बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। संविधान के आने से पहले भूमि राजस्व की कोई भुगतान प्रणाली नहीं थी।

मेघालय के पहाड़ी जिले। पक्षों के विद्वान वकीलों ने भूमि कार्यकाल प्रणाली से संबंधित विभिन्न सामग्रियों का उल्लेख किया है। मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में प्रचलित है। मेघालय के खासी पहाड़ी जिले की भूमि दो प्रभागों री रेड और री किन्टी के अंतर्गत आती है। री रेड भूमि सामुदायिक भूमि है जो पूरे समुदाय के लाभ और उपयोग के लिए अलग रखी गई है। री किन्टी भूमि निजी है। स्वामित्व वाली भूमि जो समुदाय के साथ-साथ व्यक्तियों के भी स्वामित्व में थी। रे किंटी भूमि का मालिक एक पूर्ण स्वामी है। जयंतिया पहाड़ियों में कार्यकाल प्रणाली को दो प्रकार की भूमि में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, हाली/सिंचित भूमि और ऊँची भूमि। हाली भूमि आगे है।

राज भूमि, सेवा भूमि, ग्राम पूजा भूमि और निजी भूमि में वर्गीकृत। जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाली या तो निजी स्वामित्व वाली अधिकांश भूमि के संबंध में स्वामित्व अधिकार राज्य में निहित नहीं है। पहाड़ी जिले में भूमि राजस्व के भुगतान की कोई प्रणाली प्रचलित नहीं है।

मेघालय, राज्य की भूमि को छोड़कर। के उद्देश्यों के लिए

वर्तमान मामले में जहां अपीलकर्ता का निवेदन है कि वह भूमि जिसमें कोयले का खनन कार्य किया जा रहा है, आदिवासियों की भूमि है जो भूमि के साथ-साथ उप-मिट्टी के भी मालिक हैं, हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं कि आदिवासी भूमि का मालिक है। यह आगे अपीलार्थी का मामला है कि मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में भूमि में

जो निजी तौर पर जनजातीय या समुदाय के स्वामित्व में है, आदिवासी या समुदाय या कबीला दोनों सतह अधिकार और मेघालय राज्य के मालिक हैं।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

उप-मिट्टी। यह अपीलार्थी का मामला है कि राज्य का उप-मिट्टी या खनिजों पर कोई अधिकार नहीं है। थ्रेसियाम्मा जैकब और अन्य बनाम भूविज्ञानी, खनन और भूविज्ञान विभाग में इसका निर्णय

और अन्य, *2013 (9)* एस. सी. सी. *725* पर निर्भर है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय को मद्रास राज्य के मालाबार क्षेत्र में जीनमोम भूमि के संबंध में उप-मिट्टी/खनिज अधिकारों के स्वामित्व के प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था। जीनमॉम अधिकारों के धारक ने न केवल मिट्टी के मालिक के रूप में बल्कि मिट्टी में खनिजों के मालिक के रूप में भी दावा किया। इस न्यायालय ने पैराग्राफ *58* में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः

"*58.* उपर्युक्त कारणों से, हमारी राय है कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह घोषित करता है कि सभी खनिज संपदा/उपमृत्तिका अधिकार राज्य में निहित हैं, दूसरी ओर, उपमृत्तिका/खनिज संपदा का स्वामित्व सामान्य रूप से भूमि के स्वामित्व का पालन करना चाहिए, जब तक कि भूमि का मालिक किसी वैध प्रक्रिया द्वारा उससे वंचित न हो जाए। तत्काल अपीलों में, इस तरह के किसी भी अभाव को हमारे संज्ञान में नहीं लाया जाता है और इसलिए हम मानते हैं कि अपीलार्थी अपनी भूमि में प्राप्त होने वाले खनिजों के मालिक हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम राज्य को रॉयल्टी का भुगतान करने के उनके दायित्व के बारे में कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा एक बड़ी पीठ को भेजा गया है।

74. राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर *1967* एस. सी. *1081* , यह निर्धारित किया गया था कि भूमि की सतह का प्रथम दृष्टया मालिक भूमि के नीचे की हर चीज का हकदार है जब तक कि अनुदान में कोई स्पष्ट या निहित आरक्षण न हो। पैराग्राफ *13* में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

"*13.* हमारी राय में, दोनों सनदों का पढ़ना अपीलार्थी के मामले का समर्थन करता है कि सरकार के पक्ष में खनिज अधिकारों का कोई आरक्षण नहीं है। *1803* ईस्वी के सनद में प्रयुक्त अभिव्यक्ति यह है कि "आपको उन्हें अचल जागीर और महल का राजा मानना चाहिए और इससे संबंधित सब कुछ उनका है।" वास्तव में, दोनों सनदों में राजा को दिया गया अनुदान अगोरी के महल में शामिल भूमि और हर चीज का अनुदान है।

अनुदान को न केवल भूमि का बल्कि भूमि के नीचे या भीतर की हर चीज का भी अनुदान माना जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया भूमि की सतह का मालिक भूमि के नीचे की हर चीज का कानूनी रूप से हकदार है और अनुदान खनिजों में किसी भी आरक्षण के अभाव में आवश्यक रूप से *[2019] 8* एस. सी. आर.

सतह के अधिकारों के साथ पास करें *(*हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एडन। , खण्ड. *26* , पी। *325)* . दूसरे शब्दों में, सतह के अधिकार का हस्तांतरण नीचे के खनिजों के अधिकार को व्यक्त करता है जब तक कि वहाँ अनुदान में एक स्पष्ट या निहित आरक्षण है। एक अनुबंध

इसलिए भूमि को बेचने या पट्टे पर देने के लिए आम तौर पर शामिल होंगेः खानें, खदानें और खनिज इसके नीचे या उसके भीतर *(*मिशेल बनाम।

राजा के पक्ष में सरकार ने अपनी सभी क्षमताओं के साथ राजा को भूमि पर अधिकार दिया और केवल भूमि के स्वामी के रूप में सरकार के सभी अधिकारों के बदले में उस पर एक निश्चित राशि का राजस्व

लगाया। जब दोनों पक्षों में से किसी को भी अनदेखे खनिजों के बारे में पता नहीं था
भूमि के नीचे और आरक्षण का विचार कभी नहीं आया

उनके दिमाग में यह नहीं माना जा सकता है कि अनुदान में कोई निहित आरक्षण था। न ही बाद में मूल अनुदान को अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि पर मौजूद विभिन्न अधिकारों और उसमें आयात करने के बीच कोई अंतर किया जा सकता है जिसकी किसी भी पक्ष ने कल्पना नहीं की होगी। उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि मूल्यांकन कृषि आय पर किया गया था, लेकिन यह

परिस्थिति को दिए गए अधिकारों से अवमूल्यन नहीं हो सकता है

दो सनदों में राजा क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था

भूमि का उपयोग और राजा द्वारा उपयोग इन तक सीमित नहीं था
कृषि "।

75. इस प्रकार, मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में लागू भूमि कार्यकाल की प्रकृति को देखते हुए, अधिकांश भूमि या तो

निजी या समुदाय जिसके स्वामित्व में राज्य किसी भी अधिकार का दावा नहीं करता है। इस प्रकार, भूमि के निजी मालिकों के साथ-साथ समुदाय के मालिकों के पास सतह का अधिकार और उप-मिट्टी का अधिकार दोनों हैं। इस प्रकार, हमारी राय है कि आदिवासियों के पास भूमि का स्वामित्व था और खनिजों का भी स्वामित्व था, जो एक अपरिहार्य निष्कर्ष है। इस प्रकार, हम इस आधार पर मुद्दों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि निजी स्वामित्व वाली भूमि या सामुदायिक भूमि में खनिज भी मालिक में निहित होते हैं। सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या एम. एम. आर. डी. अधिनियम, *1957* के प्रावधान मेघालय राज्य के पहाड़ी जिले के जनजातीय क्षेत्र में लागू होते हैं।

76. संविधान का भाग *X* अलग से अनुसूचित से संबंधित है

और जनजातीय क्षेत्र। मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों को जनजातीय क्षेत्र माना जाता था और उन्हें अनुसूची *VI* के साथ पठित अनुच्छेद *244* उपखंड *(2)* द्वारा शासित किया जाना था। मेघालय राज्य के गठन के बाद अनुच्छेद *244* के प्रावधान इस प्रकार हैं:

"अनुच्छेद *244*। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन

क्षेत्र। - *(1)* पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे। *(2)* छठी अनुसूची के प्रावधान इन पर लागू होंगे -

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।

77. संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं।

रा और मिज़ोरम '। छठी अनुसूची का अनुच्छेद *20* जनजातीय को संदर्भित करता है

और दूसरे भाग में खासी हिल्स जिला, जयंतिया हिल्स शामिल हैं।

आई. सी. टी. और गारो हिल्स जिला जिन्हें संदर्भित किया गया है

नामित जिले। छठी अनुसूची पैरा *1 (1)* इस प्रकार हैः

" 1. स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र। *- (1)* इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अधीन, भाग *I, II* और *IIA* के प्रत्येक मद में और पैराग्राफ से जुड़ी तालिका के भाग *III* में जनजातीय क्षेत्र। *20* इस अनुसूची का एक स्वायत्त जिला होगा।

78. छठी अनुसूची के पैरा *2* में जिले के गठन का प्रावधान है।

सी. आई. एल. और क्षेत्रीय परिषदें। पैरा *3* की शक्तियों का प्रावधान करता है

आई. सी. टी. परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को कानून बनाने के लिए जो

विंग प्रभावः

" 3. जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियाँ

कानून बनाने के लिए। *(1)* एक स्वायत्त के लिए क्षेत्रीय परिषद ऐसे क्षेत्र और जिले के भीतर सभी क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र

सभी क्षेत्रों के संबंध में एक स्वायत्त जिले के लिए परिषद

जिला के भीतर क्षेत्रीय परिषदों, यदि कोई हो, के अधिकार में आने वाले जिलों को छोड़कर जिले को इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी -

(क) किसी भी भूमि के अलावा, जो आरक्षित वन है, भूमि का आवंटन, कब्जा या उपयोग, या अलग करना।

कृषि या चराई या आवासीय या अन्य उद्देश्यों के लिए
गैर-कृषि उद्देश्यों या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो किसी गाँव या शहर के निवासियों के हितों को बढ़ावा देने की संभावना हैः

बशर्ते कि ऐसे कानूनों में कुछ भी नहीं होगा

किसी भी भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण, चाहे वह कब्जे में हो या *[2019] 8* एस. सी. आर.

खाली, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए *1 [*संबंधित राज्य सरकार द्वारा*]* उस समय के लिए कानून के अनुसार

इस तरह के अधिग्रहण को अधिकृत करने के लिए बल में होना;

(ख) किसी भी ऐसे वन का प्रबंधन जो आरक्षित वन नहीं है।

(ग) के प्रयोजन के लिए किसी नहर या जल-मार्ग का उपयोग

कृषि*;*

(घ) झूम या शिफ्ट के अन्य रूपों के अभ्यास का विनियमन

खेती करना*;*

(ङ) गाँव या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना

और उनकी शक्तियाँ*;*

(च) गाँव या नगर प्रशासन से संबंधित कोई अन्य मामला, जिसमें गाँव या नगर पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल हैं।

यह*;*

(छ) प्रमुखों या प्रमुखों की नियुक्ति या उत्तराधिकार*;*

(2) इस पैराग्राफ में, "आरक्षित वन" का अर्थ है कोई भी क्षेत्र जो असम वन विनियमन, *1891* के तहत या उस क्षेत्र में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत आरक्षित वन है। सवाल करते हैं। *(3)* इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए सभी कानूनों को तुरंत राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक उनके द्वारा सहमति नहीं दी जाती, तब तक

कोई प्रभाव नहीं। "

79. छठी अनुसूची का पैरा *9* जो वर्तमान के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

" *9.* खनिजों के लिए संभावना या निष्कर्षण के उद्देश्य से लाइसेंस या पट्टे। *(1)* किसी स्वायत्त जिले के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए खनिजों की संभावना या निष्कर्षण के उद्देश्य से लाइसेंस या पट्टों से प्रत्येक वर्ष उपार्जित रॉयल्टी का ऐसा हिस्सा, जिस पर राज्य सरकार और ऐसे जिले की जिला परिषद के बीच सहमति हो।

जिला परिषद।

(2) यदि जिला परिषद को सौंपी जाने वाली ऐसी रॉयल्टी के हिस्से के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसे निर्धारण के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से निर्धारित राशि को इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद *(1)* के तहत जिला परिषद को देय राशि माना जाएगा और

राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

80. मेघालय के लिए प्रासंगिक पैरा *12* ए इस प्रकार है:

"12 ए. संसद और के अधिनियमों का अनुप्रयोग मेघालय राज्य का विधानमंडल स्वायत्तता के लिए

मेघालय। इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद,

(क) यदि मेघालय राज्य में किसी जिला या क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में बनाई गई कानून का कोई प्रावधान है।

इस अनुसूची के पैरा *3* का उपपैरा *(1)* या यदि इस अनुसूची के पैरा *8* या पैरा *10* के तहत उस राज्य में किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाए गए किसी विनियमन का कोई प्रावधान, -

मेघालय राज्य उस मामले के संबंध में, तब, जिला परिषद या, यथास्थिति, क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाई गई विधि या विनियम, चाहे वह मेघालय राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में बनाई गई हो, प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होगी और मेघालय राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि - मेघालय राज्य प्रबल होगा;

(ख) राष्ट्रपति, संसद के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकता है कि यह मेघालय राज्य के किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या ऐसे जिले या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू होगा, बशर्ते कि ऐसा हो।

अपवाद या संशोधन जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा कोई भी निर्देश दिया जा सकता है ताकि पूर्वव्यापी प्रभाव पड़े।

81. अब हम खान और खनिज *(*विकास विनियमन*)* अधिनियम, *1957* पर लौटते हैं। खानों और खनिजों के उत्पादन और विनियमन के लिए अधिनियम, *1957* अधिनियमित किया गया है।

नीयन। अधिनियम की धारा *1* इस प्रकार हैः

*"*खंड *1.* संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। *(1)* इस अधिनियम को खान और खनिज *(*विकास और खनिज*)* कहा जा सकता है।

विनियमन*)* अधिनियम, *1957*।

(2) यह पूरे भारत में फैला हुआ है।

(3) यह ऐसी तारीख *3* को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

82. यह अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. *01.06.1958* से लागू हुआ। क्या छठी अनुसूची या कानून के किसी अन्य प्रावधान में कोई संकेत हैं जिसके द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि अधिनियम, *1957* मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के पहाड़ी जिले में लागू नहीं है*?* हम सबसे पहले संविधान की छठी अनुसूची का उल्लेख कर सकते हैं जो एक प्रावधान है -

मेघालय राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। पैरा *12* ए उपखंड *(*बी*)* यह सशक्त करता है कि राष्ट्रपति, संसद के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकता है कि यह मेघालय राज्य के किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या ऐसे जिले या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू होगा, जो ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन होगा जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे। संविधान की छठी अनुसूची के पैरा *12* ए *(*बी*)* के तहत राष्ट्रपति द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, हालांकि उक्त पैरा *12* ए *(*बी*)* संविधान में *21.1.1972* से प्रभावी है। इस प्रकार, संविधान की छठी अनुसूची में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके बारे में संकेत दे सके -

राज्य के पहाड़ी जिलों के संबंध में अधिनियम, *1957* की अप्रयोज्यता मेघालय। इस मोड़ पर, हम *31* मार्च, *2013* को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भी ध्यान दे सकते हैं। पैरा *7.5* में। *1* रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है:

" *7.5. 1 .* परिचय
मेघालय कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम, ग्रेनाइट और मिट्टी जैसे मूल्यवान खनिजों के बड़े भंडार से संपन्न है। खनिज मूल्यवान संसाधन होने के कारण, खनिजों के निष्कर्षण और उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खनन के वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से निष्कर्षण को अधिकतम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अधिकांश खनिज भंडार उन क्षेत्रों में हैं जो वन क्षेत्र में हैं और इसलिए, राज्य में खनन का पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। मेघालय में, व्यक्तिगत और स्थानीय समुदायों का भूमि और खनिजों पर स्वामित्व है और कुछ आरक्षित वन क्षेत्रों को छोड़कर, खनिजों पर राज्य सरकार का कोई स्वामित्व नहीं है। मेघालय राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान *(*एम एंड जी*)* विभाग की गतिविधियाँ *v.*

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

(जी. ओ. एम.*)* भूगर्भीय जांच/खनिजों की खोज के अलावा राज्य के बाहर निर्यात किए जाने वाले खनिजों पर रॉयल्टी के संग्रह तक सीमित हैं। खान और खनिज *(*विकास और विनियमन*)*

तदनुसार खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास और परमिट, लाइसेंस और पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए बनाए गए एमएमडीआर अधिनियम के तहत बनाया गया है। जी. ओ. एम. ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए मेघालय खनिज उपकर अधिनियम, *1988* लागू किया है। इसके अलावा खनिज संसाधनों के व्यवस्थित, वैज्ञानिक और नियोजित उपयोग को सुविधाजनक बनाने और खनिज आधारित संसाधनों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से
राज्य का विकास, मेघालय खान और खनिज नीति,

2012 5 नवंबर *2012* से इसे भी अधिसूचित किया गया है। "

83. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिनियम, *1957* खानों के विनियमन और खानों के विनियमन के लिए पूरी तरह से लागू है। मेघालय राज्य में खनिज।

84. मेघालय राज्य के विद्वान वकील ने भी सरकार के संयुक्त सचिव के एक हलफनामे के साथ हमारे समक्ष दायर किया है।

मेघालय, खनन और भूविज्ञान विभाग दिनांक *13.04.1018* जिसके द्वारा मेघालय सरकार द्वारा जारी मेघालय खान और खनिज नीति, *2012* के साथ-साथ वर्ष *2015* में तैयार राज्य में कोयला खनन गतिविधियों के मसौदा दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड में लाया गया है।

85. नीति के खंड *10* में "खदान विकास और खनन के लिए नियामक ढांचा" का प्रावधान है। खंड *10* का उपखंड ख*)*

खनिज रियायत के लिए आवश्यक आवेदन या तो नए या नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार को डिप्टी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। उस जिले के आयुक्त, जिसके लिए आवेदन किया गया क्षेत्र स्थित है और संबंधित जिला परिषद और भूमि मालिक से एन. ओ. सी. के साथ। खंड *10* मेघालय के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी और अन्य आवश्यकताओं को भी संदर्भित करता है। उपखंड *(1)* ने आगे विचार किया कि खनिज रियायतों के अनुदान के लिए आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा, जहां भी आवश्यक हो केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ। इस प्रकार, *2012* की नीति में राज्य द्वारा खनन पट्टे के लिए नियामक व्यवस्था पर विचार किया गया। सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग ने राज्य में कोयला खनन गतिविधि के लिए दिशानिर्देशों का एक मसौदा तैयार किया था जिसे दिनांकित उपरोक्त हलफनामे के साथ रिकॉर्ड में भी लाया गया है।

13.04.2018 .

86. उपरोक्त दिशा-निर्देश केंद्र सरकार के परामर्श के बाद तैयार किए गए थे। *87.* राज्य द्वारा तैयार किए गए उपरोक्त मसौदा दिशानिर्देशों में मेघालय राज्य में किए जा रहे अनियमित और अवैज्ञानिक खनन का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। कोयला खनन के नीतिगत दिशानिर्देश जो दिशानिर्देशों का हिस्सा हैं, उनमें निम्नलिखित कथन भी शामिल हैं:

खनन कानूनों के अलावा, जो खानों में पर्यावरण को भी नियंत्रित करते हैं, भारत में खानों के संरक्षण के लिए विस्तृत पर्यावरण कानून हैं।
खनन में पर्यावरण "।

88. राज्य द्वारा खनन नीति तैयार करने के लिए एन. जी. टी. के निर्देश के संबंध में श्री नाफड़े की एक प्रस्तुति पर भी विचार करने की आवश्यकता है। श्री नाफडे प्रस्तुत करते हैं कि मेघालय राज्य के पास प्रमुख खनिजों के संबंध में कोई विधायी क्षमता नहीं है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मेघालय राज्य को खनन नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता था।

89. इस पूर्व स्थिति पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* को देखते हुए मेघालय राज्य की विधायी क्षमता

प्रविष्टि *23* के तहत सूची *II* को अस्वीकार कर दिया गया है। हालांकि, एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के साथ-साथ खनिज रियायत नियम, *1960* के तहत, राज्य को कई वैधानिक दायित्व/अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। मेघालय, जिसका उल्लेख इस निर्णय में बाद में किया जाएगा।

90. जब एक संसदीय अधिनियम के तहत, राज्य को कुछ वैधानिक दायित्व दिए गए हैं, तो राज्य में मेघालय राज्य के अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

संसदीय अधिनियमों द्वारा राज्य को प्रदत्त अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने या लागू करने के लिए नीति तैयार करना। यह सच है कि राज्य द्वारा बनाई जाने वाली खनन नीति को एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र तक सीमित रखना होगा। खनन से संबंधित अन्य संबंधित मुद्दे हैं जैसे कि पर्यावरण और वन जिसके लिए राज्य को अपने उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए अपनी नीति घोषित करनी होती है। खनन से संबंधित कई अन्य पहलुओं जैसे पुनर्वास, सुधार और बहाली को राज्य द्वारा प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है, जिसके लिए भी एक नीति तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। हम यह भी देख सकते हैं कि मेघालय खान और खनिज नीति, *2012* मेघालय राज्य द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी थी

एनजीटी द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। एन. जी. टी. के निर्देशों के अनुसरण में, यह

2015 के दिशानिर्देशों का मसौदा था, जिसे मेघालय राज्य द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि मेघालय राज्य द्वारा खनन नीति घोषित करने के लिए एनजीटी के निर्देश को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, राज्य अपनी खनन नीति में केवल उन क्षेत्रों को शामिल कर सकता है जहां उसका अधिकार क्षेत्र एमएमडीआर अधिनियम, *1957* और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत है।

91. संपूर्ण नीति दस्तावेजों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि नीति राज्य द्वारा अधिनियम, *1957* और खनिजों के अनुसार बनाई गई है।

(रियायत*)* नियम, *1960*।

92. मेघालय सरकार ने भी अनुरोध किया है कि

मेघालय राज्य को एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* के कुछ प्रावधानों से छूट देने के लिए छठी अनुसूची के पैरा *12* ए *(*बी*)* के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने के लिए वर्ष *2015* में भारत सरकार। इसके बाद

कई विचार-विमर्शों के बाद, भारत संघ ने अपने ओ. एम. दिनांक *12.03.2019* के माध्यम से सूचित किया है कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करने के लिए मेघालय सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है छठी अनुसूची के पैरा *12* ए *(*बी*)* के तहत। इस प्रकार, मेघालय राज्य द्वारा छूट जारी करने के अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया है। मेघालय राज्य का अनुरोध कि पैरा *12* ए *(*बी*)* के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा छूट दी जाए, स्वयं ही मान्यता व्यक्त करता है।

मेघालय राज्य में अधिनियम, *1957* के प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संविधान की छठी अनुसूची में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी तरह से मेघालय राज्य के पहाड़ी जिले के जनजातीय क्षेत्रों में अधिनियम, *1957* की प्रयोज्यता को बाहर करता हो।

प्वाइंट नं. *3*

93. हमें यह पता लगाने के लिए अधिनियम, *1957* की वैधानिक योजना की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या संसदीय कानून के लिए पट्टा प्राप्त करने की आवश्यकता है।

जहाँ तक निजी स्वामित्व वाली भूमि/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि से कोयले के खनन का संबंध है, खनिज प्राप्त करने के लिए*?*

94. अधिनियम, *1957* की धारा *2* में घोषणा शामिल है -

निम्नलिखित प्रभावः

"2. संघ नियंत्रण की अनिवार्यता के बारे में घोषणा। यह है।

एतद्द्वारा घोषणा की गई कि जनहित में यह समीचीन है कि संघ को खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

95. अधिनियम, *1957* को सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि *54* सूची *I* के संदर्भ में निम्नलिखित प्रभाव से अधिनियमित किया गया हैः

"प्रविष्टि *54.* खानों और खनिज विकास का विनियमन जिस हद तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा समीचीन घोषित किया जाता है

जनहित में '।

96. इस मोड़ पर, हम सूची *II* की प्रविष्टि *23* को देख सकते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"प्रविष्टि *23.* खानों का विनियमन और खनिज विकास विषय

विनियमन के संबंध में सूची *I* के प्रावधानों के लिए और

संघ के नियंत्रण में विकास "।

97. प्रविष्टि *23* के तहत विधायी शक्ति के अधीन है

संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास के संबंध में सूची *I* का प्रावधान। जब संघ ने खानों के विनियमन और अधिनियम में प्रदान की गई सीमा तक खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की है। राज्य की विधायी शक्ति को उपरोक्त सीमा तक अस्वीकार कर दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान वकील के पास भी बहुत कुछ है

98. अधिनियम की धारा *3* में परिभाषा खंड शामिल है। धारा *3 (*सी*)* खनन पट्टे को परिभाषित करती है और धारा *3 (*डी*)* एक खनन संचालन को परिभाषित करती है जो निम्नलिखित प्रभाव पड़ता हैः

"धारा *3 (*सी*)* "खनन पट्टा" का अर्थ है इस उद्देश्य के लिए दिया गया पट्टा।
खनन कार्यों को शुरू करने के लिए, और इस तरह के उद्देश्य के लिए दिया गया एक उप-पट्टा शामिल है;

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

धारा *3 (*डी*)* "खनन संचालन" का अर्थ है कोई भी संचालन जो किया गया हो।

किसी भी खनिज को जीतने के उद्देश्य से; "

99. अधिनियम की धारा *4* में सामान्य प्रतिबंध शामिल हैं -

संभावना और खनन संचालन करना। धारा *4* एक निषेधाज्ञा के अंतर्गत आती है। कोई भी व्यक्ति कोई खनन कार्य नहीं करेगा।

y क्षेत्र, शर्तों के तहत और उसके अनुसार को छोड़कर और

इस अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत दिए गए खनन पट्टे के लिए एक टोही परमिट या एक पूर्वेक्षण लाइसेंस या, जैसा भी हो सकता है। धारा *4* की उप-धारा *(1)* वर्तमान में प्रासंगिक है।

जो इस प्रकार हैः

लीज पर दिया। *(1)* कोई भी व्यक्ति कोई जासूसी नहीं करेगा, इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए गए खनन पट्टे या, जैसा भी मामला हो, एक टोही परमिट या एक पूर्वेक्षण लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार के अलावा किसी भी क्षेत्र में पूर्वेक्षण या खनन संचालनः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में किए गए किसी भी पूर्वेक्षण या खनन संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जो लागू है।

इस तरह की शुरुआत में:

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए किसी भी संभावित संचालन पर लागू नहीं होगा।

भारत, भारतीय खान ब्यूरो, केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, किसी भी राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय *(*चाहे जो भी नाम हो*)*, और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। , कंपनी अधिनियम, *2013 (2013* का *18)* की धारा *2* के खंड *(45)* के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी और ऐसी कोई भी संस्था जिसे अधिसूचित किया जा सकता है।

इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा*]:* बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी किसी भी खनन पट्टे पर लागू नहीं होगा *(*चाहे उसे खनन पट्टा खनन रियायत कहा जाए या

किसी अन्य नाम से*)* से तुरंत पहले लागू केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन में इस अधिनियम का प्रारंभ

100. धारा *4 (1)* में 'कोई व्यक्ति नहीं' शब्द का उपयोग बिना किसी प्रावधान के किया गया है।

अन्य। धारा *4 (1)* में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि धारा *4 (1)* में उल्लिखित प्रतिबंध उस व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होता है जो

खदान का आर। इसके अलावा, धारा *4 (1)* के तहत 'कोई भी क्षेत्र' शब्द का भी कोई अपवाद नहीं है। आगे का वाक्यांश 'सिवाय'

आर और अधिनियम के तहत अनुबंधित खनन पट्टा के साथ नियमों और शर्तों के अनुसार भी महत्वपूर्ण हैं जो निषेध के इरादे और आवाज को स्पष्ट और जोरदार बनाते हैं। धारा *5* में निम्नलिखित शब्दों में संभावित लाइसेंस और खनन पट्टे की चींटी पर प्रतिबंध है:

5. प्रत्याशित लाइसेंसों के अनुदान पर प्रतिबंध या

खनन पट्टे। ¯*(1)* राज्य सरकार अनुदान नहीं देगी

किसी को भी टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा

व्यक्ति जब तक कि ऐसा व्यक्ति

(क) कंपनी अधिनियम, *2013 (2013* का *18)* की धारा *2* के *1* खंड *(20)* में परिभाषित एक भारतीय नागरिक या कंपनी है; और

(ख) ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो निर्धारित की जा सकती हैं:

बशर्ते कि भाग क में निर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में

और पहली अनुसूची का भाग बी, कोई टोही अनुमति नहीं,

सम्भावित अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा इसके अलावा दिया जाएगा

केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति

भारतीय नागरिक माना जाएगा,

(क) किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ के मामले में, केवल

यदि फर्म के सभी सदस्य या सदस्य
संघ भारत के नागरिक हैं; और

(ख) किसी व्यक्ति के मामले में, केवल तभी जब वह भारत का नागरिक हो।

(2) राज्य सरकार द्वारा कोई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। जब तक यह संतुष्ट न हो कि

(क) उस क्षेत्र में खनिज सामग्री के अस्तित्व को दर्शाने के लिए सबूत हैं जिसके लिए खनन पट्टे के लिए आवेदन ऐसे मापदंडों के अनुसार किया गया है जो हो सकता है

केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित;

(ख) केंद्र द्वारा विधिवत अनुमोदित एक खनन योजना है।

सरकार, या राज्य सरकार द्वारा, खानों की ऐसी श्रेणी के संबंध में जो मेघालय के केंद्रीय टीई द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

संबंधित क्षेत्र में खनिज भंडारों के विकास के लिए सरकारः

बशर्ते कि एक खनन पट्टा एक दाखिल करने पर दिया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा इस तरह की तैयारी, प्रमाणन और निगरानी के लिए स्थापित प्रणाली के अनुसार खनन योजना

योजना, केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ।

101. धारा *5 (1)* का परंतुक प्रासंगिक है क्योंकि इसमें एक प्रतिबंध है कि केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा पहली अनुसूची के पैरा ए में निर्दिष्ट निकटवर्ती क्षेत्रों के संबंध में कोई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। हम वर्तमान मामले में हैंकोयले के साथ जो पहली अनुसूची के पैरा ए में है।

102. अगला प्रावधान जो प्रासंगिक है वह धारा *13* है जो

के संबंध में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तिकैल्स। धारा *13* उप-धारा *(1)* और धारा *13* उप-धारा *(2)*

वर्तमान मामले में प्रासंगिक इस प्रकार हैंः

" 13. इस संबंध में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति

खनिजों से। *(1)* केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा

आधिकारिक राजपत्र, अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है

टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे

खनिजों के संबंध में और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए। *(2)* विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं

निम्नलिखित मामले, अर्थात्ः

(क) वह व्यक्ति जिसके द्वारा, और जिस तरीके से, उस भूमि के संबंध में टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टों के लिए आवेदन किया जा सकता है जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं और इसके लिए शुल्क का भुगतान किया जाना है;

(च) किसी भी भूमि के संबंध में जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं, *5 [*एक टोही परमिट, एक पूर्वेक्षण लाइसेंस या एक खनन पट्टा*]* प्राप्त करने की प्रक्रिया और किन शर्तों और शर्तों पर

जिसके अधीन, ऐसा *6 [*एक परमिट, लाइसेंस या पट्टा हो सकता है

स्वीकृत या नवीनीकृत*; [2019] 8* एस. सी. आर.

जिसमें खनिज सरकार के अलावा व्यक्तिगत रूप से निहित होते हैं। इस प्रकार, वैधानिक योजना स्पष्ट है कि पट्टा भूमि की दोनों श्रेणियों के संबंध में दिया जा सकता है, भूमि जिसमें सरकार खनिजों की मालिक है और भूमि जिसमें खनिज सरकार के अलावा व्यक्तिगत रूप से निहित हैं। आदिवासियों, खनिजों के मालिकों को धारा *13 (*एफ*)* के तहत सरकार की नियम बनाने की शक्ति में स्पष्ट रूप से आना होगा। *104.* केंद्र सरकार ने धारा *13* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं, जिनके नाम खनिज *(*रियायत*)* नियम, *1960* हैं। नियमों के अध्याय *IV* में एक शीर्षक है "के संबंध में खनन पट्टे का अनुदान

खनिज भूमि सरकार में निहित है "। नियम *22* से *40* में अध्याय *4* के तहत विभिन्न प्रावधान हैं। अध्याय *5* का एक अलग शीर्षक है जो "उस भूमि के संबंध में एक पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं"। इस प्रकार, अध्याय *5* में उन खनिजों के संबंध में पट्टा देने के प्रावधान हैं जो सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं। नियम *41* और *42* जो प्रासंगिक हैं, नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"41. इस अध्याय की प्रयोज्यता: - इस अध्याय के प्रावधान केवल उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों के अनुदान पर लागू होंगे जिसमें खनिज विशेष रूप से निहित हैं।

सरकार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति।

42. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर प्रतिबंध और

खनन पट्टा: - *(1)* किसी भी व्यक्ति को कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने एक हलफनामा दाखिल नहीं किया हो।

कि उसके पास

(i) अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल करना*;*

((ii) उस पर निर्धारित आयकर का भुगतान किया, और

*((*ग*)* आयकर अधिनियम, *1961 (1961* का *43)* में उपबंधित स्व-निर्धारण के आधार पर आयकर का भुगतान किया। *(2)*

केंद्र की पूर्व स्वीकृति को छोड़कर

सरकार, प्रथम खंड में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।

अधिनियम की अनुसूची "। मेघालय राज्य *v.*

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

105. धारा *13 (2) (*च*)* और खनिज *(*रियायत*)* नियम, *1960* द्वारा निरूपित वैधानिक योजना स्पष्ट रूप से खनन अनुदान पर विचार करती है।

पट्टा, भूमि की दोनों श्रेणियों के संबंध में, यानी वह भूमि जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं, और वह भूमि जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं। वैधानिक प्रावधानों में किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि जब मालिक स्वयं खनिज प्राप्त करना चाहता है तो उसे किसी खनन पट्टे की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तुतिकरण स्पष्ट वैधानिक योजना के विपरीत है, यदि अपीलार्थी के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार किया जाता है कि खनिजों के संबंध में जो एक निजी व्यक्ति में निहित हैं, किसी खनन पट्टे की आवश्यकता नहीं है, संघ का पूरा उद्देश्य जिसके द्वारा उसने घोषित किया है खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में लेने से निराशा होगी।

106. अपीलार्थी के प्रस्तुत करने के एक अन्य अंग पर यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री नाफडे प्रस्तुत करते हैं कि भूमि के मालिक द्वारा खुद को पट्टा देने की कोई अवधारणा नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि पट्टा की अवधारणा सर्वविदित और मान्यता प्राप्त अवधारणा है जैसा कि धारा *105* में निहित है।

सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा *105* इस प्रकार हैः

"धारा *105*। पट्टा परिभाषित किया गया है। अचल संपत्ति का पट्टा है

ऐसी संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार का हस्तांतरण, जो एक निश्चित समय के लिए किया गया है, व्यक्त या निहित, या स्थायी रूप से, भुगतान की गई या वादा की गई कीमत, या धन, फसलों, सेवा या मूल्य की किसी अन्य चीज़ का हिस्सा, जिसे समय-समय पर या समय-समय पर प्रदान किया जाना है।

हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरणकर्ता को निर्दिष्ट अवसर, जो ऐसी शर्तों पर हस्तांतरण स्वीकार करता है। घटिया, पट्टेदार, प्रीमियम और किराया परिभाषित किए गएः हस्तांतरणकर्ता को पट्टेदार कहा जाता है, हस्तांतरणकर्ता को पट्टेदार कहा जाता है, कीमत को प्रीमियम कहा जाता है, और इस तरह से प्रदान किए जाने वाले धन, शेयर, सेवा या अन्य चीज़ को किराया कहा जाता है।

107. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण पैरा *321*

खनन पट्टा की प्रकृति को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करता हैः

"*321.* खनन पट्टे की प्रकृति। भूमि या भूमि के किसी भी हिस्से का पट्टा दिया जा सकता है, और चूंकि खनिज भूमि का एक हिस्सा हैं, इसलिए इसे दिया जा सकता है।

इस प्रकार भूमि की सतह और नीचे के खनिजों, या अकेले सतह, या खनिजों *[2019] 8* एस. सी. आर. का पट्टा दिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खनिज का पट्टा, हालांकि सुविधा के लिए इसे खनन पट्टा कहा जाता है, वास्तव में इस अर्थ में पट्टा नहीं है जिसमें कोई कृषि पट्टा की बात करता है, और यह कि इस तरह का अनुबंध, ठीक से माना जाता है, वास्तव में भूमि के एक हिस्से की किश्तों में देय कीमत पर, यानी किराए या रॉयल्टी के रूप में, एक संख्या में फैला हुआ है। वर्षों से "।

108. इस न्यायालय को खनन की अवधारणा पर विचार करने का अवसर मिला था

श्री तारकेश्वर एस. आई. ओ. ठाकुर जी. यू. में अधिनियम, *1957* के तहत पट्टा

बनाम डार दास डे एंड कंपनी। और अन्य, *1979 (3)* एस. सी. सी. *106*, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *1957* के अधिनियम *67* की धारा *3 (*सी*)* में आने वाले पट्टा शब्द का उपयोग संकीर्ण तकनीकी मामलों में नहीं किया गया प्रतीत होता है।

जिस अर्थ में इसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा *105* में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें पट्टे की सभी विशेषताएं हैं -

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में परिभाषित। निम्नलिखित अनुच्छेद *31* में

निर्धारित किया गया थाः

"31. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि *1957* के अधिनियम *67* की धारा *3 (*सी*)* में दी गई "खनन पट्टा" की परिभाषा में आने वाला "पट्टा" शब्द का उपयोग संकीर्ण तकनीकी अर्थों में नहीं किया गया प्रतीत होता है जिसमें इसे हस्तांतरण की धारा *105* में परिभाषित किया गया है।
संपत्ति अधिनियम। लेकिन, जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पीठ ने फला कृष्ण पाल बनाम में सही बताया है। जगन्नाथ मारवाड़ी, ए.

खनन पट्टा के स्वरूप का निपटान भारत में हर जगह "पट्टा" के रूप में माना जाता है। इसलिए, एक खनन पट्टा, सभी मामलों में, सभी विशेषताओं को सावधानीपूर्वक और सख्ती से संतुष्ट कर सकता है।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में परिभाषित "पट्टा" का।

फिर भी, कानूनी रूप से स्वीकृत अर्थों में, इसे हमेशा इस देश में पट्टे के रूप में माना गया है।

109. यह न्यायालय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा *105* पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और पैराग्राफ *37* में निम्नलिखित राय दीः

"37. एक निर्दिष्ट खनिज निकालने के लिए भूमि में खनन कार्यों को जारी रखने और उस खनिज को हटाने और उपयुक्त बनाने का अधिकार, धारा *105* के अर्थ के भीतर एक "अचल संपत्ति का आनंद लेने का

अधिकार" है; इससे भी अधिक, जब-तत्काल मामले में-इसे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने अनन्य खास कब्जे में रहने के अधिकार के साथ जोड़ा जाता है। मेघालय *v* की धारा टीई में "अचल संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार" का उल्लेख किया गया है।

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

105 , इसका अर्थ है संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार जिस तरह से उस संपत्ति का आनंद लिया जा सकता है। यदि पट्टे का विषय खनिज भूमि या रेत की खान है, जैसा कि हमारे सामने मामला है, तो यह केवल कर सकता है।

जैसा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा *108* में इंगित किया गया है, जो अचल संपत्ति के पट्टेदारों और पट्टेदारों के अधिकारों और देनदारियों को नियंत्रित करता है, पट्टेदार द्वारा इसका आनंद लिया जाएगा और उस पर कब्जा किया जाएगा।

110. यह न्यायालय कर्नाटक राज्य में नागेश्वर बक्स रॉय बनाम अल कोल कंपनी, एल. आर. *(1930) 58* आई. ए. *29* और बनाम सुभाष रुक्मय्या गुट्टेदार और अन्य, *1993* सप. *(3)*

पैराग्राफ *6* में निम्नलिखित सहायता दें:

" 6 ..... इसलिए सवाल यह है कि क्या सरकारी खदान से लघु खनिज निकालने का अधिकार देना पट्टा है या लाइसेंस और क्या ठेकेदार रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सरकारी खदान से निकाले गए लघु खनिज के संबंध में। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा *105* अचल संपत्ति के पट्टे को एक निश्चित समय के लिए व्यक्त या निहित, या स्थायी रूप से ऐसी संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करती है।

भुगतान की गई या वादा की गई कीमत, या धन, फसलों, सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के हिस्से पर विचार, जिसे प्रदान किया जाना है

द्वारा समय-समय पर या निर्दिष्ट अवसरों पर हस्तांतरणकर्ता को

अंतरिती, जो ऐसी शर्तों पर हस्तांतरण स्वीकार करता है। पट्टा शब्द का सामान्य अर्थ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या विचार के लिए स्थायी रूप से कब्जा और आनंद में रहने के लिए नष्ट की गई संपत्ति का संरक्षण है; इसके उपयोगकर्ता द्वारा कोष गायब नहीं होता है और अवधि की समाप्ति पर या समाप्ति पर इसे अनुबंध की शर्तों के अधीन पट्टेदार को सौंप दिया जाता है, व्यक्त या निहित। सतह या उप-मिट्टी पर भूमि में खनन कार्यों को जारी रखने का अधिकार है उस खनिज को हटाने और उपयुक्त बनाने के लिए उसमें पाए जाने वाले खनिजों की निर्दिष्ट मात्रा। खान और खनिज *(*विनियमन और विकास*)* अधिनियम, *1957* की धारा *9* इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि खनन पट्टा या एजेंट आदि का धारक।

खनिज को हटाने या उपभोग करने का अधिकार है। इसका अर्थ होगा पट्टे पर दी गई संपत्ति का विनाश और उस पर उसका विनियोग।

प्रतिफल का भुगतान अर्थात रॉयल्टी। इसलिए, धारा *105* अधिक *[2019] 8* एस. सी. आर. के अर्थ के भीतर अचल संपत्ति का लाभ उठाना एक अधिकार है।

अतः जब, तत्काल मामले की तरह, यह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कब्जे में रहने या कब्जे में प्रवेश करने के अधिकार के साथ जोड़ा जाता है। अधिनियम की धारा *3 (*डी*)* 'खनन संचालन' को किसी भी खनिज को जीतने के उद्देश्य से किए गए किसी भी संचालन के लिए परिभाषित करती है। यह सच है कि खनन क्षेत्र पर ठेकेदार में कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज नहीं बनाया गया है। लेकिन उसे कार्यों के निष्पादन में छोटे खनिजों को हटाने और उपयोग करने की अनुमति दी गई है क्योंकि धारा *105* में कही गई अचल संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार *(*एस. आई. सी. उसका*)* है जिसका अर्थ है उस संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार जिस तरह से उस संपत्ति का आनंद लिया जा सकता है। नागेश्वर बक्स रॉय बनाम। बंगाल कोयला कंपनी *1* बोर्ड के लिए बोलते हुए लॉर्ड मैकमिलन ने कहा किः

"खनिज क्षेत्र के मामले में अधिकार के कार्यों के चरित्र और प्रभाव पर विचार करते हुए, विषय की प्रकृति और उस अधिकार को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसके लिए यह आवश्यक है।

अतिसंवेदनशील। पृथ्वी पर खनिजों की अनुपलब्धता के कारण, पूरे खनिज क्षेत्र पर एक बार में वास्तविक भौतिक कब्जा करना संभव नहीं हैः इसे केवल खनिजों को निकालकर और जब तक पूरे खनिज समाप्त नहीं हो जाते, तब तक कब्जा किया जा सकता है।

व्यवसाय अनिवार्य रूप से आंशिक होना चाहिए।

111. खनन पट्टा शब्द को विशिष्ट अर्थ दिया गया है।

अधिनियम, *1957* के तहत। यह व्याख्या का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक शब्द की परिभाषा सहित एक अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ा सके। खनन पट्टा की आवश्यक विशेषता यह है कि इसे इस उद्देश्य के लिए दिया जाता है - खनन संचालन और खनन संचालन का अर्थ है खनिज प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी संचालन। अध्याय *5* के तहत खनिज *(*रियायत*)* नियम, *1960* में उपरोक्त परिभाषा को लागू करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि उस भूमि के संबंध में किसी भी खनन पट्टे पर विचार नहीं किया गया है जहां खनिज विशेष रूप से एक निजी व्यक्ति में निहित है।

112. मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किसी वैधानिक योजना की जांच तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हम दो और पहलुओं पर ध्यान न दें, वे हैं *(i)* खान अधिनियम, *1952* और उसके तहत बनाए गए विनियम; *(2)* पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* और खनन परियोजना के संबंध में उसके तहत जारी कोई अधिसूचना नहीं।

113. खान अधिनियम, *1952* श्रम विनियमन और खानों की सुरक्षा से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने के लिए एक अधिनियम है।

इसमें खनन संचालन और खानों के प्रबंधन के निरीक्षण के संबंध में विभिन्न प्रावधान हैं। धारा *16* खदान के मालिक एजेंट या प्रबंधक द्वारा खनन कार्यों के लिए सूचना देने का प्रावधान करती है। धारा *16* इस प्रकार हैः

"धारा *16.* खनन का नोटिस दिया जाए

संचालन। - *(1)* खदान का मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक, कोई भी खनन कार्य शुरू करने से पहले, मुख्य निरीक्षक, नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो और उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जिसमें खदान स्थित है, लिखित रूप में ऐसे प्रपत्र में और जिसमें निम्नलिखित से संबंधित विवरण हों, सूचना देगाः
खदान जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(2) उप-धारा *(1)* के तहत दी गई कोई भी सूचना इस तरह दी जाएगी कि कम से कम एक महीने पहले संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच जाए।

किसी भी खनन कार्य की शुरुआत।

114. धारा *18* में मालिकों, अभिकर्ताओं और प्रबंधकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां शामिल हैं। खानों में कई अन्य प्रावधान हैं।

अधिनियम, *1952* जिसका किसी भी खदान में काम करने से पहले पालन करना अनिवार्य है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि मेघालय राज्य में कोयला खनन के संबंध में खान अधिनियम, *1952* के प्रावधान लागू हैं। हालाँकि, वह प्रस्तुत करते हैं कि खान अधिनियम, *1952* के तहत जिला मजिस्ट्रेट या राज्य के अधिकारियों के पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं। खान अधिनियम, *1952* का अध्याय *II* निरीक्षकों और प्रमाणन सर्जनों से संबंधित है। धारा *5 (3)* में प्रावधान किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट एक निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकता है, बशर्ते कि -

केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश। धारा *5 (3)* इस प्रकार हैः

"*5 (3)* जिला मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और
जनरल के अधीन एक निरीक्षक के कर्तव्यों का पालन करना या

केंद्र सरकार के विशेष आदेश "।

115. उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से जिले को सशक्त बनाता है।

मजिस्ट्रेट को एक निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार के सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं। इस संदर्भ में, श्री नाफडे ने एक अधिसूचना दिनांक *18.09.1953 [2019] 8* एस. सी. आर. का उल्लेख किया है।

खान अधिनियम, *1952* की धारा *5* की उप-धारा *3* के तहत जारी किया गया, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"नई दिल्ली, *18* सितंबर, *1953* एस. आर. ओ. *1789*-धारा *5* की उप-धारा *3* के अनुसरण में

खान अधिनियम, *1952 (1952* का *XXXV)*, केंद्र सरकार इसके द्वारा

एक निरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पूर्व के बिना नहीं होगा मुख्य निरीक्षक को निर्देश देते हुए, सीधी कार्रवाई करें या कोई आदेश जारी करें

किसी भी खदान का निर्देशन, प्रबंधन या पर्यवेक्षण, भले ही ऐसा निर्देश, प्रबंधन या पर्यवेक्षण उसे दिखाई दे सकता है -

खतरनाक या दोषपूर्ण हो।

[नं. एम-*41 (370 52.)*

पी. एन. शर्मा, अवर सचिव "।

116. उपरोक्त अधिसूचना से प्रतिबंध स्पष्ट है

केवल किसी खदान की तकनीकी दिशा, प्रबंधन या पर्यवेक्षण से जुड़े मामलों के संबंध में। उपरोक्त अधिसूचना जिला मजिस्ट्रेट के सभी कार्यों को नहीं छीनती है, लेकिन प्रतिबंध उसमें उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा *16* खदान के मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक को खदान के समक्ष नोटिस देने के लिए बाध्य करती है। जिस जिले में खदान स्थित है, उसके जिला मजिस्ट्रेट को कोई भी खनन कार्य शुरू करना। खान अधिनियम, *1952* की धारा *75* जिला मजिस्ट्रेट को खान अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए किसी भी मालिक, एजेंट या प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार देती है।

1952. धारा *75* इस प्रकार हैः

"*75.* मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक पर मुकदमा चलाना। - नहीं।

किसी भी मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

प्रमुख के आग्रह को छोड़कर इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए

निरीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत निरीक्षक

इंस्पेक्टर; बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट या

इस प्रकार अधिकृत निरीक्षक, ऐसा अभियोजन शुरू करने से पहले, स्वयं को संतुष्ट करें कि मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक मेघालय *v* का कथन करने में विफल रहे हैं।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग करें।

बशर्ते कि किसी खदान की तकनीकी दिशा और प्रबंधन के दौरान किए गए अपराध के संबंध में, जिला मजिस्ट्रेट किसी मालिक, एजेंट या प्रबंधक के खिलाफ उसकी पूर्व मंजूरी के बिना कोई मुकदमा नहीं चलाएगा।

मुख्य निरीक्षक "।

117. हम, इस प्रकार, श्री नाफड़े की इस दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि खान अधिनियम, *1952* के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

कोई भी कार्रवाई।

119. अब हम पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986* पर आते हैं। मंत्रालय द्वारा दिनांकित *14.09.2006* अधिसूचना जारी की गई थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* की धारा *3 (3)* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन। अधिनियम, *1986* की धारा *3* जिसमें उसमें उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना की अनुसूची में उन परियोजनाओं या गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। खनिजों का खनन "वस्तु संख्या *1 (ए)* में शामिल है, लेकिन खनन परियोजना के लिए भी

उपयोग के लिए न्यूनतम *5* हेक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता थी।

परियोजना से। अधिसूचना दिनांक *14.09.2006* की वस्तु संख्या *1 (a)* को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक *15.01.2016* की एक नई अधिसूचना जारी की गई है। मद संख्या *1 (*ए*)* के स्थान पर कोयला खदान पट्टे के संबंध में नई प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

" 1 (क*) (i)* खनन के *50* हेक्टेयर से अधिक का खनन

< 50 जनरल का हा

खनिज पट्टा क्षेत्रों में

खनन पट्टे की शर्तें

गैर का सम्मान

संबंधित क्षेत्र लागू होगा

गैर-कोयले के अलावाः

कोयला खदान पट्टा

((i) परियोजना के लिए

खदान पट्टा

> 150 हा खनन का

< 150 हा का

या गतिविधि

पट्टा क्षेत्र में

खनन

लीज खनन

नाबालिग

संबंध में क्षेत्र

कोयले का सम्मान

खदान पट्टा

कोयले के पट्टे का

खनिज पदार्थ

श्रेणी

एस्बेस्टस खनन

' बी2 '(25 तक*)*

चाहे जो भी हो

हा खनन का

में से

पट्टा क्षेत्र*);*

खनन क्षेत्र

((ii) नदी का तल

खनन

इन परियोजनाओं पर

का लेखा

अंतर-राज्यीय

सीमा।

120. यदि परियोजना श्रेणी 'ए' के तहत थी, तो पर्यावरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता है जबकि परियोजना 'बी' पर्यावरण के लिए नई अधिसूचना दिनांक *15.01.2016* के अनुसार *150* हेक्टेयर से कम या उसके बराबर के कोयला खनन पट्टा क्षेत्र के संबंध में राज्य पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण से मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब *15.01.2016* की अधिसूचना द्वारा लागू की गई वैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है।

किसी भी क्षेत्र के खनन के लिए कोयला। हमने दिनांकित *15.01.2016* अधिसूचना पर विचार किया है, क्योंकि इसे हमारे सामने रखा गया था और पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अधिसूचना दिनांक *15.01.2016* एक वैधानिक प्रावधान होने के नाते अपने बल पर काम करेगी और अधिसूचना दिनांक *15.01.2016* को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। हमने कोयले के खनन से संबंधित वैधानिक व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए ही इस मामले पर विचार किया है।

121. खनन ले जाने के लिए वैधानिक व्यवस्था लागू करते समय

मेघालय राज्य के पहाड़ी जिले में संचालन को न केवल एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* का अनुपालन सुनिश्चित करना है, बल्कि खान अधिनियम, *1952* और पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986*।

मेघालय राज्य *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति

*[*अशोक भूषण, जे.*]*

प्वाइंट नं. *4*

122. हम मानते हैं कि पहाड़ी जिलों में निजी स्वामित्व वाली और सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि में खनन कार्यों को पूरा करने के लिए

मेघालय, खनन पट्टा प्राप्त करना खनन करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, हमें इस तरह के खनन पट्टा देने की प्रक्रिया और प्राधिकरण/व्यक्ति की जांच करनी होगी, जो अनुदान देने में सक्षम है।
इस तरह का पट्टा।

123. खनिज रियायत नियम, *1960* का अध्याय *IV* उस भूमि के संबंध में खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं और अध्याय *V* उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं। अध्याय *IV* में नियम *22* से *40* शामिल हैं और अध्याय *V* में नियम *41* से *52* शामिल हैं और अध्याय *IV* में निहित खनन पट्टा और पट्टा अनुदान के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और तरीका

अध्याय *V* में दी गई प्रक्रिया पर लागू नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि नियम *45 (i)* की कुछ शर्तों के आधार पर।

124. नियम *22 (1)* में प्रावधान है कि भूमि के संबंध में खनन पट्टे के अनुदान के लिए एक आवेदन जिसमें खनिज निहित हैं
राज्य सरकार के लिए सरकार फॉर्म *I* के माध्यम से बनाई जाएगी।

ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे। अध्याय *5* में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसमें राज्य सरकार को पट्टे के लिए आवेदन करने की आवश्यकता हो। अध्याय *IV* में निहित नियमों और अध्याय *V* में निहित नियमों के बीच एक स्पष्ट अंतर है, जिनमें से कुछ इस मामले के उद्देश्यों के लिए नोटिस करने के लिए प्रासंगिक हैं। नियम *27 (2)* में प्रावधान है कि खनन पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें हो सकती हैं जो राज्य सरकार उसमें उल्लिखित मामलों के संबंध में आवश्यक समझे। जबकि नियम

45 (iii) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक खनन पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें हो सकती हैं, जो अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, जिन पर पक्षों के बीच सहमति हो सकती है। उपरोक्त प्रावधान एक संकेत देता है कि अध्याय *V* द्वारा निष्पादित पट्टे में, नियम *45 (iii)* में "राज्य सरकार" शब्द का लोप इस तथ्य का संकेत है कि जिन शर्तों को जोड़ा जाना है, उन पर पक्षों के बीच सहमति होनी चाहिए। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण नियम नियम *45* है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

" *45.*खनन पट्टे की शर्तें: - प्रत्येक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(नियम *27* के उप-नियम *(1)* के खंड *(*बी*)* से *(1)* और *(*पी*)* से *(*यू*)* के प्रावधान इस संशोधन के साथ ऐसे पट्टों पर लागू होंगे कि - खंड *(*ग*)* और *(*घ*)* "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "पट्टेदार" शब्द रखा जाएगा।

(i) खनन कार्य निम्नलिखित के अनुसार किए जाएँगे -

विधिवत अनुमोदित खनन योजना*;*

((ii) छोड़ दिया गया। *;*

*((*ग*)* पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें हो सकती हैं जो अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत न हों, जिन पर पक्षों के बीच सहमति हो सकती है*;* *((iv)* यदि पट्टेदार धारा *9* द्वारा अपेक्षित रॉयल्टी के भुगतान में कोई चूक करता है या पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो पट्टेदार पट्टेदार को नोटिस देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, रॉयल्टी का भुगतान करे या उल्लंघन को दूर करे और यदि रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है या उल्लंघन को ऐसी अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, तो पट्टेदार पट्टेदार के खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पट्टा निर्धारित करता है।

(v) पट्टेदार किसी भी समय पट्टेदार को लिखित रूप में कम से कम एक वर्ष का नोटिस देकर पट्टा निर्धारित कर सकता है। "

यह स्पष्ट संकेत देता है कि राज्य सरकार एक नहीं हैआर अध्याय *5* नियम *27 (5)* और नियम *45 (iv)* के तहत दिए गए पट्टे में है

ध्यान देने योग्य। नियम *27 (5)* निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

" 27 (5) यदि पट्टेदार धारा *9* के तहत आवश्यकतानुसार रॉयल्टी के भुगतान या आवश्यकतानुसार नियत किराए के भुगतान में कोई चूक करता है। धारा *9* ए के तहत या किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है।

उप-नियम *(1), (2)* और *(3)* में विनिर्दिष्ट, उप-नियम *(1)* के खंड *(च)* में निर्दिष्ट शर्त को छोड़कर, राज्य सरकार

पट्टाधारक को नोटिस जिसमें उसे मेघालय राज्य की रॉयल्टी या नियत किराए का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[अशोक भूषण, जे.]*

या उल्लंघन का उपचार, जैसा भी मामला हो, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर और यदि रॉयल्टी या मृत किराए का भुगतान नहीं किया जाता है या उल्लंघन को उक्त अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार, उसके खिलाफ की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टे का निर्धारण कर सकती है और पट्टा जब्त कर सकती है।

प्रतिभूति जमा का पूरा या कुछ हिस्सा "।

126. नियम *27 (5)* के तहत, यदि पट्टेदार रॉयल्टी के भुगतान या नियत किराए के भुगतान में कोई चूक करता है या उल्लंघन करता है

किसी भी शर्त के लिए, राज्य सरकार पट्टेदार को नोटिस देगी और पट्टा निर्धारित करेगी और प्रतिभूति जमा के पूरे या हिस्से को जब्त कर लेगी। जबकि नियम *45 (iv)* के तहत, उक्त शक्ति पट्टेदार में निहित की गई है, जो यह भी इंगित करता है कि यह पट्टेदार है, जो पट्टे का निर्धारण करेगा, न कि राज्य सरकार। अध्याय *5* के अन्य प्रावधान भी उपरोक्त निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। नियम *47* में ऐसे लाइसेंस या पट्टे के अनुदान के तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को लाइसेंस या पट्टे की प्रति जमा करने का प्रावधान है। राज्य सरकार को लाइसेंस या पट्टे की प्रति जमा करने की आवश्यकता इंगित करती है कि राज्य सरकार प्राधिकरण नहीं है, जो पट्टे दे रही है,

अन्यथा राज्य सरकार को एक प्रति जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यदि यह विचार किया गया था कि राज्य सरकार पट्टा प्रदान करेगी। अध्याय *5* में नियम *63* में यह प्रावधान है कि

राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली केंद्र सरकार, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 63. केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी

राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्तः - जहां किसी भी मामले में अधिनियम या इन नियमों के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन होगा -

राज्य के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया गया
सरकार "।

127. जब हम खनिज के अनुसार खनन पट्टे के अनुदान के संबंध में वैधानिक व्यवस्था पर गौर करते हैं तो हमारा उपरोक्त निष्कर्ष मजबूत होता है।

(विनियमन और विकास*)* अधिनियम, *1948*, जिसके तहत नियम बनाए गए हैं - केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए खनिज रियायत नियम, *1949*।

अध्याय *III* के नियम *14* में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर विचार किया गया है। नियम, *1949* के अध्याय *IV* में "उस भूमि के संबंध में खनन पट्टे का अनुदान जिसमें खनिज सरकार के हैं" शीर्षक शामिल था। अध्याय *IV* के नियम *27* के प्रावधानों में आवेदन के लिए प्रावधान है -

खनन पट्टा और अध्याय *IV* के तहत कई अन्य नियम थे, जिन्हें नियम, *1960* के अध्याय *IV* में बरकरार रखा गया है। नियम, *1949* के अध्याय *V* में "निजी व्यक्तियों द्वारा खनिज रियायतों का अनुदान" शीर्षक शामिल था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियम, *1960* के तहत अध्याय *V* का शीर्षक "उस भूमि के संबंध में एक पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसमें खनिज सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं।" नियम, *1949* के अध्याय *5* के नियम *47* में निम्नलिखित प्रावधान हैं - "खनन पट्टा की शर्तें जो नियम, *1960* के नियम *45* के समान हैं। नियम, *1949* का नियम *47 (iv)* नियम, *1960* के वर्तमान नियम *45 (i)* के समान था। नियम, *1949* का नियम *47 (iv)* इस प्रकार हैः

"*47.*खनन पट्टे की शर्तेंः - एक द्वारा दिया गया खनन पट्टा
निजी व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः

XXXXXX

((iv) नियम *41* के उप-नियम *(1)* के खंड *(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix), (x), (xi0* और *(xv)* के प्रावधान ऐसे लोगों पर लागू होंगे।
खंड *(ii), (iii), (iv)* और *(xv)* में संशोधन के साथ पट्टा

"राज्य सरकार" शब्दों के लिए "पट्टेदार" शब्द होगा
प्रतिस्थापित;

XXXXXXX "

128. इस प्रकार, नियम, *1949* का अध्याय *5* खनन से संबंधित है।

नियम, *1960* के अध्याय *V* में रखे गए पदार्थ। इस प्रकार, नियम, *1960* के अध्याय *V* के अनुसार दिया जाने वाला खनन पट्टा खनिज के मालिक द्वारा दिया जाने वाला खनन पट्टा है और इसी तरह की अवधारणा को ऊपर उल्लिखित अध्याय *V* में उधार लेना और पढ़ना होगा। आवेदन करने के लिए किसी भी प्रक्रिया की अनुपस्थिति नियम, *1960* के अध्याय *5* में राज्य सरकार को खनन पट्टे के लिए और पट्टेदार निजी व्यक्ति होने के नाते, न कि राज्य सरकार, मेघालय राज्य *v.*

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राज्य सरकार निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाले मालिकों की भूमि के संबंध में पट्टा नहीं दे रही है। *129.* निजी मालिकों और सामुदायिक मालिकों में निहित खनिजों के संबंध में खनन पट्टे के अनुदान के लिए राज्य सरकार को कोई आवेदन प्रदान नहीं करने का एक अन्य कारण यह है कि खनिजों के निजी मालिकों/सामुदायिक मालिकों की सहमति या इच्छा के बिना,

नियम, *1960* के अध्याय *5* के प्रावधानों के अनुसार खनिजों का। *130.* इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नियम, *1960* विशेष रूप से अध्याय *5* में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार,

खनिज, जो किसी निजी मालिक या समुदाय के मालिक के हैं, यह राज्य सरकार नहीं है, जो कोई आवेदन प्राप्त करने या कोई खनन पट्टा देने की हकदार है, बल्कि यह निजी मालिक या समुदाय का मालिक है, जो उनके स्वामित्व वाले खनन खनिजों के लिए पट्टा देने का हकदार है। मुद्दा संख्या *4* का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

प्वाइंट नं. *5*

131. मेघालय राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे ने कहा कि मेघालय राज्य में कोई नहीं है। खनिज के मालिकों द्वारा कोयले के खनन पर नियंत्रण क्योंकि यह मालिक हैं, जिन्हें खनन करने का अधिकार है, जो पिछले कई दशकों से मेघालय राज्य में पारंपरिक रूप से चल रहा है। यह पता लगाने के लिए कि क्या मेघालय राज्य का मेघालय राज्य में खनन कार्यों पर कोई वैधानिक नियंत्रण है, जो पिछले कई दशकों से चल रहा है, हमें इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों की जांच करनी होगी।

132. हम पहले ही मान चुके हैं कि मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में एम. एम. आर. डी. अधिनियम, *1957* और खनिज रियायत नियम, *1960* के प्रावधान लागू हैं। हम, वर्तमान मामले में, कोयले के खनन से संबंधित हैं, जो अधिनियम, *1957* और खनिज रियायत नियम, *1960* के अनुसार एक प्रमुख खनिज है। नियम, *1960* के अध्याय *5* के नियम *42* में संभावित लाइसेंस और खनन पट्टे के अनुदान पर प्रतिबंध का प्रावधान है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"42. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर प्रतिबंध और
खनन पट्टाः - *(1)* कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा *[2019] 8* एस. सी. आर.

किसी भी व्यक्ति को तब तक दिया जाए जब तक कि उसने एक शपथ पत्र दाखिल नहीं किया हो जिसमें कहा गया हो कि उसके पास

(i) अद्यतित आयकर विवरणी दाखिल करना;

((ii) उस पर निर्धारित आयकर का भुगतान किया, और

((ग) आयकर अधिनियम, *1961 (1961* का *43)* में उपबंधित स्व-निर्धारण के आधार पर आयकर का भुगतान किया गया।

(2) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा, अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।

133. नियम *42 (2)* के अनुसार, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा, कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।

प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में अनुदान

एक्ट करें। इस प्रकार, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है

कोयले का खनन पट्टा देने से पहले। नियम *63* में प्रावधान है कि केंद्र सरकार की मंजूरी राज्य के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

अपवाद राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि कोयले के खनन के संबंध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए सभी आवेदनों को राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। अध्याय *5* में ही अन्य नियम हैं, जो कोयले के खनन में राज्य सरकार के नियंत्रण का प्रावधान करते हैं। नियम *50* अधिकार देता है राज्य सरकार द्वारा खानों के काम करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 50. खानों के काम करने पर प्रतिबंधः - यदि राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा या ऐसे अनुज्ञप्ति या पट्टा में किसी अधिकार, स्वामित्व या ब्याज का अनुदान या हस्तांतरण इस अध्याय के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन है, तो राज्य सरकार, पक्षों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद और केंद्र सरकार की मंजूरी से संबंधित पक्षों को उस क्षेत्र में कोई पूर्वेक्षण या खनन कार्य नहीं करने का निर्देश दे सकती है, जिसमें

लाइसेंस या पट्टा संबंधित है।

134. उपरोक्त नियम केंद्र सरकार की मंजूरी से राज्य सरकार को संबंधित पक्षों को निर्देश देने का अधिकार देता है, न कि मेघालय राज्य बनाम।

किसी भी खनन कार्य को करने के लिए, यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि खनन पट्टे का अनुदान या हस्तांतरण इनमें से किसी का उल्लंघन है।

इस प्रकार, जब कोयले का खनन कार्य केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किया जा रहा है, तो राज्य पक्षकारों को क्षेत्र में कोई भी संभावित खनन कार्य नहीं करने का निर्देश देने में असमर्थ नहीं है। नियम *50* के तहत दी गई शक्ति न केवल सक्षम करने वाली शक्ति है, बल्कि जनहित में शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य पर एक वैधानिक दायित्व है। नियम *51* में राज्य सरकार को ऐसे विवरण और विवरण प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टा की आवश्यकता होती है जो हो सकता है -

निर्धारित किया गया। नियम *52* में दंड का प्रावधान है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

"52. दंड: - *(1)* यदि प्रत्याशित अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा का धारक या उसका हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशिती नियम *46*, नियम *47*, नियम *48* या नियम *51* में निर्दिष्ट दस्तावेजों या सूचनाओं या विवरणियों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या नियम *49* या नियम *50* का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरह से कार्य करता है, तो वह बिना किसी कारण के दंडनीय होगा।

एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना

जो पाँच हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा या उसमें कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज देता है या हस्तांतरित करता है या प्राप्त करता है, तो वह कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों।

135. नियम *52* राज्य सरकार को पर्याप्त शक्ति देता है -

खनन पट्टों या उसके हस्तांतरणकर्ताओं या नियुक्तियों पर मुकदमा चलाएँ और उन्हें दंडित करें
नियमों का उल्लंघन या अध्याय *5* के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, जो राज्य के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है कि अधिनियम का ईमानदारी से पालन किया जाए।

136. राज्य को नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा सलाह दी गई थी

भारत के जनरल ने *31* मार्च, *2013* को समाप्त अपनी रिपोर्ट में पैरा *4.5* में लिखा है। *1* खानों और खनिजों का पालन करके खनन को विनियमित करना *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1957*। पैरा *7.5*। *8* उसी रिपोर्ट में सिफारिश संख्या *1* के रूप में निम्नलिखित किया गया है:

" अनुशंसा संख्या *1:* एम एंड जी विभाग को राज्य में खनन को विनियमित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के साथ।

137. इस प्रकार राज्य अपने वैधानिक दायित्व से अच्छी तरह वाकिफ है जो *2012* की खनन नीति और मसौदा दिशानिर्देश, *2015* में परिलक्षित होता है लेकिन फिर भी *[2019] 8* एस. सी. आर.

इस न्यायालय के समक्ष उनका तर्क है कि राज्य के पहाड़ी जिले में निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि के लिए कोई खनन पट्टा प्राप्त नहीं किया जाना है। मेघालय अस्वीकार्य है और अच्छी भावना में नहीं है। हमारा देश भारत के संविधान द्वारा शासित होने के कारण सभी राज्यों को सही मायने में संसदीय अधिनियमों को लागू करना है और वर्तमान मामले में राज्य को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बार-बार सलाह दी गई है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने वैधानिक दायित्व से अच्छी तरह से अवगत होने के कारण राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क देना गलत है कि खनिजों को प्राप्त करने के लिए खनन पट्टे की कोई आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष लिया गया राज्य का उपरोक्त रुख यह धारणा देता है कि

खनिज विनियमन के लिए संसदीय अधिनियम और नियामक व्यवस्था को लागू करना कुछ निहित स्वार्थ कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अवैध खनन के अवैध शासन को जारी रखना चाहते हैं जो अस्वीकार्य और निंदनीय है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मेघालय राज्य के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति है कि कोयले का कोई खनन नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि जब खनिज रियायत नियम, *1960*, अध्याय *V* के तहत खनन पट्टा दिया जाए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

प्वाइंट नं. *6*

138. एक और बात जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या खनन उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित करने की शक्ति स्वायत्त जिले में निहित है।

परिषद*?* स्वायत्त जिला परिषद में से एक की ओर से, जो हमारे समक्ष और साथ ही मेघालय राज्य की ओर से अपीलकर्ता है, यह निवेदन है कि स्वायत्त जिला परिषद संवैधानिक है

संविधान की अनुसूची *VI* के तहत गठित प्राधिकरण के पास विधायी और प्रशासनिक शक्ति है। स्वायत्त जिला परिषद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों का संदर्भ, जिन्हें मंजूरी मिली राज्यपाल पर भी भरोसा किया गया है। अनुसूची *VI* के पैरा *3* में जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद की कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है जिसे हमने ऊपर निकाला है।

139. जिला परिषद द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को खासी हिल्स जिला *(*गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार*)* के रूप में भी संदर्भित किया गया है। विनियमन, *1954*, संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ी स्वायत्त जिला *(*वन प्रबंधन और नियंत्रण*)* नियम, *1960*। खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला *(*गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार*)* नियम, *1959*, सभी छठी अनुसूची के पैरा *3* के तहत शक्ति के प्रयोग में बनाए गए हैं। अनुसूची *VI* के पैरा *3* के तहत स्वायत्त जिला परिषद को सौंपा गया कानून बनाने की शक्ति सातवीं अनुसूची की सूची *2* और सूची *3* के लिए संदर्भित कानून बनाने की शक्ति है। हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं कि स्टेट ऑफ मेघालय *v* के संबंध में।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

खनिज का विनियमन और विकास, संघ ने घोषणा की है

1957 के अधिनियम की धारा *2* द्वारा और उस संबंध में राज्य विधानमंडल की शक्ति को अस्वीकार कर दिया गया है। उपरोक्त सिद्धांत का तार्किक परिणाम यह है कि जहां तक खनिजों के विनियमन और विकास की बात है, स्वायत्त जिला परिषद की शक्ति को भी इस हद तक नकार दिया जाएगा कि

1957 के अधिनियम के अंतर्गत आता है। हम संयुक्त खासी जयंतिया हिल्स जिला *(*गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार*)* नियम, *1959* के एक नियम *4* का उल्लेख कर सकते हैं, जो लाइसेंस के रूप पर विचार करता है और नियम *4* के तहत निर्दिष्ट लाइसेंस में से एक फॉर्म ई में लाइसेंस है। नियम *4* निम्नानुसार है:

"*4.* अनुज्ञप्ति का रूप।

(5) 'ई' प्रपत्र में लाइसेंस खनिजों के खनन और स्वायत्त जिले से उपार्जित खनिजों की बिक्री या खरीद के लिए और लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्धारित लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर पहली अनुसूची के भाग 'ई' में निर्दिष्ट बिक्री के लिए स्वायत्त जिले में खनिजों के आयात के लिए जारी किया जाएगा।

140. यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ियाँ

जिला *(*गैर-जनजातीय द्वारा व्यापार*)* नियम, *1959* को जयंतिया पहाड़ी स्वायत्त जिला *(*गैर-जनजातीय द्वारा व्यापार*)* विनियमन अधिनियम, *2011*, धारा *18* द्वारा निरस्त कर दिया गया है। खासी पहाड़ी स्वायत्त जिलों में नियम, *1959* अभी भी लागू है, क्योंकि नियम, *1959* को निरस्त करने के लिए हमारे सामने कोई अन्य नियम नहीं रखे गए हैं। विनियम, *2011* में, धारा *2* में एक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो है - परिभाषा खंड। खंड *(viii)* द्वारा, "व्यापार" को परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

"*(viii)* "व्यापार" से कोई भी व्यापार अभिप्रेत है जिसमें लाभ के लिए क्रय-विक्रय या व्यवसाय शामिल है और इसमें वस्तुओं या वस्तुओं का आदान-प्रदान या व्यवसाय या आयात, वस्तुओं/वस्तुओं का निर्यात और परिवहन या बिक्री या व्यापार के लिए बाजार में माल का प्रवेश जैसे कि निर्माण कार्य या ठेकेदार या उसके एजेंट द्वारा प्रदान किया गया अन्य कार्य शामिल हैं और इसमें ऐसे ठेकेदार या एजेंट या नाई, मोची, सिलाई, पशुपालन *(*जिसमें सुअर, बकरी, मुर्गी पालन शामिल है*)*, दूध और डेयरी उत्पाद, वाहन निर्माण या मरम्मत, बिजली मिस्त्री, फर्नीचर निर्माता, *[2019]* जैसे किसी अन्य पेशे या व्यवसाय में लगे व्यक्ति और व्यक्ति भी शामिल हैं।

फार्मासिस्ट, चिकित्सक, परिवहन और कोई अन्य समान व्यवसाय या पेशा और "व्यापार" और "व्यापार" शब्द का अर्थ लगाया जाएगा।

तदनुसार "।

141. विनियमों द्वारा अनुध्यात अनुज्ञप्ति का अनुदान केवल *2 (viii)* में परिभाषित "व्यापार" के संबंध में है। संपूर्ण विनियम कोयले के खनन या खनन कार्यों में किसी भी प्रकार के व्यापार का उल्लेख नहीं करते हैं। इस प्रकार, विनियम, *2011* का कोयले के खनन से कोई लेना-देना नहीं है। *142.* अनुसूची *VI* के संवैधानिक प्रावधान भी ध्यान देने योग्य हैं। अनुसूची *VI* के पैराग्राफ *9* में खनिजों की संभावना या निष्कर्षण के उद्देश्य से लाइसेंस या पट्टों को संदर्भित किया गया है। पैरा *9* है

इस प्रकार है: -

"*9.* प्रत्याशित करने के उद्देश्य से लाइसेंस या पट्टे, या

खनिजों का निष्कर्षण। -

स्वायत्त जिले के भीतर किसी भी क्षेत्र के संबंध में *[*राज्य सरकार*]* द्वारा दिए गए खनिजों का निष्कर्षण, जिस पर *[*राज्य सरकार*]* के बीच सहमति हो सकती है।
और ऐसे जिले का जिला न्यायालय बनाया जाएगा -

उस जिला परिषद।

(2) यदि ऐसी रॉयल्टी के हिस्से के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है जिसे जिला परिषद को सौंपा जाना है, तो इसे जिला परिषद को भेजा जाएगा -

निर्धारण के लिए राज्यपाल और अपने विवेक से राज्यपाल द्वारा निर्धारित राशि को इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद *(1)* के तहत जिला परिषद को देय राशि माना जाएगा और राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

143. पैरा *9 (1)* खनिजों के अनुज्ञप्ति या पट्टों तक ही सीमित है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया। अनुसूची *VI* जो गठित करती है

जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें अपनी शक्तियों की गणना करती हैं। पैरा

9 यह राज्य सरकार द्वारा दिए गए खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों को संदर्भित करता है। पैरा *9* केवल राज्य सरकार और जिला परिषदों के बीच सहमति के अनुसार जिला परिषदों को रॉयल्टी के हिस्से से संबंधित है। इसके अलावा पैराग्राफ *12 (ए) (ए)* में ही यह विचार किया गया है कि जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो राज्य के किसी भी कानून के प्रतिकूल है, शून्य होगा।

इस प्रकार, मेघालय राज्य की स्थिति *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषदों द्वारा बनाए गए कानून को रास्ता देना होगा राज्य द्वारा बनाया गया कानून। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो इसके प्रतिकूल हो।

संसदीय अधिनियम के प्रावधान।

144. इस प्रकार, हमारा विचार है कि जिला परिषद के पास खनन पट्टा देने के संबंध में कोई कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। द. प्रमुख खनिज प्राप्त करने के लिए खनन पट्टों को *1957* के अधिनियम और खनिज रियायत नियम, *1960* के अनुसार दिया जाना है।

बिंदु संख्या। *7 & 8*

145. तमिलनाडु राज्य बनाम मेसर्स हिंद स्टोन और अन्य, *1981 (2)* एस. सी. सी. *205* में यह न्यायालय, जे. चिन्नाप्पा रेड्डी के माध्यम से बोल रहा है। , उन्होंने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं: -

"6. नदियाँ, वन, खनिज और ऐसे अन्य संसाधन किसी भी राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति होते हैं। इन संसाधनों को किसी एक पीढ़ी द्वारा नष्ट और समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी का यह कर्तव्य है

कि वह आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से विकास और संरक्षण करे। यह मानव जाति के हित में है। यह राष्ट्र के हित में है। यह संसद द्वारा मान्यता प्राप्त है।

संसद ने घोषणा की है कि यह जनता के लिए समीचीन है

ब्याज जो संघ को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए

खानों का विनियमन और खनिजों का विकास। इसने खान और खनिज *(*विनियमन और

विकास*)* अधिनियम, *1957 '*।

146. इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों में अंतर्निहित उद्देश्य पर कोई भी विवाद नहीं कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी महत्वपूर्ण है।

विकास में प्रमुख भूमिका। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और इसके संरक्षण और संरक्षण में एक अच्छा संतुलन बनाए रखना होगा। एक को दूसरे के हित के लिए त्याग नहीं दिया जा सकता है। द.

सतत विकास की अवधारणा विकसित की गई है और विकसित की जा रही है।

पीछा किया। इस संदर्भ में, लाफार्ज उमियम माइनिंग *(*पी. वी. टी.*)* में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जाए। लि. बनाम भारत संघ और अन्य, *2011 (7)* एस. सी. सी. *338*। पैरा *75* में निम्नलिखित कानूनी स्थिति देखी गईः -

" 75. सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग पर सार्वभौमिक मानव निर्भरता *[2019] 8* एस. सी. आर. से बचना असंभव बना देती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर्यावरण को बदलने से। नतीजतन, पर्यावरणीय संघर्ष अपरिहार्य हैं और पर्यावरण संरक्षण हमेशा एक डिग्री का मामला है, जिसमें अपरिहार्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के उचित स्तर और जोखिमों के रूप में विकल्पों की आवश्यकता होती है।

विनियमित। इस पहलू को "सतत विकास" की अवधारणाओं द्वारा पहचाना जाता है। यह इस निर्णय द्वारा समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है
नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ में न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण के अलग-अलग पहलू हैं और पर्यावरण की देखभाल एक निरंतर प्रक्रिया है। इन अवधारणाओं के गठन को खारिज कर देते हैं

एक पार-बोर्ड सिद्धांत क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या किसी दिए गए मामले में मोड़ की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, "नो गो" क्षेत्रों को छोड़कर *(*जिनकी पहचान फिर से की जाएगी*)*

उचित परिश्रम अभ्यास के उपक्रम पर निर्भर करता है*)*। ऐसे मामलों में,

प्रशंसा सिद्धांत का अंतर लागू होगा "।

147. अब हम एनजीटी के दिनांकित *17.04.2014* के आदेश पर वापस आते हैं जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने राठौर खनन/अवैध खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

पूरे मेघालय राज्य में। हमने ऊपर देखा है कि *2014* के ओ. ए. *No.73* में, जिसमें उपरोक्त आदेश पारित किया गया था, पर्याप्त है।

विशेषज्ञों की रिपोर्ट सहित ऐसी सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया जो साबित हुई

कि मेघालय राज्य में अवैध कोयला खनन पर्यावरण को खराब कर रहा है। न्यायालय ने प्रोफेसर *Dr.O.P.Singh* की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया। जिसने देखा कि मेघालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष *1997* में अवैध खनन के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

148. विद्वान न्यायमित्र ने रिपोर्ट करने के लिए हमारा ध्यान आकर्षित किया है

31 मार्च, *2013* को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जहां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने देखा है कि एसिड खदान जल निकासी के कारण लूखा नदी के कई स्थानों पर पानी बह गया था

प्रदूषित। रिपोर्ट में नवंबर *2011* में मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जांच का भी उल्लेख किया गया और देखा गया कि एएमडी को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। अनुच्छेद *7.5.23*। *1* रिपोर्ट इस प्रकार हैः

" 7.5.23. 1 एसिड खदान जल निकासी के कारण नदियों का प्रदूषण

कोयला खदानें

जयंतिया पहाड़ियों में लूखा नदी के प्रदूषण से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, मेघालय राज्य प्रदूषण बोर्ड राज्य मेघालय बनाम।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

(एम. एस. पी. सी. बी.*)* ने *(*नवंबर *2011)* एक जांच की
लूखा नदी के पानी की गुणवत्ता और उसके पोषण का पता लगाएं

जयंतिया हिल्स जिले में धाराएँ और इसी तरह की जांच
फरवरी *2007* में किया गया। इस उद्देश्य के लिए, आठ पानी

और उसी नमूने से तलछट के नमूने एकत्र किए गए थे

2007 के दौरान स्थानों की जांच की गई। निष्कर्ष इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित हैः -

स्टेशन

लोहा *(*मिलीग्राम/एल*)*

सल्फेट *(मिलीग्राम/एल)*

पीएच

बी. आई. एस. मानदंडः *200.0*

बी. आई. एस. मानक *6.5-85*

बी. आई. एस. मानदंडः *0.3*

2007

2011

2011

2007

2007

2011

2.7

6.2

566.5

254.0

3.0

सेंट *1*

3.6

सेंट *2*

13.4

7.5

5.0

0.13

5.4

305.0

6.8

62.0

0.17

0.4

सेंट *3*

8.69

7.3

सेंट. *4*

0.46

211.8

265.0

4.8

4.5

4.3

6.3

0.32

सेंट *5*

1.2

5.0

188.8

200.0

सेंट. *6*

0.26

6.2

0372

192.1

118.2

4.3

सेंट *7*

1.35

0.18

99.0

7.9

8.2

29.04

सेंट *8*

8.1

0.28

101.5

7.8

45.6

0.3

स्टेशन *1,2,4* और *5* के संबंध में *pH,* सल्फेट और आयरन सांद्रता के संदर्भ में पानी की गुणवत्ता विशेषताओं से संकेत मिलता है कि पानी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

वर्ष *2007* की तुलना में जिसका प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में कोयला खनन से एएमडी था। एम. एस. पी. सी. बी. द्वारा की गई जाँच से आगे पता चला कि

नमूने लेने वाले स्थानों के पूरे हिस्से पर नदी का पानी

पीने के लिए उपयुक्त नहीं था।

149. अभिलेख पर सामग्री से संतुष्ट होने पर न्यायाधिकरण ने दिनांकित *17.04.2014* आदेश जारी किया है जिसे वर्तमान मामले में अभिलेख पर तथ्यों और सामग्री में दोष नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त संदर्भ में एक और तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है अर्थात दिनांकित *17.04.2014* के आदेश के बाद, सिविल अपील *No.5272* के अपीलार्थियों सहित कई आवेदक *2016* प्रतिबंध को खाली करने के लिए आवेदन दायर किया जिसे *[2019] 8* एस. सी. आर. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

न्यायाधिकरण। इसके बाद एनजीटी ने आईडी*1* तक कोयले के परिवहन की अनुमति दी और निर्देश दिया कि आईडी*1* के बाद मेघालय राज्य के भीतर सभी कोयले राज्य में निहित होंगे।

150. न्यायाधिकरण ने समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सहित सभी याचिकाओं और सामग्रियों पर विचार करने के बाद दिनांकित आदेश की पुष्टि की

17.04.2014 और प्रतिबंध वापस लेने से इनकार कर दिया। हम वर्तमान मामले के तथ्यों में अपने प्रतिबंध आदेश की पुष्टि करने वाले एनजीटी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। लेकिन इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा जो सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या एनजीटी द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को राज्य और आदिवासियों के हित में हटाया जाना चाहिए या संशोधित किया जाना चाहिए। कोयला खनन से राज्य द्वारा अर्जित राजस्व राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि आदिवासी भूमि के मालिक हैं जो खनन करते हैं।

अपनी भूमि में कोयला जिसके द्वारा वे अपनी पर्याप्त आजीविका कमाते हैं। *151.* हालांकि जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि आदिवासियों द्वारा खनन किए जाने के तरीके को मंजूरी नहीं दी जा सकती है जो स्पष्ट रूप से *1957* के अधिनियम और *1960* के नियमों के तहत वैधानिक शासन का उल्लंघन है, लेकिन यदि खनन आदिवासियों या उनके द्वारा सौंपा गया है तो

1957 के अधिनियम और *1960* के नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के खनन को मेघालय राज्य के विनियमन और नियंत्रण के तहत लाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम स्पष्ट करते हैं कि यदि मेघालय के पहाड़ी जिलों के आदिवासियों या अन्य मालिकों द्वारा *1957* के अधिनियम और खनिज रियायत नियम, *1960* के अनुसार मेघालय राज्य से प्राप्त खनन पट्टे के अनुसार खनन कार्य किया जाता है, तो न्यायाधिकरण का दिनांकित प्रतिबंध आदेश *(*आई. डी. *1)* इसे ले जाने के रास्ते में नहीं आएगा।

खनन कार्य। प्रतिबंध का आदेश अवैध कोयला खनन के लिए है जो मेघालय राज्य में बड़े पैमाने पर था और प्रतिबंध का आदेश नहीं हो सकता है

1957 के अधिनियम और *1960* के नियमों के अनुसार वैध और कानूनी खनन तक विस्तारित।

बिन्दु *Nos.9* और *10*

152. अपीलकर्ताओं का तर्क है कि एनजीटी के पास किसी भी समिति का गठन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एन. जी. टी. ने अपने अलग-अलग आदेशों के अनुसार

विभिन्न उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। जिन समितियों के गठन को इस आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए कि एनजीटी के पास समिति गठित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसी तरह, न्यायाधिकरण का आदेश जिसमें टी. ई. ऑफ मेघालय *v* के गठन का निर्देश दिया गया है।

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

अर्थात्, मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष

एन ने इस आधार पर चुनौती दी कि न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

किसी भी कोष का उपयोग करें।

153. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010* को दी गई न्यायाधिकरण की कौन सी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र हैं जिन पर उपरोक्त निवेदन को हटाने के लिए विचार किया जाना चाहिए*?* जहाँ तक न्यायाधिकरण की अधिकारिता समाप्त की गई है, हम पहले ही अधिनियम की धारा *14,15* और *16* पर ध्यान दे चुके हैं। अधिनियम की धारा *19* की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित है

नल। धारा *19* जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 19. न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ। — *(1) .* न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908* द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

न्याय।

(2) . इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(3) . न्यायाधिकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872* में निहित साक्ष्य के नियमों से भी बाध्य नहीं होगा।

(4) . न्यायाधिकरण के पास, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के उद्देश्यों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908* के तहत एक दीवानी अदालत में निहित हैं, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्ः

(क) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाना और लागू करना।

और शपथ पर उसकी जाँच करना*;*

(ख) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता*;* *(ग)* शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना*;*

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *123* और *124* के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करते हुए या किसी भी कार्यालय से दस्तावेज़ या ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज़ की प्रति*;*

(ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना*;* *(च)* अपने निर्णय की समीक्षा करना*;*

(छ) चूक के लिए एक आवेदन को खारिज करना या इसे एकतरफा निर्णय लेना*; [2019] 8* एस. सी. आर.

(ज) के लिए किसी भी आवेदन को खारिज करने के किसी भी आदेश को रद्द करना

पूर्वनिर्धारित या उसके द्वारा एकतरफा पारित कोई आदेश;

(i) इसके तहत दायर किसी भी आवेदन या अपील पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक अंतरिम आदेश *(*निषेधाज्ञा या रोक सहित*)* पारित करें।

अधिनियम;

(जे*)* एक आदेश पारित करता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को रोकने और रोकने की आवश्यकता होती है
निर्दिष्ट किसी अधिनियम का उल्लंघन करना या करना

अनुसूची *I* में;
*((*ट*)* कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

5. न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा *196* के प्रयोजनों के लिए धारा *193,219* और *228* के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाहियां माना जाएगा और न्यायाधिकरण को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक दीवानी अदालत माना जाएगाः

दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* की धारा *195* और अध्याय *XXVI*।

154. धारा *19* की उप-धारा *(1)* में यह प्रावधान है कि न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उप-धारा *(1)* का मतलब यह है कि न्यायाधिकरण अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए सी. पी. सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है। धारा *19* की उप-धारा *(2)* न्यायाधिकरण को अपने स्वयं के विनियमन की शक्तियां प्रदान करती है।

दीवानी अदालत में निहित, एक मुकदमे की सुनवाई करते समय, उसमें उल्लिखित मामलों के संबंध में। "सी. पी. सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग यह कहने के समान नहीं है कि सी. पी. सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किसी भी तरह से न्यायाधिकरण के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, धारा *19 (1)* का यह भी मतलब नहीं है कि न्यायाधिकरण में दी गई किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकता है। सीपीसी। *1976* के अधिनियम *104* द्वारा *01.02.1977* से प्रभावी सी. पी. सी. का एक प्रावधान आदेश *XXVI* है, जो वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक है।

आदेश *XXVI* नियम *10A* निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" वैज्ञानिक के लिए आदेश *XXVI* नियम *10A.Commission*

जांच *"-(1)* जहां किसी मुकदमे में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न में कोई वैज्ञानिक जांच शामिल है, जो मेघालय राज्य की राय में नहीं हो सकती है।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

न्यायालय, न्यायालय के समक्ष सुविधाजनक रूप से संचालित किया जाए, न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक आयोग जारी कर सकता है जो

वह उचित समझे, और उसे ऐसे प्रश्न की जांच करने और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकता है।

(2) इस आदेश के नियम *10* के प्रावधान, जहां तक हो सके, इस नियम के तहत नियुक्त आयुक्त के संबंध में लागू होंगे -

वे नियम *9* के तहत नियुक्त आयुक्त के संबंध में लागू होते हैं।

155. नियम *10* ए में यह प्रावधान है कि जहां किसी मुकदमे में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न में कोई वैज्ञानिक जांच शामिल है, जिसकी राय में

न्यायालय, न्यायालय के समक्ष सुविधाजनक रूप से संचालित किया जाए, न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक आयोग जारी कर सकता है जो वह उचित समझे, उसे ऐसे प्रश्न की जांच करने और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकता है। नियम *10* ए अदालतों को ऐसे व्यक्तियों से रिपोर्ट प्राप्त करने की शक्ति प्रदान कर रहा है जो किसी भी प्रश्न के वैज्ञानिक जांच से संबंधित होने पर उचित समझते हैं। नियम *10* ए के तहत अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का एनजीटी द्वारा विशेषज्ञों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। एनजीटी के अनुसार एन. जी. टी. की वैधानिक योजना को प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित कई जटिल प्रश्नों का निर्णय करना होता है। उचित मामलों में विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक जांच और रिपोर्ट आवश्यक है -

प्रदूषण और पर्यावरण को ठीक करने के उपायों का पता लगाने के लिए सही निष्कर्ष पर आएं। इस प्रकार, हम एन. जी. टी. में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं पाते हैं। हम आगे कह सकते हैं कि विशेषज्ञ से एक रिपोर्ट देने के लिए कहते समय एनजीटी नियम *10* ए के चार कोनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अधिकार क्षेत्र धारा *19 (1)* के अनुसार आदेश *26* नियम *10* ए की सख्त शर्तों से बंधा नहीं है जैसा कि ऊपर देखा गया है।

156. एक और प्रावधान है जो उपरोक्त पर काफी प्रकाश डालता है। एनजीटी अधिनियम, *2010* की धारा *35* के तहत केंद्रीय सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। धारा *35*, अर्थात् राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण *(*अभ्यास और प्रक्रिया*)* नियम, *2011* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं। उक्त नियम धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं।

4 (4) साथ ही धारा *35*। नियम, *2011* न्यायाधिकरण की प्रथाओं और प्रक्रिया के लिए भी नियम हैं। नियम *24* जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" धारा *24.* कुछ मामलों में आदेश और निर्देश। - द.
न्यायाधिकरण अपने आदेश को प्रभावी बनाने या अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे आदेश या ऐसे निर्देश दे सकता है जो आवश्यक या समीचीन हों।

157. नियम *24* न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश देने या ऐसे निर्देश देने का अधिकार देता है जो इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हों। न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आदेशकर्ता। नियम *24* न्यायाधिकरण को न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है। नियम *24* विशेष शक्ति निहित करता है -

न्यायाधिकरण न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित करेगा और निर्देश जारी करेगा। 'हो सकता है', 'ऐसे आदेश', 'ऐसे निर्देश देता है', 'जो आवश्यक या समीचीन हो', 'उसके आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए', 'प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश', ऐसे शब्द हैं जो न्यायाधिकरण को आदेश पारित करने में सक्षम बनाते हैं और उपरोक्त शब्द व्यापक विवेक प्रदान करते हैं।

158. प्रोफेसर न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, सांविधिक सिद्धांतों में

व्याख्या, *14* वां संस्करण सक्षम शब्द के बारे में बताते हुए कहता है:

"आम तौर पर, 'मई' और 'यह वैध होगा' शब्द मजबूरी के शब्द नहीं हैं। वे सक्षम शब्द हैं और वे केवल प्रदान करते हैं क्षमता, शक्ति या अधिकार और विवेक का संकेत देता है। वे दोनों ही

कानून में इसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि कुछ ऐसा किया जा सकता है जो इससे पहले नहीं किया जा सकता था। 'शक्ति होगी' शब्दों का प्रयोग

यह भी एक ही विचार को दर्शाता है।

159. नियम *24* के तहत न्यायाधिकरण को दी गई सक्षम करने वाली शक्तियां उन विषयों पर निर्णय लेने के उद्देश्य और उद्देश्य के लिए हैं जिनकी जांच की जानी है, निर्णय लिया जाना है और न्यायाधिकरण द्वारा उचित राहत दी जानी है। इसके अलावा, विषयों में विषयों की विस्तृत श्रृंखला होती है जिसके लिए तकनीकी और तकनीकी विषयों की आवश्यकता होती है।

वैज्ञानिक निवेश। न्यायाधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उसे न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन लगे।

160. जिस उद्देश्य के लिए कथित शक्ति दी गई है, वह खोजने के लिए बहुत दूर नहीं है। एन. जी. टी. अधिनियम, *2010* के उद्देश्य को पूरा करना। एन. जी. टी. को व्यापक अभ्यास करना होगा

अधिकारिता की सीमा और किसी दिए गए मामले में न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियां होनी चाहिए। के लाभ के लिए व्यायाम करने की शक्ति दी जाती है

जिनका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष कौन सा अधिकार स्थापित करना है। न्यायाधिकरण को दी गई शक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है। इस संबंध में एल. हिरडे नारायण बनाम आयकर अधिकारी, बरेली, *1970 (2)* एस. सी. सी. *355* में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है, जहां यह न्यायालय टी. ई. ऑफ मेघालय बनाम.

सभी डिमासा छात्र संघ, एमए-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*प्राधिकरण को कुछ करने के लिए सशक्त बनाने का प्रावधान। यह अनुच्छेद *14* में दिया गया है:

" *14.* उच्च न्यायालय ने भारतीय आयकर की धारा *35* के तहत यह टिप्पणी की। अधिनियम, *1922*, आयकर अधिकारी का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है। यदि इस प्रकार यह अभिप्रेत है कि आयकर अधिकारी को सुधार करने की शक्ति का प्रयोग करने या न करने का विवेकाधिकार है, यह दृष्टिकोण हमारे निर्णय में गलत है। धारा *35* में कहा गया है कि आयुक्त या अपीलीय सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी अभिलेख से स्पष्ट किसी भी गलती को सुधार सकते हैं। यदि कोई कानून किसी लोक अधिकारी को परिस्थितियों के एक निर्दिष्ट समूह में कोई कार्य करने का अधिकार देता है, तो उस पर अपने अधिकार का प्रयोग उस मामले के लिए उपयुक्त तरीके से करना अनिवार्य है जब कोई पक्ष रुचि रखता है और उसे उस ओर से कदम उठाने का अधिकार है और अधिकार के प्रयोग के लिए परिस्थितियां मौजूद दिखाई देती हैं। भले ही कानून में उपयोग किए गए शब्द प्रथम दृष्टया सक्षम हों, अदालतें आसानी से उस शक्ति का प्रयोग करने के कर्तव्य का अनुमान लगा लेंगी जो किसी नागरिक के अधिकार-सार्वजनिक या निजी-को लागू करने में सहायता के लिए निवेश की जाती है।

161. इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि एन. जी. टी. में समिति की नियुक्ति के लिए या निर्देश देने के लिए अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है।

मामले के दिए गए तथ्यों में एक समिति से एक रिपोर्ट।

162. अब उस कोष के लिए चुनौती पर आते हैं जिसे न्यायाधिकरण द्वारा शीर्षक दिया गया है, अर्थात्, "मेघालय पर्यावरण"सी. टी. आई. एन. एंड रिस्टोरेशन फंड ", यह अवलोकन न्यायाधिकरण को *25* मार्च, *2015* के अपने आदेश में नोटिस करने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा उक्त फंड बनाया गया था। निधि के गठन के कारण स्व-व्याख्यात्मक हैं।

निम्नलिखित प्रभाव पड़ता हैः

" यह भी निर्विवाद है कि विशाल पर्यावरणीय स्थिति रही है।

राज्य में जल निकाय का क्षरण और प्रदूषण

मेघालय, इस अवैध, अवैज्ञानिक खनन के कारण। किसी ने भी इस क्षेत्र की बहाली के बारे में सोचा भी नहीं है, जिससे पारिस्थितिकी और पर्यावरण की बहाली, यदि पूरी तरह से नहीं, तो लगभग *16* हद तक हो सकती है। प्रदूषित जल निकायों की सफाई के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस गतिविधि से आगे कोई प्रदूषण न हो और कोयले के परिवहन सहित जिस गतिविधि को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। 'प्रदूषक वेतन सिद्धांत' के आधार पर। हम निर्देश देते हैं कि राज्य

सरकार उसे देय रॉयल्टी के अलावा, प्रत्येक खेप के लिए कोयले के बाजार मूल्य पर *10* प्रतिशत भी एकत्र करेगी।

पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और केंद्र सरकार की दिनांक *10.05.2012* और राज्य सरकार की दिनांक *22.06.2012* की अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम देख सकते हैं कि

अध्याय *7* के *7.5.18* के तहत *31* मार्च, *2013* को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोयले का चालान मूल्य रु। *4850 / -* प्रति मीट्रिक टन। इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उसे देय रॉयल्टी के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति से प्रति मीट्रिक टन कोयले के उक्त बाजार मूल्य का *10* प्रतिशत भी एकत्र करेगी। इस प्रकार एकत्र की गई राशि मेघालय राज्य के मुख्य सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में राज्य द्वारा बनाए जाने वाले 'मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष' नामक खाते में जमा की जाएगी।

इस राशि का उपयोग केवल पर्यावरण की बहाली और पर्यावरण के संबंध में आवश्यक उपचारात्मक और निवारक उपायों के लिए किया जाएगा।

और उससे संबंधित मामले "

163. जैसा कि ऊपर देखा गया है कि एनजीटी कोई आदेश पारित कर सकता था या

न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए निर्देश जो विशेष रूप से नियम *24* द्वारा प्रदत्त शक्ति है जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस प्रकार निधि के गठन का निर्देश भी ऐसी शक्ति के तहत सहेजा जाता है।

बिन्दु *No.11*

164. न्यायाधिकरण द्वारा समिति के गठन के संबंध में प्रस्तुत करने के दो अन्य अंग हैं-*(1)* एन. जी. टी.

समितियों ने समिति को आवश्यक न्यायिक शक्ति सौंपी है; *(2)* समितियों का गठन संविधान की छठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद *244 (2)* के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की संवैधानिक योजना का अतिक्रमण करता है। *165.* न्यायाधिकरण ने अपने विभिन्न निर्देशों के माध्यम से राज्य के अधिकारियों और समितियों से रिपोर्ट मांगी है। विभिन्न उदाहरण जहाँ

एन. जी. टी. ने प्रतिवेदन या जाँच के लिए निर्देश दिया और समितियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का उद्देश्य उसके द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और उसके समक्ष उठाए गए पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लेना था। किसी भी तरह से समिति के गठन को समिति को एनजीटी की आवश्यक न्यायिक शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कहा जा सकता है।

मेघालय राज्य *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[अशोक भूषण, जे.]*

166. अब, हम कटके समिति पर आते हैं जिसका गठन न्यायाधिकरण द्वारा *31.08.2018* पर किया गया था। अनुच्छेद *14* और *15* में न्यायाधिकरण ने न्यायमूर्ति बी. पी. कटके की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्देश देते हुए निर्देश दिया:

" 14. केवल अंतिम प्रश्न जो बचा है वह पर्यावरण की बहाली और पीड़ितों के पुनर्वास का है जिसके लिए धन उपलब्ध है। हमारा विचार है कि इस कार्य के लिए यह उचित होगा कि हम एक स्वतंत्र समिति का गठन करें। इस समिति की अध्यक्षता गुवाहाटी के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. पी. कटोकी करेंगे। *06 10* अगस्त *31,2018* आर उच्च न्यायालय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ और

इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद।

15. समिति निम्नलिखित कदम उठाएगी:

इस संबंध में अब तक की गई सभी कार्रवाइयों का जायजा लें।

• इस मुद्दे से निपटने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि

इसका कार्यान्वयन "।

167. समिति का गठन और उसके कार्य न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को लागू करने के उद्देश्य से सौंपे गए थे।

न्यायाधिकरण ने पहले ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बहाली के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी बहाली योजना न्यायाधिकरण के समक्ष *03.10.2017* दिनांकित हलफनामे के साथ प्रस्तुत की गई थी जैसा कि एनजीटी के *02.01.2018* दिनांकित आदेश में देखा गया है। इस प्रकार, कटके समिति के गठन में, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण द्वारा समिति को आवश्यक न्यायिक कार्य सौंपे गए थे। पर्यावरण की बहाली के लिए एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *31.08.2018* के आदेश के माध्यम से समिति को अपनी कार्य योजना और ई-मेल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने उन सभी कदमों पर पूर्ण नियंत्रण रखा था जो समिति द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता थी और समय-समय पर निर्देश जारी किए। हम, इस प्रकार, अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार नहीं करते हैं कि एनजीटी की आवश्यक न्यायिक शक्तियां समिति को सौंप दी गई थीं। पर्यावरण की बहाली के विशाल कार्य को देखते हुए जिसकी मौके पर ही निगरानी की जानी है

समिति का गठन किया गया। हालाँकि, हम देखते हैं कि समिति के किसी भी कार्य से व्यथित होने पर राज्य हमेशा विशेष निर्देश प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। समिति के अधिनियमों के न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मामला न्यायाधिकरण के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है और यदि *[2019] 8* एस. सी. आर.

समिति द्वारा किसी भी दिशा में उठाए गए कदमों को न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष लाए जा रहे मामले में बहुत अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है। *168.* अब, हम दूसरे अंग पर आते हैं, कि समिति का गठन जनजातीय क्षेत्रों की संवैधानिक योजना का अतिक्रमण करता है।

हम संविधान की छठी अनुसूची पर लौटते हैं। छठी अनुसूची के पैरा *3* में जिला परिषद की शक्तियों की गणना की गई है और

पर्यावरण की बहाली न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष का परिणाम है कि एक अनियमित कोयला खनन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और जल प्रदूषण सहित प्रदूषण का कारण बना है। अपीलार्थी का यह मामला नहीं है कि जिला और क्षेत्रीय परिषदों ने पर्यावरण की बहाली के लिए कोई कानून बनाया है जिसका समिति या उसके कार्यों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और न्यायाधिकरण द्वारा गठित समिति केवल पर्यावरण क्षरण और अवैध कोयला खनन से संबंधित है। समितियों की रिपोर्ट या न्यायाधिकरण का निर्देश किसी भी तरह से जिला और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का अतिक्रमण नहीं करता है।

बिन्दु *No.12*

169. एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *04.01.2019* के आदेश के माध्यम से मेघालय राज्य को केंद्र के पास *Rs.100* करोड़ की राशि जमा करने का निर्देश दिया।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे पर्यावरण की बहाली के लिए खर्च किया जाना था। उपरोक्त निर्देश से व्यथित मेघालय राज्य ने *2019* की सिविल अपील *No.2968* दायर की है। हम पहले ही देख चुके हैं कि श्री अमरेंद्र शरण, वरिष्ठ अधिवक्ता।

170. विद्वान न्यायमित्र श्री कॉलिन गोंजाल्विस ने अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों का खंडन किया है। यह है।

प्रस्तुत किया कि पूरे राज्य में दिनांक *1* के आदेश द्वारा कोयला खनन पर विशिष्ट प्रतिबंध के बावजूद, अवैध कोयला खनन चल रहा था, जो रिपोर्ट में उल्लिखित रिपोर्टों और चित्रों से साबित हुआ। प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने के लिए राज्य जिम्मेदार और संवैधानिक रूप से बाध्य है। वे अवैध खनन को रोकने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जो मेघालय राज्य के प्रदूषण के क्षरण का कारण है।

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[अशोक भूषण, जे.]*

नदी की धाराओं के प्रदूषण सहित, न्यायाधिकरण ने मेघालय राज्य को *Rs.100* करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है। श्री गोंजाल्विस ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा मेघालय राज्य का ध्यान विशेष रूप से नदी के पानी में गंभीर प्रदूषण की ओर आकर्षित करने के बावजूद, मेघालय राज्य द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पर्यावरण की बहाली के लिए विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है और जब तक राज्य आवश्यक निधि और वित्त प्रदान नहीं करता है, तब तक बांध पुराने पर्यावरण की बहाली नहीं की जा सकती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य ने *26,731/-* रुपये की भारी राशि एकत्र की थी, जो राशि राज्य द्वारा खर्च नहीं की गई थी, हालांकि, पर्यावरण की बहाली के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी।

171. एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *1* के आदेश के अनुसार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. पी. कटके की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद के प्रतिनिधियों के साथ न्यायालय। न्यायाधिकरण द्वारा जारी दिनांक *19.09.2018* के बाद के आदेश द्वारा, मेघालय सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को समिति के उचित कामकाज के लिए सदस्य सचिव/समन्वयक बनाया गया था। समिति ने विभिन्न स्थलों का दौरा किया, विभिन्न बैठकें कीं, मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य निकायों जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा समिति के समक्ष विभिन्न प्रस्तुतियाँ भी दी गईं। समिति द्वारा पैरा *12 (*जी*)* में निम्नलिखित कहा गया हैः

"12 (छ*)* मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोयला खदान गतिविधियों और उपयोग की जाने वाली भूमि पर इसके प्रभाव, जल की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता, पारिस्थितिकी के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर भी प्रस्तुति दी गई। समिति, उक्त के आधार पर
प्रस्तुति, निम्नलिखित पाई गईः

((ii) इस तरह की खनन गतिविधियाँ भारी पारिस्थितिक गड़बड़ी और नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर रही हैं।

(iii) [2019] 8 एस. सी. आर. में सल्फर के उच्च प्रतिशत की उपस्थिति के कारण खनन क्षेत्रों में नदियों और धाराओं में पानी *2.7* के पी. एच. मान के साथ प्रकृति में अत्यधिक अम्लीय हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोयला, जो हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद प्रतिक्रिया करता है और

पानी ए. एम. डी. समस्या को जन्म दे रहा है। नदियों, धाराओं और खदानों की नालियों में पानी के पी. एच. स्तर में कोई अंतर नहीं आया है।

मानसून के दौरान देखा गया।

((iv) झरनों, नल के पानी और हैंडपंपों में पानी का पी. एच. स्तर भी पीने की अनुमेय सीमा से कम पाया गया।

जल मानक।

(v) जल निकायों में जैविक जीवन की अनुपस्थिति। *(vi)* कोयला खनन क्षेत्रों और कोयला भंडारण क्षेत्रों की परिवेशी वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता से अधिक है।

कुछ अवसरों पर मानक।

(vii) प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता और

अनियोजित से जुड़े स्वास्थ्य खतरे और

अवैज्ञानिक कोयला खनन गतिविधियाँ।

172. पर्यावरण की बहाली के लिए कार्य योजनाएं भी तैयार की गईं।

ssed और अंतिम रूप दिया।

173. मुद्दा सं. पर विस्तृत चर्चा पर। *(ए)* के साथ समिति

निम्नलिखित चित्रों और मानचित्रों को सम्मिलित किया गया है:

" (vi) समिति के समक्ष उपलब्ध उपरोक्त सामग्रियों से, इसलिए, यह स्पष्ट है कि कोयला खनन गतिविधियाँ, जिसमें कोयला निकालना और परिवहन शामिल है, मेघालय राज्य में चल रही हैं, कम से कम पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिले में, जहां इस तरह की खनन गतिविधियाँ सबसे अधिक हैं, माननीय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद। एन. जी. टी. ने अपने दिनांकित *17.04.2014* के आदेश को देखा। बहुत ईमानदार और ईमानदार।

खनन गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस तरह की खनन गतिविधियाँ श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा उपाय अपनाए बिना और प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह किए बिना चल रही हैं। इस तरह की अवैध खनन गतिविधियों को रोकने की सच्ची इच्छा भी आवश्यक है।

राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों का हिस्सा स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण का कार्यान्वयन और निगरानी

नियम।

(vii) अवैध खनन के जारी रहने का परिणाम, इसके बावजूद

एन. जी. टी. द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, बहुत ही दुखद घटना है जो स्टेट ऑफ मेघालय *v.*

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

बहुत हाल ही में *13.12.2018* पर पास के कसन गाँव में एक कोयला खदान में
पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों में साइपुंग पुलिस स्टेशन के तहत लाइटेन नदी

जिला, जहाँ *15 (*पंद्रह*)* कोयला खदान श्रमिकों के खदान में फंसने की सूचना है, जब वे खदान में काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनमें से अभी तक किसी को भी बचाया नहीं जा सका है। उक्त घटना के लिए, साइपुंग पुलिस कोयला खदान के
मालिक के खिलाफ पी. डी. पी. पी. अधिनियम की धारा *3 (2) (*डी*)* और एम. एम. *(*आर. एंड डी.*)* अधिनियम की धारा *21 (1)* के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा *188/304* ए*/34* के तहत स्टेशन मामला दर्ज किया गया है। एक मजिस्ट्रेट

उक्त घटना के लिए तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच का भी निर्देश दिया गया है।

174. तथ्य यह है कि *13.12.2018* पर, *15* कोयला खदान श्रमिक थे

एक चल रहे कोयला खनन अभियान में फंसे हुए, जिनके सभी के मृत होने की सूचना दी गई है, वे किसी भी संदेह से परे साबित करते हैं कि आदेश दिनांकित था *17.04.2014* पूरे मेघालय राज्य में खनन पर प्रतिबंध न तो लागू किया गया और न ही राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। पर्यावरण की बहाली और पीड़ितों की बहाली के संबंध में, समिति द्वारा कार्य योजनाएँ तैयार की गईं।

175. श्री अमरेंद्र शरण द्वारा उठाया गया पहला निवेदन

आदेश को चुनौती देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अंक संख्या एफ *(iv)* में समिति की स्वयं की *31.12.2018* की रिपोर्ट में देखा गयाः -

"वेबसाइट खोल दी गई है और सभी कार्यवाही
समिति उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

176. रिपोर्ट को वेबसाइट पर ही *31.12.2018* पर रखा जा रहा है, समिति की रिपोर्ट की प्रति को देने का कोई सवाल ही नहीं है।

हितधारक। यह ध्यान देने योग्य है कि मेघालय सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वयं न्यायाधिकरण के दिनांक *1* के आदेशों के तहत समिति के सदस्य सचिव और समन्वयक थे। समिति की सभी कार्यवाहियां, इसकी बैठकें और कार्यवृत्त, मेघालय राज्य के समन्वयक/अतिरिक्त मुख्य सचिव की जानकारी और भागीदारी के साथ थे।

177. दिनांकित *04.01.2019* आदेश का अवलोकन, जो अपील में आक्षेपित है, इंगित करता है कि हालांकि राज्य के लिए विद्वान वकील

मेघालय उपस्थित था और उसकी सुनवाई की गई लेकिन रिपोर्ट की स्वीकार्यता के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। *[2019] 8* एस. सी. आर. द्वारा प्राप्त रिपोर्ट।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एनजीटी को समिति के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की सुरक्षा और क्षतिग्रस्त पर्यावरण की बहाली के लिए प्रभावी कदम उठाने थे। विभिन्न नदियों और धाराओं और कदमों का प्रदूषण अम्लीय जल का उपचार तत्काल आवश्यक था। समिति के समक्ष कई प्रस्तुतियाँ भी दी गईं और इसके संबंध में विभिन्न कदम उठाए गए

पर्यावरण की बहाली पर ध्यान दिया जाना था और समिति की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *1* के आदेश के अनुसार मेघालय राज्य के मुख्य सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में राज्य द्वारा बनाए जाने के लिए 'मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष' नामक एक कोष का गठन किया। यह है।

समिति की रिपोर्ट में दोहराया गया है कि उक्त निधि में पहले से ही *1* करोड़ रुपये की राशि पड़ी है, जिसे खर्च नहीं किया गया है।

178. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि नुकसान की सीमा की कोई गणना नहीं की गई थी और न ही न्यायाधिकरण *Rs.100* करोड़ की सीमा तक नुकसान की राशि पर पहुंच सकता था, जिसे मेघालय राज्य द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करने का निर्देश दिया गया था।

179. हमारा मानना है कि एन. जी. टी. द्वारा मेघालय राज्य द्वारा जमा की जाने वाली राशि न तो जुर्माना है और न ही जुर्माना। राज्य पर लगाया गया जुर्माना। पर्यावरण की बहाली के संबंध में कदम उठाने के लिए राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। हम आगे विद्वान वकील के प्रस्तुत करने से सहमत हैं

राजस्व का सीमित स्रोत और मेघालय राज्य पर अपने स्वयं के वित्तीय स्रोत से *Rs.100* करोड़ का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त बोझ डालना। संसाधन और बजटीय राशि मेघालय राज्य के लिए बड़ी कठिनाई का कारण बन सकते हैं। एन. जी. टी. दिनांक *1* के निर्देश को इस हद तक संशोधित करने में न्याय का अंत किया जाना चाहिए कि राज्य को एम. ई. पी. आर. एफ. में पड़ी राशि में से *2* करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरित करने की अनुमति है। न्यायाधिकरण *(*एन. जी. टी.*)* के निर्देशानुसार केंद्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपरोक्त राशि *Rs.100* करोड़ का उपयोग केवल पर्यावरण की बहाली के लिए करेगा। इस प्रकार, अपील को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

बिन्दु *No.13*

180. दिनांक *31.03.2016* के आदेश के अनुसार, एनजीटी ने राज्य मेघालय बनाम के रूप में नियमों और शर्तों के तहत *15.5.2016* तक कोयले के परिवहन की अनुमति दी थी।

181.

"21. (1)

(2)

(3)

(4)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूमि, और, उस उद्देश्य के लिए, किसी भी उपकरण, उपकरण, वाहन या किसी अन्य चीज़ का उपयोग करता है, ऐसा खनिज उपकरण, उपकरण, वाहन या कोई अन्य चीज़ इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा जब्त की जाने वाली होगी। *(4 क)* उप-धारा *(4)* के तहत जब्त किया गया कोई भी खनिज, औजार, उपकरण, वाहन या कोई अन्य वस्तु, उप-धारा *(1)* के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के आदेश द्वारा जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे अदालत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा।

(5) जब भी कोई व्यक्ति किसी वैध प्राधिकरण के बिना किसी भूमि से कोई खनिज उगाता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस तरह से उठाए गए खनिज की वसूली कर सकती है, या जहां ऐसे खनिज का पहले ही निपटान कर दिया गया है, तो उसकी कीमत वसूल कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति से उस अवधि के लिए किराया, रॉयल्टी या कर भी वसूल कर सकती है, जिसके दौरान बिना किसी वैध प्राधिकरण के ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमि पर कब्जा कर लिया गया था।

(6) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद
प्रक्रिया, *1973 (1974* का *2)*, उप-धारा *(1)* के तहत एक अपराध संज्ञेय होगा।

182. धारा *4 (1)* के उल्लंघन में कोयले का खनन धारा *21* में उल्लिखित दंड को आमंत्रित करता है। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहाँ खनिकों पर किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाया गया है, सिवाय इसके कि कोयले के खनन पर देय रॉयल्टी की राशि राज्य द्वारा जुर्माने के रूप में एकत्र की जा रही है। यह सच है कि राज्य सरकार के पास धारा *21 (5)* के तहत ऐसे व्यक्ति से इस तरह से उठाए गए खनिजों की वसूली करने की शक्ति है, या जहां ऐसी सामग्री का पहले ही निपटान कर दिया गया है, तो उसकी कीमत वसूल कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति से किराया, रॉयल्टी या कर भी वसूल कर सकती है, लेकिन यह राज्य सरकार पर है कि वह दंड के रूप में धारा *21 (5)* के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करे। एन. जी. टी. ने कोई कारण नहीं बताया है कि राज्य में कोयला अपने आप कैसे निहित हो जाएगा। धारा *21 (5)* के तहत खनिज की वसूली का अधिकार यह कहने के बराबर नहीं है कि खनिजों के मालिक का स्वामित्व अधिकार खो गया है, बल्कि इसके तहत राज्य

धारा *21 (5)* बिना किसी वैध प्राधिकरण के उठाए गए खनिज को पुनः प्राप्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि आई. डी. *1* के बाद निकाला गया और खुले में पड़ा कोयला स्वतः राज्य में निहित नहीं था और कोयले के मालिक या जिस व्यक्ति ने कोयले का खनन किया है, उसका खनिज में स्वामित्व अधिकार होगा जो नष्ट नहीं होगा।

मेघालय राज्य *v.* सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

बिन्दु *No.14*

183. विभिन्न आवेदकों द्वारा कई आई. ए. दाखिल किए गए हैं

मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में विभिन्न स्थानों पर पड़े पहले से निकाले गए कोयले के परिवहन का निर्देश। अलग-अलग आवेदक अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग मात्रा में कोयले का दावा कर सकते हैं। हमारे दिनांकित *10.05.2019* के आदेश द्वारा, हमने पहले ही *75050* मीट्रिक टन की सीमा तक शेष कोयले के परिवहन की अनुमति दे दी है, जिसके लिए इस न्यायालय के दिनांकित *04.12.2018* के आदेश के बाद चालान पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उपर्युक्त मात्रा

75050 एम. टी. कहा। शेष राशि *176655* मीटर में से थी। , जिसके परिवहन के लिए इस न्यायालय द्वारा *04.12.2018* पर आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त मात्रा के अलावा, विभिन्न आवेदकों द्वारा विभिन्न मात्राओं के संबंध में दावा किया गया है। वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए परिवहन के लिए अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग मात्राओं और दावों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। एनजीटी के आदेश के बाद

दिनांक *31.08.2018*, मेघालय राज्य ने खनन और भूविज्ञान आयुक्त और सचिव की सहायता के लिए समितियों का गठन किया है ताकि कोयले के संबंध में एक अलग सूची तैयार की जा सके जो अब तक सूची में दर्ज नहीं है।

एन. जी. टी. के पास उपलब्ध सूची। उक्त निर्देश के अनुसरण में, जैसा कि आदेश के पैराग्राफ *No.13* में निहित है, कदम उठाए गए और विभिन्न समितियों ने अलग-अलग मामलों के संबंध में कुछ आकलन किए थे।

मेघालय राज्य के चार पहाड़ी जिलों में कोयले की मात्रा। काटाके समिति की रिपोर्ट दिनांक *31.12.2018* ने चार्ट में विभिन्न मात्राओं को देखा है जैसा कि मेघालय सरकार के आयुक्त और सचिव को दिनांकित *13.11.2018* पत्र द्वारा सूचित किया गया था। मुद्दा संख्या *3* से निपटते समय, पैराग्राफ संख्या में। *(iii), (iv)* और *(v)*, निम्नलिखित बताए गए हैं:

" ((iii) सरकार का आयुक्त और सचिव
मेघालय, खनन और भूविज्ञान विभाग ने ए. टी. आर. में प्रस्तुत किया

13.11.2018 पर परिवहन के लिए पहले से ही आविष्कार किए गए कोयले की *176655* मीट्रिक टन की उपलब्धता के बारे में कहा गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित *04.12.2018* के आदेश में भी परिलक्षित हुआ है। आयुक्त और सचिव ने उक्त ए. टी. आर. में यह भी कहा है कि आविष्कार किए गए कोयले के अलावा *23,25* एम. टी. कोयले का आविष्कार नहीं हुआ है और यह परिवहन के लिए उपलब्ध है, जिसका जिलावार विवरण इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" प्रतिबिंबित कोयला पर रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र-आविष्कार में अससेड या नील

एनजीटी द्वारा अनुमोदित

में एम. टी. निर्धारित मात्रा में घोषित मात्रा

एस. आई. नाम

नहीं। जिला

एमटी

1 . पूर्वी जयंतिया

15,46, 687.00

13,22, 379.00

पहाड़ी जिला

7,78, 297.99

7,29, 757.00

2 .

पश्चिम खासी

पहाड़ी जिला

2,14, 145.55

1,25, 600.63

3 .

दक्षिण-पश्चिम

खासी

पहाड़ियाँ

जिला

गारो

4 .

दक्षिण

12, 834.00

10, 841.00

पहाड़ी जिला

कुल

24,14, 878.63

23,25, 663.54 "

((iv) उपरोक्त जिलेवार निकाले गए कोयले के विभाजन से,

आयुक्त ने, जैसा कि ऊपर देखा गया है, जारी कोयला खनन को स्वीकार किया है माननीय एन. जी. टी. द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद गतिविधियाँ

दिनांकित *17.04.2014*। सरकार का रुख है कि मात्रा

कोयले का, जैसा कि उपरोक्त चार्ट में परिलक्षित होता है, खनन से पहले किया गया था
उक्त प्रतिबंध, उपरोक्त को देखते हुए स्वीकार्य नहीं प्रतीत होता है

उपायुक्त का प्रवेश और यह भी कि क्या

समिति ने *12.11.2018* पर अपने क्षेत्र दौरे के दौरान ध्यान दिया है। ऐसा लगता है।

कि ताजा खनन किए गए कोयले को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात

माननीय एन. जी. टी. द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद खनन किया गया कोयला
कोयले को मूल्यांकन से छोड़ दिया गया और अविष्कारक बना रहा

हालाँकि उक्त प्रतिबंध से पहले खनन किया गया था। समिति ने यह भी माना
ताकि इस तरह के ताजा खनन किए गए कोयले का लाभ उठाते हुए परिवहन किया जा सके

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित *04.12.2018* आदेश का
अदालत।

(v) माननीय एन. जी. टी. ने अपने दिनांक *31.08.2018* के आदेश के अनुसार

सचिव को उक्त मुद्दे से गुजरने की जिम्मेदारी

खनन, सबसे पहले मेघालय राज्य और

केंद्रीय प्रतिनिधियों की संयुक्त टीम द्वारा क्रॉस-चेक किया गया
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंडिया स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद। के रूप में

बताया गया है कि अभी तक ऐसा कोई क्रॉस-चेक नहीं किया गया है। मेघालय राज्य *v.*

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

मेघालय, खनन और भूविज्ञान विभाग, जहाँ का विवरण मेघालय राज्य द्वारा नियुक्त समितियों द्वारा किए गए आकलन को रिकॉर्ड में लाया गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इसे पूरा करने के लिए एक तकनीकी समिति का भी गठन किया गया था

संबंधित जिलों के उपायुक्तों द्वारा किए गए आकलनों का सत्यापन। हलफनामे के अनुसार, उपरोक्त चार जिलों में निकाले गए कोयले के भंडार का आकलन *32,56,715* मीट्रिक टन है जबकि रिपोर्ट में

कटके समिति द्वारा प्रस्तुत, उपरोक्त चार जिलों में उक्त आंकड़ा *23,25,663.54* मीट्रिक टन है। तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे निर्धारित मात्राओं को सत्यापित करने वाले अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ रिकॉर्ड में लाया गया है। शपथ पत्र में

निकाला गया परिवहन के आदेशों की प्रतीक्षा में पड़ा है। विद्वान न्यायमित्र और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निधेश गुप्ता ने आवेदकों के साथ-साथ मेघालय राज्य द्वारा किए गए दावे का खंडन किया है। विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में राज्य अवैध खनन को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, आई. डी. *1* के प्रतिबंध के बावजूद, कोयले के अवैध खनन की अनुमति दी गई है और अब इस तरह के अवैध

खनन कोयले का भी आकलन किया गया है और राज्य भी आवेदकों के परिवहन के दावे का इस आड़ में समर्थन करता है कि खुला कोयला पर्यावरण के लिए खतरा है। *185. 2016* के सी. ए. *No.5272* में निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निधेश गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि

राज्य ने कोयले की नीलामी मामूली कीमत पर की, जबकि कोयले की बाजार कीमत लगभग *Rs.10,000/-* प्रति मीट्रिक टन है। वर्तमान मामले में, हमने देखा है कि एनजीटी द्वारा अपने दिनांक *17.04.2014* के आदेश द्वारा प्रतिबंध के बावजूद अवैध कोयला खनन चल रहा है। कटके समिति की रिपोर्ट में भी राय दी गई है।

कि विभिन्न जिलों में पड़ा हुआ सभी निकाला गया कोयला एक कोयला है, जिसका दिनांक *17.04.2014* के आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अवैध रूप से खनन किया गया है। सभी कोयले का अवैध रूप से खनन होने के कारण, राज्य को रॉयल्टी और एम. ई. पी. आर. कोष की राशि प्राप्त करने के लिए जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार है। कोयला प्रमुख खनिज है और विभिन्न उद्योगों के लिए उपयोगी है *[2019] 8* एस. सी. आर.

और परियोजनाएँ, निकाले गए कोयले का उचित निपटान भी सर्वोपरि है।

186. हम विद्वान न्यायमित्र के इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि

विभिन्न स्थानों पर पड़े पूरे निकाले गए कोयले को भारत सरकार की इकाई कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित करने का निर्देश दिया जाए, जो निपटान की अपनी सामान्य विधि के अनुसार इसका निपटान कर सकता है और आय को वितरित किया जा सकता है।

इसके बाद इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार। एनजीटी ने पहले ही निर्देश दिया है कि विभिन्न स्थानों पर पड़े सभी निकाले गए कोयले के लिए, यह राज्य है, जो कोयले का प्राप्तकर्ता-सह-संरक्षक है। राज्य के पास कार है

उपरोक्त चार जिलों में पड़े कोयले का आकलन किया, जिसमें मात्रा का विवरण और मालिकों का विवरण शामिल है।

यह सुनिश्चित कर सकता है कि पूरा कोयला कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया जाए, कटके समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले तरीके और तरीके के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड और मेघालय राज्य के अधिकारियों के परामर्श से।

187. कटके समिति और उसके विभिन्न सदस्यों और प्रतिभागियों ने मेघालय राज्य में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और जांच करने में सराहनीय काम किया है और समिति द्वारा कई मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें अवैध कोयले के खनन के परिणामस्वरूप नागरिकों की पीड़ा को कम करने के लिए भी लागू किया जा रहा है। *188.* हम निर्देश देते हैं कि कोयला अधिकारियों के साथ खनन और भूविज्ञान विभाग में राज्य के आयुक्त और सचिव

इंडिया लिमिटेड परिवहन के लिए एक व्यापक योजना को अंतिम रूप देने और कोल इंडिया लिमिटेड को कोल इंडिया लिमिटेड के नियमों के अनुसार निपटान/नीलामी के लिए कोयले को सौंपने के लिए कटके समिति के साथ विचार-विमर्श कर सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निपटान/नीलामी खानों के मालिकों के साथ-साथ मेघालय राज्य के लिए भी फायदेमंद होगी। कोयले का उचित मूल्य प्राप्त करना मालिकों और राज्य दोनों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यह कोल इंडिया लिमिटेड को तय करना है कि वे कोयला कहाँ प्राप्त करेंगे, यानी उसके किसी भी डिपो या मेघालय राज्य में किसी अन्य स्थान पर और यह कोल इंडिया लिमिटेड को निपटान और नीलामी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। कोयले से। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेघालय राज्य और उसके अधिकारियों, विशेष रूप से संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त का कर्तव्य होगा कि वे कोयले की मात्रा, मालिक का नाम और उस स्थान का विवरण दर्ज करें जहाँ से इसे एकत्र किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड भी इसे अपनाएगी।

कोयले के प्राप्त होने पर उसका वजन सुनिश्चित करने के लिए कदम और मेघालय राज्य *v.*

सभी डिमासा छात्र संघ, डिमा-हासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

कोयले के निपटान, मूल्य श्रेणी के संबंध में सभी परिणामी कदम होंगे

विभिन्न स्थानों से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त कोयले के वजन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। परिवहन का खर्च मेघालय राज्य, कोल इंडिया लिमिटेड या दोनों द्वारा वहन किया जाएगा। कोयले की प्राप्त कीमत से कटौती योग्य होगी। मेघालय राज्य रॉयल्टी और एम. ई. आर. पी. कोष के साथ-साथ कोयले की कीमत में से करों के भुगतान का हकदार होगा। परिवहन की लागत में कटौती, रॉयल्टी का भुगतान और एम. ई. आर. पी. कोष को भुगतान और उपरोक्त प्रक्रिया के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को दिए जाने वाले कोयले के मूल्य का *10* प्रतिशत करों के साथ शेष राशि कोयले के मालिक को उसकी कीमत के लिए वितरित की जाएगी, जो राज्य की जिम्मेदारी होगी। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना खर्च लेने के बाद

कोयले की कीमत के *10* प्रतिशत के साथ परिवहन राज्य को पूरी राशि भेजेगा और यह रॉयल्टी काटने के बाद राज्य के लिए है और एम. ई. आर. पी. कोष को भुगतान और शेष राशि का भुगतान करने के लिए कर

मालिक को राशि। *189.* इस मामले का एक अन्य पहलू भी ध्यान देने योग्य है। कोयला, जिसे राज्य द्वारा अवैध परिवहन या अवैध रूप से जब्त किया गया है

जिन खनन के लिए राज्य द्वारा अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं, उनसे ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार नहीं निपटा जाना चाहिए। कथित जब्त कोयले से राज्य द्वारा अधिनियम, *1957* की धारा *21* के अनुसार निपटा जाएगा और संतुष्ट होने पर राज्य पूरे कोयले की वसूली का निर्णय ले सकता है।

वैध प्राधिकार के बिना अवैध रूप से उठाए गए कोयले की मात्रा और उक्त मामलों को कानून के अनुसार अलग से निपटाया जाना चाहिए।

190. इस प्रकार, हमारा विचार है कि विभिन्न मात्राओं के परिवहन के आदेश की मांग करने वाले विभिन्न आवेदकों द्वारा दायर सभी आई. ए. का निपटान ऊपर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कटके समिति को मेघालय राज्य और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के परामर्श से परिवहन को प्रभावित करने के लिए उचित तरीके और तरीके को अंतिम रूप देने दें।

और उपरोक्त तरीके से कोयले का निपटान।

निष्कर्ष - -

191. पूर्ववर्ती चर्चाओं से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचेः

निष्कर्ष निकालनाः

1)

2014 के आवेदन *O.A.No.73* में स्पष्ट रूप से बताया गया है

आरोप जो न्यायाधिकरण के लिए *[2019] 8* एस. सी. आर. की धारा *14* द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त थे।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, *2010*। धारा *14* की उप-धारा *1* में दिखाई देने वाले दोनों घटक अर्थात् *(i)* पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और *(ii)* ऐसा प्रश्न इन अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।

अनुसूची *I*, उपस्थित थी। *2014* के *O.A.No.73* के आवेदक के अवैध और अनियमित कोयले द्वारा पर्यावरण क्षरण के आरोप

अभिलेख पर सामग्री से खनन पूरी तरह से साबित हुआ था।

विशेषज्ञों की रिपोर्ट, मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट, कटके की रिपोर्ट सहित

समिति, जिसने सभी ने पानी, हवा और सतह के पर्यावरणीय क्षरण को साबित किया।

इस न्यायालय के समक्ष मेघालय राज्य की ओर से लिया गया रुख कि न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार संवैधानिक है।

अपने सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने का दायित्व। पर्यावरण संबंधी मामलों में, राज्य को

सहायक के रूप में कार्य करें न कि अवरोधक के रूप में।

मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में लागू भूमि कार्यकाल प्रणाली के अनुसार, अधिकांश भूमि या तो निजी या सामुदायिक स्वामित्व में है जिसमें राज्य किसी भी अधिकार का दावा नहीं करता है। भूमि के निजी मालिकों के साथ-साथ समुदाय के मालिकों के पास जमीनी अधिकार के साथ-साथ उप-भूमि अधिकार भी हैं।

संविधान की छठी अनुसूची के पैरा *12* ए उपखंड *(*बी*)* में यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी अधिनियम के संबंध में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि वह मेघालय राज्य के किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, या ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए ऐसे जिले या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा या

संशोधन जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकता है। नहीं।

राष्ट्रपति द्वारा धारा के तहत अधिसूचना जारी की गई है।

12 ए *(*बी*)*। छठी अनुसूची में कुछ भी नहीं है

संविधान जो लागू न होने के बारे में संकेत दे सकता है

राज्य के पहाड़ी जिलों के संबंध में अधिनियम, *1957* मेघालय।

एफ. मेघालय बनाम. सभी डिमासा छात्र संघ, कासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]1957* के अधिनियम की धारा *4 (1)* में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि धारा *4 (1)* में निहित प्रतिबंध पहाड़ियों में निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में लागू नहीं होता है।

मेघालय के जिले। इसके अलावा, धारा *4 (1)* के तहत 'कोई भी क्षेत्र' शब्द का भी महत्व है जिसका कोई अपवाद नहीं है। इसके अलावा वाक्यांश "अधिनियम के तहत दिए गए खनन पट्टे के साथ नियमों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार को छोड़कर" भी महत्वपूर्ण हैं जो आशय बनाते हैं और निषेध का उद्देश्य स्पष्ट और जोरदार है।

धारा *13 (2) (*च*)* और खनिज *(*रियायत*)* नियम, *1960* द्वारा निरूपित वैधानिक योजना स्पष्ट रूप से अनुदान पर विचार करती है।

भूमि की दोनों श्रेणियों के संबंध में खनन पट्टा, अर्थात भूमि जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं, और

भूमि जिसमें खनिजों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में निहित है

सरकार।

खान अधिनियम, *1952* में संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं।

खनन संचालन और खानों के प्रबंधन का निरीक्षण। खान अधिनियम, *1952* के प्रावधानों का खदान में काम करने से पहले पालन करना अनिवार्य है। विनियम अर्थात् कोयला

खान विनियम, *2017* में कई नियामक प्रावधान भी शामिल हैं जिनका खनन पट्टा धारक द्वारा खदान का काम करते समय पालन करने की आवश्यकता होती है। खान अधिनियम, *1952* और विनियम, *2017* का प्रवर्तन सुनिश्चित करना होगा

जनहित में राज्य।

पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986* के तहत जारी अधिसूचना दिनांक *15.01.2016* द्वारा लागू वैधानिक व्यवस्था के अनुसार,

किसी भी क्षेत्र के खनन के लिए कोयले की परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है। पहाड़ी जिलों में खनन कार्यों के लिए वैधानिक व्यवस्था लागू करते समय मेघालय राज्य को न केवल एम. एम. डी. आर. अधिनियम, *1957* बल्कि खानों का भी अनुपालन सुनिश्चित करना है

अधिनियम, *1952* और साथ ही पर्यावरण *(*संरक्षण*)* अधिनियम, *1986*।

मेघालय राज्य के पहाड़ी जिले में कोयला ले जाने के लिए

निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि में खनन संचालन यह राज्य सरकार नहीं है जो खनन *[2019] 8* एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

नियम, *1960* के अध्याय *5* के तहत पट्टा, लेकिन यह भूमि का निजी मालिक/सामुदायिक मालिक है, जो खनिज का मालिक भी है, जो केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नियम, *1960* के अध्याय *5* के प्रावधानों के अनुसार कोयले के खनन के लिए पट्टा देगा। राज्य सरकार।

मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में कोयला खनन कार्यों की जांच, नियंत्रण और निषेध करने के लिए अधिनियम, *1957* और नियम, *1960* के तहत मेघालय राज्य के पास पर्याप्त शक्ति और अधिकार क्षेत्र है।

मेघालय।

संघ ने *1957* ए. सी. की धारा *2* द्वारा घोषणा करते हुए खनिज के विनियमन और विकास को अपने नियंत्रण में लेते हुए, स्वायत्त जिला परिषद की शक्ति -

इस विषय पर विधान को भी अस्वीकार कर दिया जाएगा क्योंकि

राज्य विधानमंडल।

यदि खनन अधिनियम, *1957* और नियम, *1960* के प्रावधानों के अनुसार एक अनुमोदित खनन योजना के साथ खनन पट्टा धारक द्वारा किया जाता है, तो मेघालय राज्य के विनियमन और नियंत्रण के तहत इस तरह के खनन कार्यों को करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। हम स्पष्ट करते हैं कि मेघालय के पहाड़ी जिलों में निजी स्वामित्व/सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि में खनन कार्य किए जाने की स्थिति में

अधिनियम, *1957* और खनिज रियायत नियम, *1960* के अनुसार अनुमोदित खनन योजना के साथ खनन पट्टे के साथ, एनजीटी के न्यायाधिकरण का दिनांकित *17.04.2014* प्रतिबंध आदेश मार्ग में नहीं आएगा।

खनन कार्यों को ले जाने के लिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश *26* नियम *10* ए के तहत, एक न्यायालय वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। आदेश के तहत अदालत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति

26 सी. पी. सी. के नियम *10* ए का एनजीटी द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। एनजीटी ने विशेषज्ञ से रिपोर्ट देने के लिए नहीं कहा है नियम *10* ए के चार कोनों तक सीमित है और इसका अधिकार क्षेत्र आदेश *21* नियम *10* ए की सख्त शर्तों से बंधा नहीं है।

एन. जी. टी. अधिनियम के *19 (1)* के आधार पर।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नियम *24 (*अभ्यास और

प्रक्रिया*)* नियम, *2011* न्यायाधिकरण को ऐसा एफ. मेघालय बनाम बनाने का अधिकार देता है।

सभी डिमासा छात्र संघ, कासाओ जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

आदेश दें या ऐसे निर्देश दें जो इसके आदेश को प्रभावी बनाने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों। न्यायाधिकरण को दी गई शक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है। एन. जी. टी. में एक समिति की नियुक्ति और एक समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं है।

"मेघालय" नामक एक कोष के गठन का निर्देश

पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष "भी बचाया जाता है।

उपरोक्त शक्ति के तहत।

एन. जी. टी. ने समिति के गठन का निर्देश नहीं दिया है

समिति न्यायाधिकरण के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है और यदि समिति किसी भी दिशा में कदम बढ़ाती है तो न्यायाधिकरण द्वारा लाए जा रहे मामले में इसे बहुत अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है। उससे पहले।

एन. जी. टी. ने निकालने वाले खनिज के परिवहन के लिए समिति गठित करने का निर्देश जारी किया, ताकि खनिज की बहाली से निपटने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जा सके।

पर्यावरण और यह सुनिश्चित करना कि इसका कार्यान्वयन किसी भी तरह से जिला या क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और न्यायाधिकरण द्वारा गठित समिति केवल पर्यावरण क्षरण और अवैध कोयला खनन से संबंधित है। समितियाँ न्यायाधिकरण की रिपोर्ट या निर्देश का किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं करती हैं।

जिला द्वारा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और क्षेत्रीय परिषदें।

एनजीटी द्वारा मेघालय राज्य द्वारा जमा की जाने वाली राशि न तो जुर्माना है और न ही जुर्माना।

मेघालय राज्य पर थोपा गया। हम स्वीकार करते हैं कि

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ *[2019] 8* एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

मेघालय के पास वित्त का बहुत सीमित स्रोत है और मेघालय राज्य पर रुपये का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त बोझ डालना। *100* अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से करोड़ों रुपये मेघालय राज्य के लिए बड़ी कठिनाई का कारण बन सकते हैं। एन. जी. टी. के दिनांकित *04.01.2019* के निर्देश को इस हद तक संशोधित करने में न्याय का अंत किया जाना चाहिए कि राज्य को रुपये की राशि हस्तांतरित करने की अनुमति है। *100* एम. ई. पी. आर. एफ. में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रखी गई राशि से करोड़। न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपरोक्त राशि *Rs.100* करोड़ का उपयोग केवल इसके लिए करेगा।

मेघालय राज्य में पर्यावरण की बहाली।

15.05.2016 के बाद निकाला गया और खुले में पड़ा हुआ कोयला स्वचालित रूप से मेघालय राज्य में निहित नहीं होता है और कोयले के मालिक या जिस व्यक्ति ने कोयले का खनन किया है, उसका खनिज में स्वामित्व अधिकार होगा जो नष्ट नहीं होगा।

विद्वान न्यायमित्र के इस सुझाव को स्वीकार किया जाता है कि मेघालय के पहाड़ी जिलों में विभिन्न स्थानों पर पड़े पूरे निकाले गए कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित करने का निर्देश दिया जाए। कोल इंडिया लिमिटेड निपटान के अपने सामान्य तरीके के अनुसार इसका निपटान कर सकता है और आय से निपटा जा सकता है।

जारी किए गए निर्देशों के अनुसार।

राज्य ने उपरोक्त चार जिलों में पड़े कोयले का आकलन करने के बाद, जिसमें मात्रा का विवरण और उसके पास उपलब्ध मालिकों का विवरण शामिल है, यह सुनिश्चित कर सकता है कि पूरा कोयला कोल इंडिया को सौंप दिया जाए।

लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और मेघालय राज्य के अधिकारियों के परामर्श से कटके समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले तरीके और तरीके के अनुसार।

यह कोल इंडिया लिमिटेड को तय करना है कि वे कोयला कहाँ प्राप्त करेंगे, यानी मेघालय राज्य में उसके किसी भी डिपो या किसी अन्य स्थान पर और कोयले के निपटान और नीलामी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना कोल इंडिया लिमिटेड का काम है। यह मेघालय राज्य का कर्तव्य होगा और इसका

अधिकारी विशेष रूप से क्षेत्र के उपायुक्त

कोयले की मात्रा का विवरण दर्ज करने के लिए संबंधित, एफ. मेघालय का नाम *v.*

सभी डिमासा छात्र संघ, ए. एस. ए. ओ. जिला। समिति *[*अशोक भूषण, जे.*]*

मालिक और वह स्थान जहाँ से इसे एकत्र किया जाता है। सभी

संबंधित कोयले का वजन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा

जब यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया जाता है।

परिवहन का खर्च मेघालय राज्य, कोल इंडिया लिमिटेड या दोनों द्वारा वहन किया जाएगा, जो कोयले की प्राप्त कीमत से कटौती योग्य होगा। मेघालय राज्य रॉयल्टी और भुगतान का हकदार होगा।

एम. ई. आर. पी. कोष के साथ-साथ कोयले की कीमत से करों के लिए। कोयले की कीमत के *10* प्रतिशत के साथ परिवहन के लिए अपने खर्च में कटौती करने के बाद, कोल इंडिया लिमिटेड राज्य को शेष राशि भेजेगा और यह रॉयल्टी में कटौती करने और एमईआरपी कोष में भुगतान करने के बाद राज्य के लिए है और

करों का भुगतान करने के लिए मालिक को राशि जमा करनी होगी।

कोयला जिसे राज्य ने अवैध रूप से जब्त कर लिया है

परिवहन और अवैध खनन जिसके लिए अलग-अलग मामले हैं राज्य द्वारा पंजीकृत किए गए हैं, जिन पर ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जब्त किए गए कोयले से राज्य द्वारा अधिनियम, *1957* की धारा *21* के अनुसार निपटा जाएगा और संतुष्ट होने पर, राज्य वैध प्राधिकरण के बिना अवैध रूप से उठाए गए कोयले की पूरी मात्रा की वसूली करने का निर्णय ले सकता है।

पूर्वगामी चर्चाओं और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी ने निम्नलिखित तरीके से निर्णय लियाः -

2018 की सिविल अपील संख्या *10720,2018* की सिविल अपील संख्या *10611,2018* की सिविल अपील संख्या *10907* और *2019* की सिविल अपील *(*सिविल अपील डायरी संख्या *3067* से उत्पन्न*)*

2018 का*)* घोषणा के अधीन खारिज कर दिया जाता है और

ऊपर दिए गए कानून का स्पष्टीकरण।

2016 की सिविल अपील संख्या *5272* को एन. जी. टी. के दिनांकित *31.03.2016* के आदेश को इस हद तक दरकिनार करने की अनुमति दी गई है कि यह घोषित किया गया है कि *15.05.2016* के बाद निकाला गया सभी कोयला राज्य में निहित होगा।

मेघालय।

2019 की सिविल अपील संख्या *2968* को आंशिक रूप से मेघालय राज्य को *Rs.100* की राशि हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को करोड़ रुपये

मेघालय पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापना कोष *[2019] 8* एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

किस राशि का उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केवल पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाएगा।

कोयले के परिवहन के लिए निर्देश की मांग करने वाले सभी आई. ए.

निर्देशन का निपटानः -

मेघालय राज्य द्वारा मूल्यांकन किए गए सभी निकाले गए कोयले मेघालय राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित हैं जो

एन. जी. टी. का आदेश मेघालय राज्य की हिरासत में है

उचित निपटान के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया गया।

कटके समिति कोल इंडिया लिमिटेड और मेघालय राज्य के साथ चर्चा के बाद एक तंत्र तैयार करेगी।

परिवहन के लिए, सभी मूल्यांकन किए गए कोयले का वजन।

कोल इंडिया लिमिटेड अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार इस प्रकार प्राप्त कोयले की नीलामी करेगा और राज्य को आगे की कार्यवाही भेजेगा।

जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है।

राज्य द्वारा जब्त किए गए सभी कोयले, जिनके लिए पहले ही मामले दर्ज किए जा चुके हैं, से राज्य द्वारा *1957* के अधिनियम की धारा *21* के अनुसार निपटा जाएगा।

बंद करने से पहले, हम पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं जो हमें इन अपीलों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सक्षम बनाते हैं। हम विद्वान न्यायमित्र श्री कॉलिन द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी अपनी बात दर्ज करते हैं।

, वरिष्ठ अधिवक्ता।

अपीलों का निपटारा किया गया।

अल